हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, **तपोवन धर्मशाला -176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।**

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

20.11.2026/1100/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जय राम ठाकुर जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के अंतर्गत चर्चा चल ही रही है और मैं समझता हूं कि आज मुख्य मंत्री जी ने इसका जवाब देने का मन भी बनाया है। हम सोच रहे थे कि आप कल ही जवाब देंगे लेकिन आप कल कहीं चले गए थे। इसलिए शायद आपने आज जवाब देने का समय निर्धारित किया है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले कल मैंने इस माननीय सदन में एक विषय उठाया था कि सत्ता पक्ष की ओर से एक वरिष्ठ मंत्री ने सेना के विरुद्ध गंभीर टिप्पणी की है और ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में सेना के जवानों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की सेना ने भारत की सेना के छक्के छुड़ा दिए। यह टिप्पणी सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनी हुई है। हमने पिछले कल बार-बार सभापति महोदय से आग्रह किया था कि इस टिप्पणी को सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरे देश और प्रदेश से बहुत सारे सेना के जवानों की ओर से हमें भी संदेश प्राप्त हुए हैं। आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा और नेशनल मीडिया में भी इस विषय को कवरेज मिली है। इसके बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है जबकि हमने पिछले कल भी यह विषय उठाया था।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से इस प्रकार की टिप्पणियों को संरक्षण देना कतई उचित नहीं है। कल संसदीय कार्य मंत्री ने भी संबंधित मंत्री के पक्ष में कहा कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी आज इस पूरे मामले पर सदन में स्पष्ट करें कि संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति सेना के विरुद्ध इस प्रकार की टिप्पणी कैसे कर सकता है जबकि हमारे सैनिक देश की रक्षा और हम सभी की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने हेतु बॉर्डर पर खड़े रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने 300 किलोमीटर तक सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए

20.11.2026/1100/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

और पाकिस्तान के 13 एयरबेस तबाह किए। इसके अतिरिक्त आतंकवादियों के एक-एक ठिकाने को तबाह किया है। इसके बावजूद हमारी विधान सभा में संवैधानिक पद पर बैठा कोई मंत्री सेना के विरुद्ध इस प्रकार की टिप्पणी करे और बार-बार करे तथा अपनी टिप्पणी पर अडिग रहते हुए यह कहे कि मैंने जो कहा है वह गलत नहीं है तो वह मंत्री मंत्रिमंडल में रहने का हकदार नहीं है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस मामले में हस्तक्षेप करें और पूरे प्रकरण पर कार्रवाई करें। सबसे पहले सेना के विरुद्ध की गई टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। जब इस विषय पर कार्रवाई की बात हो रही है तो इस टिप्पणी का कार्यवाही का हिस्सा बने रहना उचित नहीं है। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाएं।

अध्यक्ष .... एन0एस0 द्वारा शुरू

20-11-2026/1105/NS-AG/1

अध्यक्ष : बाकी की तो टिप्पणियां वांछित नहीं हैं लेकिन यह जो पार्ट है कि सेना के खिलाफ जो टिप्पणी हुई है, I will peruse the record. ...(Interruption) As you know, because I was not much well, so I was not here yesterday. ...(Interruption) I will go through the record, and I will come to the House after some time. Immediately, let us start the business. Thereafter, I come back to the House. The words which have been used, and if those words are derogatory and against the sanctity of the Army/Defence Forces, certainly, those words will be removed from the record. Certainly, they will be removed. ...(Interruption) Let

me peruse it. ...(Interruption) Please, give me time. ...(Interruption) मैं एक-एक शब्द को देखूंगा और जो भी मुझे अवांछित लगा, आपका जो ऑब्जैक्शन है ...(व्यवधान) एक मिनट, नेगी जी प्लीज। ...(Interruption) Please take your seats. Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. मुझे बोलने दो फिर उसके बाद आप बोलना। आपने जो ऑब्जैक्शन किया है मैं उसको देखूंगा और रिकॉर्ड का एक-एक पार्ट देखूंगा। एक-एक शब्द को देखूंगा। जहां मुझे महसूस हुआ कि बाकई में ही यह डिफैंस फोर्सिस की मान-मर्यादा के खिलाफ है और देश की सुरक्षा के खिलाफ है तथा ऐसे शब्दों का प्रयोग इस माननीय सदन में हुआ है तो निश्चित तौर पर वे सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेंगे लेकिन इसके लिए मुझे समय तो दीजिए। When I have assured the House that I will look into all these matters... ...(Interruption) पर्सनल मत बनाया करें। ऐसा है कि पर्सनल इश्यू से ...(व्यवधान) We are all for the Defence Forces. We are all for the Defence Forces. We respect them. और वे देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो सेवाएं दे रहे हैं उसके प्रति हम सभी के मन में सम्मान है। हम सभी जनप्रतिनिधि हैं और कोई विशेष व्यक्ति यह बोले कि नहीं ...(व्यवधान) चलिए,

20-11-2026/1105/NS-AG/2

फिर वही बात। ...(व्यवधान) प्लीज, प्लीज। मैं सारे रिकॉर्ड को परयूज करूंगा। I assure the House that I will peruse each and every word of the proceedings and will come to the House and all those undesired material will be removed from the record. I will come back. ...(Interruption) Please, please. Please take your seats now. Negi ji, please take your seats. I will look into all this. ...(Interruption) चलिए, please take your seats. ...(Interruption) On your behalf, Hon'ble Chief

Minister is likely to say something....(Interruption) I will give you a chance certainly. ...(Interruption) When I will be deciding, I will be giving an opportunity to you also. ...(व्यवधान) Randhir ji, please. Negi ji, please. ...(Interruption) Please, please. Please, order in the House. ...(Interruption) Nothing is going on record as such.

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

20.11.2026/1110/RKS/AS-1

अध्यक्ष... जारी

जो मैं बोल रहा हूं वही रिकॉर्ड में जा रहा है और मैंने बाकी किसी भी सदस्य को बोलने की इजाजत नहीं दी है except you. ...(Interruption) Please. ...(Interruption) I am assuring you. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Let the Hon'ble Chief Minister explain. आप माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

Please take your seats. Nothing is going on record. No slogan shout. Nothing will go on record. ...(Interruption) Please take your seats now. Please, Parmar Sahib, please take your seat. You are very senior persons. ...(Interruption) Pease take your seats. ...(Interruption) जब मैंने आपको यह आश्वस्त किया है कि जो भी अवांछित शब्द सेना की मर्यादा के खिलाफ होंगे उनको सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। Let me peruse the record. जब पिछले कल यह हुआ था तो उस समय मैं सदन में उपस्थित नहीं था। माननीय सभापति, श्री संजय रत्न जी उस कार्यवाही को चैक कर रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ गए।)

Please take your seats. माननीय मुख्य मंत्री जी। Let the Hon'ble Chief Minster speak. Hon'ble Chief Minister ...(Interruption) Please ...(Interruption) Order in the House please. ...(Interruption) Let the Hon'ble Chief Minister make his statement. ...(Interruption) Please, no disturbance in the House. Order in the House please. ...(Interruption) माननीय मुख्य महोदय।

20.11.2026/1110/RKS/AS-2

मुख्य मंत्री : ...(व्यवधान) माननीय राजस्व मंत्री जी कृपया बैठ जाइए। आपने हल्ला करना है तो हल्ला कीजिए, शोर करना है तो शोर कीजिए और वाकआउट करना है तो वाकआउट कीजिए लेकिन आप बात का बतंगड़ मत बनाएं। मैंने माननीय मंत्री की स्पीच सुनी है और स्पीच में सेना के प्रति कहीं भी ऐसे शब्दों को प्रयोग नहीं किया गया है।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

अगर आपने हल्ला करना है तो आप कीजिए। माननीय मंत्री जी देश की सीमा के पास रहते हैं। ...(व्यवधान) आप लोग झूठ की पी0एच0डी0 करके आए हैं। माननीय मंत्री जी ने क्या कहा है? मैं उनकी स्पीच देख रहा था; उन्होंने जो कहा है वह तथ्यों के आधार पर कहा है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

20.11.2026/1115/बी.एस./ए.एस.-1

मुख्य मंत्री जारी...

इसमें कोई दो राय नहीं है। ...(व्यवधान)...ये जो पोस्टर लेकर जा रहे हैं यदि आपने वॉकआउट करना है तो आप वॉकआउट करिए। आपको जो कहना है वह कहिए। आपने हंगामा करना है ...(व्यवधान)...तो हंगामा करिए। लेकिन झूठ के आधार पर पी0एच0डी0

करने वाले आप लोग हैं। आपने ऐसी-ऐसी रिसर्च कर रखी है...(व्यवधान)... और झूठी पी0एच0डी0 कर रखी है।

मेरा मानना है कि सदन में काम रोको प्रस्ताव आया है। उस पर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद आपने जितना हंगामा करना है कर लीजिए। देश की सेना के बारे में आप कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी से प्रश्न पूछ रहे हैं जो इस तरह से नहीं कहा गया है। ...(व्यवधान)...अखबारों में छपा कि ताबूत के भी पैसे खा गए। यह किसने कहा? यह किसने कहा? यह देश की सेना का अपमान है। यह देश की सेना का अपमान है। आपके ही लोगों ने आपके ही मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं। इसलिए आप बैठिए। हमें देशभक्ति का पाठ मत पढ़ाइए। जो देश के लिए कुर्बानी देते हैं उन्हें आप देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक उदाहरण दे दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हों।

इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि काम रोको प्रस्ताव जो हिमाचल ऑन सेल पर चर्चा लाई है उस पर चर्चा करिए। अध्यक्ष महोदय, ने कहा है कि यदि कोई ऐसी बात होगी तो मैं उसे देखूंगा। इसके अतिरिक्त आप और क्या कर सकते हैं? आप लगातार हल्ला कर रहे हैं। आप हमें काम करने दीजिए। आप ऐसा करिए कि या तो चर्चा में भाग लीजिए या हल्ला करना है तो हल्ला कर लीजिए। लेकिन हमारी चर्चा तो शुरू होने दीजिए। आपके ही प्रस्ताव पर चर्चा है। ...(व्यवधान)...आप हमें क्या सेना का सम्मान सिखाएंगे? सेना का सम्मान हमने किया है, हमारे लोगों ने किया है और हमारी सेनाओं ने किया है। आप क्या बताएंगे? आप झूठ बोलकर पीएच0डी0 कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को शुरू किया जाए।

Speaker : Please, please take your seats now. ...(Interruption) Take your seats now. Take your seats. ...(Interruption) Take your seats.

20.11.2026/1115/बी.एस./ए.एस.-2

पहले आप सभी बैठ जाइए। उसके बाद मैं आपको अपनी बात रखने की इजाजत दूंगा। पहले सभी बैठ तो जाइए। Please, take your seats. I allow Shri Jai Ram Thakur. ...(Interruption) First, you all take yours seats. Please sit down. ...(Interruption) I

will allow. ...(Interruption) प्लीज, प्लीज। मेरा आप सभी से आग्रह है कि जब मैंने एक-एक शब्द देखने की बात कह दी है और आप सभी को तथा सदन को आश्वस्त किया है कि ऐसे अमर्यादित शब्दों को कार्यवाही से हटाया जाएगा। देखने के बाद ही तो निर्णय लूंगा। पहले मुझे देखने तो दीजिए। आप कह रहे हैं कि अभी इसे हटा दीजिए। जब सदन की बैठक स्थगित होगी तो मैं इसे देखूंगा। Then I will come to the House. उसके बाद मैं सदन में आकर बताऊंगा कि ये-ये शब्द बोले गए हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आप सदन को स्थगित कीजिए और कार्यवाही के रिकार्ड को देख कर बताने की कृपा करें।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, अब सदन चलाना है या नहीं चलाना है यह मेरा विशेषाधिकार है। मैं आपके कहने से सदन स्थगित नहीं कर दूंगा। I have to watch the interest of the Members of this House and the House cannot be adjourned at the directions of the Opposition. Once I find ठाकुर साहब मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। आप बैठ तो जाइए। Hon'ble Member Dr. Hans Raj ji, please take your seats. Let the Hon'ble Leader of the Opposition Shri Jai Ram Thakur ji.

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुख्य मंत्री जी इस तरह मंत्री के पक्ष में और उनके संरक्षण में सेना के खिलाफ की गई इतनी गंभीर टिप्पणी पर अपनी बात रखकर यह कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया है। मुझे अध्यक्ष महोदय, इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

20.11.2026/1120/DT/DC-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

उनके संरक्षण में मंत्री ने जो सेना के विरुद्ध इतनी गंभीर बात की है उस मंत्री के पक्ष में अपनी बात कहते हुए यह कहना कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। उसके बाद ये कह रहे हैं

कि हम झूठ बोल रहे हैं। जबकि इसका रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध है और उसमें सेना के छक्के छुड़ा देने की बात कही गई है। भारत की सेना के छक्के छूट गए, ये शब्द रिकॉर्डिड हैं। ...(व्यवधान)।

Speaker : Hon'ble Revenue Minister, I will see that whatever he(Leader of Opposition) is saying उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। क्योंकि जो आपका स्टेटमेंट है मैं उसको पैरूज करूंगा और जो इनके ऑब्जेक्शन्ज हैं उनके मुताबिक मुझे लगेगा तो मैं उन्हें कार्यवाही से हटाऊंगा अन्यथा नहीं हटाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो सही बात को कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। प्लीज।...(व्यवधान)। Let me peruse it, I have to take decision on it. If you will not be satisfied then Hon'ble Chief Minister and you (Leader of Opposition) can take your decisions. That is not the issue.

I am seeking the cooperation from all the Hon'ble Members reason being that I am very generous and I have permitted this discussion. We have allowed it. Otherwise the Rule says that the discussion under Rule 67 should not exceed more than one day it has to finish on the same day. But since this discussion is continuing for the last four days, it is something unprecedented and we are not laying down the proper precedent. नियम-67 के अंतर्गत हमने 13 विषयों पर चर्चा कर ली है और सदन का सारा समय इसी चर्चा में व्यतीत हो रहा है। जनता से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं वे आपके की इशूज हैं। वह आज की कार्यवाही में भी सूचीबद्ध हैं लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम उन इशूज को आज के बिजनेस में नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अभी नियम-67 के अंतर्गत चल रही चर्चा को समाप्त कर लिया जाए। उसके बाद I will be coming back to you. Hopefully I will be here for the proceedings today. ...(व्यवधान)। ठाकुर साहब मैं करूंगा। मैंने आपका निवेदन मान तो लिया है। चलिए ठीक है, श्री जय राम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष आप बोलिए।

20.11.2026/1120/DT/DC-2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, नियम-67 में चर्चा हमने ही मांगी है।और इसे लाने का कारण यह है कि विषय गंभीर है। इस पर हम गंभीरता के साथ तथ्यों के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। जब सत्तापक्ष की ओर से मंत्री जी नियम-67 पर बोलने के लिए खड़े हुए तो वे नियम-67 पर तो बोले ही नहीं बल्कि देश और सेना पर चले गए। नियमों की परिधि में इस चर्चा को बांधना किस कि जिम्मेवारी थी?

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष दोनों तरफ सह ही ये होना चाहिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से ही होना चाहिए पर मंत्री की जिम्मेवारी अधिक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर साइड में है। ऐसी स्थिति में जब

सेना के विरुद्ध गंभीर टिप्पणी हुई तो हम यह कह रहे हैं कि नियम-67 अपनी जगह है और उसका अपना महत्व है लेकिन सेना के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका महत्व इससे भी ऊपर है।

Speaker: Hon'ble Leader of Opposition let me peruse the record. ...(Interruption).

श्री जय राम ठाकुर : इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि इन्होंने जो कहा है वह रिकॉर्डिड है। हम आपको यहां पर भी वह वक्तव्य सुना सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सदन को भले ही थोड़ी देर के लिए ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप निर्णय कीजिए। यह आपका ही फैसला और आपका ही विवेक होगा। इसके बाद मंत्री जी के वक्तव्य को सुनकर तथा पढ़कर आइए और उसके बाद ही व्यवस्था दीजिए अन्यथा मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार मुख्य मंत्री जी अपने मंत्री जो लगातार गलत बोलते हैं, हर बात पर गलत बोलते हैं, वे उनके संरक्षण में हैं। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है।

20.11.2026/1120/DT/DC-3

Speker : Please take your seat. ...(Interruption). ऐसा है, एक बार सुन लो। एक बार सुन लो। अब हो गया। ऐसा है कि जीद्द से हाउस चलता नहीं है। अब आप जीद्द करेंगे और ये जीद्द करेंगे तो फिर हाउस नहीं चलेगा। फिर एक ही परिस्थिति बचती है कि सदन को पूरी तरह स्थगित कर दिया जाए। This is the only situation with me. Why I am saying this? आप अन्य विधान सभाओं की कार्यवाही भी देखते हैं और लोक सभा की कार्यवाही भी देखते हैं discussion under Rule 67 is never allowed. लोक सभा में अभी हाल ही में पूरी कार्यवाही समाप्त हो गई क्योंकि नियम-67 के पीछे लगातार प्रोटेस्ट होता रहा और नियम-67 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष को उन्होंने बोलने नहीं दिया। अंततः पूरा सदन ...(व्यवधान)। यहां तो हम बहुत लिबरल हैं। हम देश भर में अपनी चर्चा के लिए जाने जाते हैं, वाद-विवाद के लिए जानी जाती है, संवाद के लिए जानी जाती है। यहां बहुत खुला संवाद हुआ है। सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए कम से कम 15 मिनट लिए, 15-15 मिनट कहां मिलते हैं?

श्री ए0पी0द्वारा जारी...

20.11.2026/1125/डी0सी0/ए0पी0/-01

अध्यक्ष जारी .....

आप पंजाब विधान सभा को देखिए, हरियाणा विधान सभा को देखिए, उत्तर प्रदेश विधान सभा को देखिए। उन विधान सभाओं में तो किसी मेंबर को तो पांच साल के लिए दो मिनट भी बोलने को नहीं मिलता हैं। आप हमारी इन परंपराओं को बना कर रखें। मेरे पर विश्वास रखें। मैंने आपसे ये कहा है कि मैं इस विषय को देखूंगा, अब आप जिद कर रहे हैं कि आप इस विषय को अभी देखिये। आप स्पीकर को थोड़ी डायरेक्ट कर सकते हैं। ...(व्यवधान) हां चलिए। आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। मुझे तो हाउस की प्रोसीडिंग को चलाना है। ...(व्यवधान) मैं किसी को संरक्षण नहीं दे रहा हूं। ...(व्यवधान)अगर मुख्य मंत्री जी सदन

के नेता होने के नाते अपने मंत्री मंडल के सदस्यों को संरक्षण दें तो मैं इनमें कुछ नहीं कर सकता हूं। इसको लेकर आपकी आपत्ति हो सकती है। लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे सदन चलाने दीजिए। As I said, I will certainly give ruling on this issue. मैं इस विषय को आज ही डिसाईड कर कर दूंगा। ...(व्यवधान)। फिर से परमार साहब, आप भी इस कुर्सी पर आसीन हुए है और ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ...(व्यवधान)। Let us start the House. Let us start with discussion on Rule-67. ये कांग्रेस की तरफ से अभी तीन माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेने के लिए बाकी हैं और विपक्ष की तरफ से भी तीन माननयी सदस्य हैं। ...(व्यवधान)। That I have already conveyed. Please be seated. ...(Interruption). तो अब हम नियम-67 के अंतर्गत चर्चा शुरू करते हैं। पिछले कल लास्ट स्पीकर किशोरी लाल जी थे । अभी बीजेपी से बोलेंगे। तीन-तीन हैं, छह मेंबर, छह माननीय सदस्य के नाम अभी भी हैं। इसमें लगभग एक घंटे का समय लग जाएगा, अगर सभी सदस्य 5 से 10 भी बोलते है। ...(व्यवधान) हां मैं जानता हूं कि कल आपने कहा है। कल प्रोसीडिंग्स के समय पर मैं यहां नहीं था। उस समय माननीय सभापति थे। ...(Interruption). I will decide it और इन्होंने कहा है कि मैं भी सारे रिकॉर्ड को देखूंगा शब्द-व-शब्द को देखूंगा। जैसा उचित लेगेगा उसको कारवाई से निकाल दूंगा। इन्होंने भी यही बोला है जो मैं बोल रहा हूं। We have all respect for the Army. तो क्या सभी ने

20.11.2026/1125/डी0सी0/ए0पी0/-02

बोलना चाहते हैं। ...(व्यवधान)। Either we have an option to reply to Rule-67 ...(interruption). नहीं तो मैं सीएम साहब से आग्रह करता हूं कि वे रिप्लाई दें और इसे खत्म करें। ...(व्यवधान)।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे।)

Please. Hon'ble Members (Opposition) no slogan shouting ...(Interruption). No slogan shouting. Nothing will go on record. ...(Interruption).

No, nothing on the record. …(Interruption). Nothing will go on the record. Please take your seats. Order in the House. …(Interruption). Please take your seat. These are the concluding day of this Session i.e. today and tomorrow. Please take your seats. I'm opening it for the debate now. Now Hon'ble Member, Shri Inder Dutt Lakhanpalji will participate in the debate under Rule-67. …(Interruption). मैं आपको व्यवस्था दे चुका हूं और कह चुका हूं कि we have full respect for the Army and Defence Forces. Any undesired words or anything which harms the reputation of the Army will not be a part of the record. This is what I have already said many times. So there is no need. Speaker is not to say all these words every time. Please. माननीय सदस्य श्री इन्द्र इंद्रदत्त लखनपाल जी आप नहीं बोलना चाहते तो मेरे पास विकल्प है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

20.11.2026/1130/AT/ HK /01

अध्यक्ष जारी....

I will ask the Hon'ble Chief Minister to reply. …(Interruption) They don't want to say. …(Interruption) श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी, आप बोलना चाह रहे हैं या नहीं? This is the last opportunity which I am giving you. Shri Inder Dutt Lakhanpal ji, please, if you want to say …(Interruption) I will request the opposition Members to sit. …(Interruption) Please, please,…(Interruption) No please, …(Interruption) I will not allow. Enough is enough. Half an hour is already spend. …(Interruption) I have heard you all. …(Interruption) I have heard you all for more than half an hour. …(Interruption) Half an hour. …(Interruption) नेता प्रतिपक्ष को सुन लिया तो विपक्ष को सुन लिया, नेता प्रतिपक्ष को सुन लिया तो विपक्ष को सुन लिया। सदन के नेता को सुन लिया तो सारी पार्टी को सुन लिया। मैं एक-एक को थोड़ी सुनता रहूंगा?...(व्यवधान) आपकी जो लिस्ट मेरे पास आई थी, मैंने उसमें से लखनपाल

जी का नाम ले लिया और सत्ता पक्ष से हमारे पास श्री अशीष बुटेल, श्री नीरज नैय्यर हैं, श्री विनोद सुल्तानपुरिया जी है। If they surrender themselves and if they don't want to say, okay. You want to say Shri Ashish Butail ji.

श्री आशीष बुटेलः माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा नियम 67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव लाया गया था जिसे आपने स्वीकार किया और चर्चा की अनुमति दी। सत्ता पक्ष तो हमेशा से ही चर्चा के लिए तैयार रहा है। आपने तेरह में से दस काम रोको प्रस्ताव स्वीकार किए और विपक्ष को पूरा अवसर दिया कि सदन में किसी भी विषय पर चर्चा हो सके और सकारात्मक बहस हो सके।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए)

20.11.2026/1130/AT/ HK /02

अध्यक्ष महोदय, आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष का उद्देश्य वास्तव में नियम 67 के अंतर्गत चर्चा करना नहीं, बल्कि विधान सभा में जो भी कार्य होना है उसे रोकना है। इसी उद्देश्य के चलते आज सदन से वॉकआउट करने का प्रयास भी किया गया। यह स्पष्ट है कि सत्तापक्ष प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है और सकारात्मक बहस के लिए तैयार है। यदि सत्तापक्ष पर किसी प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं तो उनका जवाब देना भी आवश्यक है और हम उसके लिए भी पूरी तरह तैयार हैं।

महोदय, आज नियम 67 के अंतर्गत जो काम रोको प्रस्ताव लाया गया है वह कुछ और नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ लेने और पॉइंट स्कोर करने का प्रयास है। पिछले चार-पांच दिन हो गए हैं। सोमवार को शोकोद्गार के चलते स्वर्गीय नंदलाल जी, जो इस सदन के सदस्य भी रहे थे के निधन पर शोक प्रस्ताव के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी। मंगलवार से लेकर आज तक कोई अन्य कार्य नहीं हो पाया है। सदन के बाहर बैठी

हिमाचल प्रदेश की लगभग 70 लाख जनता की निगाहें हम सब पर लगी हुई हैं कि हम यहां चर्चा करेंगे और उनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने वे कार्य भी नहीं होने दिए। सदन के पांच दिन जो खराब हुए हैं उसका हर्जाना कहीं न कहीं विपक्ष को भरना ही पड़ेगा।

महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव की प्रस्तावना रखी। जब आपने उन्हें बोलने का अवसर दिया तो शुरुआती पांच मिनट तक वे विषय से हटकर इधर-उधर की बातें करते रहे। जब उन्होंने अपनी बात रखी भी तो 53 मिनट के उनके भाषण में 53 सेकंड भी ऐसा नहीं था जिसमें कोई ठोस तथ्य सामने रखा गया हो।

महोदय, यदि कोई आरोप लगाया जाता है तो उसके समर्थन में दस्तावेज और प्रमाण भी होने चाहिए। आज तक पिछले चार दिनों में यहां बोलने वाले इनके किसी भी सदस्य ने कोई दस्तावेज सदन के पटल पर नहीं रखा। महोदय, पहले मैं समझता था कि पालमपुर में मेरे कुछ भाजपा के लोग ही मनगढ़ंत बातें करते हैं लेकिन आज पता चला कि पूरी की पूरी भाजपा ही इसी तरह मनगढ़ंत, गैर-जिम्मेदाराना और तथ्यहीन बयान देती है।

20.11.2026/1130/AT/ HK /03

अध्यक्ष महोदय, पिछले सात-आठ वर्षों में हिमाचल प्रदेश पर बहुत बड़ी-बड़ी आपदाएँ आई हैं। वर्ष 2020 में हमने कोरोना महामारी देखी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी आपदा थी।

श्री टी0सी0वी0द्वारा जारी....

20.11.2026/1135/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री आशीष बुटेल... जारी

वर्ष 2022 में हमारी सरकार बनी और वर्ष 2023 तथा वर्ष 2025 में बाढ़, भूस्खलन और मॉनसून के कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई। मैं अपने विपक्ष के मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब कोरोना के समय लोग मर रहे थे और अस्पतालों में जा रहे थे, आपने उस आपदा में भी अवसर तलाशे। उस समय पी0पी0ई0 किट्स, सेनेटाइजर्स और मास्क्स का घोटाला हुआ। जब तत्कालीन विपक्ष अर्थात कांग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों को उठाया तो एक डायरेक्टर हैल्थ सर्विसिज को भी जेल में रहना पड़ा। असली भ्रष्टाचार यह था।

इसके अलावा वर्ष 2023 और वर्ष 2025 में आई आपदा के दौरान बहुत सारे लोग विस्थापित हुए लेकिन हमारी सरकार उन लोगों के साथ खड़ी रही। जिन लोगों के घर चले गए थे उन्हें घर देने की बात की गई और जिनकी अन्य प्रकार की हानि हुई थी उन्हें उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए हमने प्रयास किए। विपक्ष आज चाहे जो कहता रहे लेकिन जनता सब जानती है और यह भी जानती है कि आपदा में अवसर कौन-कौन तलाशते रहे।

(विपक्ष के माननीय सदस्य श्री दीप राज और श्री आशीष शर्मा सदन के अन्दर आए।)

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर एक बात सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। यह बात सभी के संज्ञान में है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब उन्हें हर वर्ष लगभग 8,000 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 के रूप में मिला करते थे। इसके अतिरिक्त लगभग 3,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष जी0एस0टी0 कॉम्पेंसेशन के रूप में मिलते थे। इस प्रकार 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपये की आर0डी0जी0 और 15,000 करोड़ रुपये का जी0एस0टी0 कॉम्पेंसेशन इन्हें मिला। इसके साथ ही लोन की लिमिट भी बढ़ी हुई थी। आज हमारी लोन की लिमिट भी इन्होंने कम करवा दी है लेकिन उस समय लोन की लिमिट ज्यादा थी।

अध्यक्ष महोदय, जो पूर्व मुख्य मंत्री आज नेता प्रतिपक्ष हैं उनके कार्यकाल में इनके पास विकासात्मक कार्यों पर खर्च करने के लिए 75,000 करोड़ रुपये उपलब्ध थे। मैं आज जानना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसा क्या किया और कौन-से विकास कार्य किए जिनके

20.11.2026/1135/टी0सी0वी0/एच0के0-2

आधार पर हम कह सकें कि पिछली सरकार ने यहां अच्छे काम किए थे? श्री प्रकाश राणा जी अपने भाषण में कह रहे थे कि इतना लोन ले लिया और लगभग 40,000 करोड़ रुपये का लोन ले लिया। वे इसका हिसाब मांग रहे थे। महोदय, हमें तो पैसा ही नहीं मिला। केंद्र से आर0डी0जी0 के रूप में जो पैसा आता था, वह आना बंद हो गया। वर्ष 1952 के बाद पहली बार आर0डी0जी0 का पैसा आना बंद हुआ। हमारी जी0एस0टी0 कॉम्पेंसेशन समाप्त बंद कर दी गई और हमारी लोन की लिमिट भी कम हुई। इसके बावजूद मुख्य मंत्री और उनका पूरा मंत्रिमण्डल यहां विकास कार्य करवा रहा है तथा हिमाचल प्रदेश में विकास हो रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि यह लियाकत किसकी है? कौन-सा मुख्य मंत्री लायक था जिसने 75,000 करोड़ रुपये खर्च करके बर्बाद कर दिए या कम पैसे में आज भी जो विकास करवा रहे हैं, क्या वे लायक हुए या पिछली सरकार के मुख्य मंत्री लायक हुए जिन्होंने 75,000 करोड़ रुपये रेवड़ियों की तरह सबको बांट दिए? आज हमारे संसाधन सीमित हैं फिर भी हम विकास करवा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के संसाधनों को बचाने के लिए काम किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यदि हम बी0बी0एम0बी0, जे0एस0डब्ल्यू0, किशाऊ बांध और वाइल्ड फ्लावर हॉल की बात करें तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश की संपत्ति को बचाने की बात यदि किसी ने की है तो वह इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की है। किसी और ने कभी ऐसा नहीं किया। जब इस आपदा की चर्चा हो रही थी तो भ्रष्टाचार पर भी बात होनी चाहिए थी लेकिन विपक्ष भ्रष्टाचार की बात करने के बजाय किसी और मुद्दे पर चला गया और इधर-उधर की बातें करता रहा। मैं नेता प्रतिपक्ष महोदय से भी यही कहना चाहूंगा कि आपकी दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज जी ने संसद में एक बात कही थी जो आप पर भी लागू होती है—

"तू इधर-उधर की बात न कर, यह बता कि काफिला क्यों लुटा?"

पिछली सरकार ने जो 75,000 करोड़ रुपये बर्बाद किए, वे क्यों लुटाए? आज हम नेता प्रतिपक्ष महोदय से इसका जवाब जानना चाहते हैं। महोदय, महमूद गजनवी 11वीं-12वीं

सदी के समय में था। उसके बारे में रोहित ठाकुर जी बताएंगे। वह सोमनाथ टेंपल को लूटकर चला गया था। **एन0एस0 द्वारा .... जारी**

20-11-2026/1140/NS-YK/1

श्री आशीष बुटेल------जारी

आज ऐसे कौन-कौन से महमूद हैं जो अयोध्या को लूटकर चले गए और चंदे की चोरी करके चंपत हो गए? ऐसे कौन से महमूद चंपत हैं जो वहां चोरी कर रहे हैं और फिर भ्रष्टाचार के आरोप हम पर लगाते हैं? मंदिरों को जिन्होंने नहीं छोड़ा और भगवान राम तक को नहीं छोड़ा, वे लोग आज हमारे सामने यह बात रखना चाहते हैं कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश में यह पहली सरकार है जिस पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया। आप सदन के अंदर जो मर्जी बोलते होंगे लेकिन बाहर विपक्ष की भी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि इस सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। भाजपा की सरकार के समय में पुलिस भर्ती के दौरान पेपर खरीदे गए। 5 से 10 लाख रुपये में पेपर खरीदे गए। यह आपके समय की बात है।

(विपक्ष के माननीय सदस्य, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल और श्री आशीष शर्मा सदन में वापिस आए।)

उस समय आप दोनों वहां (भाजपा) नहीं थे लेकिन इतना बड़ा घपला हुआ। उस समय विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी ने जब इस घपले को उजागर किया तभी यह मामला सामने आया और उसके बाद आपने कार्रवाई की। उस कार्रवाई में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, यह सभी जानते हैं। आपने कहा कि पुलिस भर्ती हो गई है, कोई बात नहीं, इसे चलने दो और आगे भी भर्तियां करते रहेंगे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जब हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसिज सैलेक्शन बोर्ड, हमीरपुर में गड़बड़ी पाई गई तो उसे भंग कर दिया गया। महोदय, उसे भंग करने का उद्देश्य वहां व्यवस्था को साफ करना था। आपने उस बोर्ड में जितना कचरा और मलबा डाला था उसे हमने साफ किया। आज एच0पी0आर0सी0ए0 का गठन हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार किसी भी

सूरत में सहन नहीं किया जाएगा और यह सरकार तो कम-से-कम भ्रष्टाचार सहन करने वाली नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद कोई कहता है कि विधान सभा बेच दी गई, कोई कहता है कि पीटरहॉफ बेच दिया गया और कोई कहता है कि अन्य सम्पत्तियां बेच दी

20-11-2026/1140/NS-YK/2

गईं। शायद आप लोग पिछली बातें भूल गए हैं। माननीय लखनपाल जी और माननीय आशीष शर्मा जी दोनों यहां बैठे हैं और आप लोग भी पिछली बार इसी सदन के सदस्य थे। क्या आपको याद है कि होटल बेचने की सबसे पहली कवायद किसने शुरू की थी? भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली सरकार ने होटल बेचने की प्रक्रिया शुरू की थी और इसके लिए विज्ञापन तक जारी कर दिए थे। आपने कहा था कि ये होटल बिक जाएंगे और आज आरोप हम पर लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां विधान सभा के बारे में भी बात की गई।

Speaker : I have clarified that. You need not to referred the Vidhan Sabha. Let us not bring Vidhan Sabha into this.

Shri Ashish Butail : You have clarified that and nobody can ever do it. फिर आप कहते हैं कि पी0पी0पी0 मोड पर बेचना और पी0पी0पी0 मोड पर काम करना दो अलग-अलग बातें हैं। मेरे विपक्ष के जो मित्र यहां बैठे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि यदि किसी ने पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजैक्ट पी0पी0पी0 मोड पर दिया था तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने करछम और वांगतू प्रोजैक्ट को पी0पी0पी0 मोड पर दिया था। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में एक सब्जी मंडी की पार्किंग बनी थी जिसे पी0पी0पी0 मोड पर दे दिया गया। 10 साल तक वहां कोई काम नहीं हुआ। हमने उसको रीसेंड करवाया और आज सरकार वहां पार्किंग बनाने जा रही है। यह काम हमने किया है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप मेडिकल इक्विपमैंट्स की खरीद में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली के एम्स में जो मेडिकल इक्विपमैंट्स खरीदे गए हैं उनकी तुलना में हमने वही इक्विपमैंट्स कई लाखों- करोड़ों रुपये कम कीमत पर खरीदे

हैं। आप हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं जबकि एम्स में मेडिकल इक्विपमैंट्स की पर्चेज केंद्र सरकार करती है। क्या आप वहां केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाएंगे?

अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा विभाग से सी0पी0एस0 के रूप में जुड़ा हुआ था और बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है शिक्षा विभाग ने बहुत तरक्की की है। National Achievement Survey of 2021 में पूरे देश में हिमाचल प्रदेश का स्थान गिरकर 21वें स्थान पर पहुंच गया था। आज जब यह सर्वे दोबारा हुआ है

20-11-2026/1140/NS-YK/3

तो हमारा स्थान पांचवें नम्बर पर आ गया है। महोदय, इसके लिए हमें हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री को बधाई देनी चाहिए

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

20.11.2026/1145/RKS/YK-1

श्री आशीष बुटेल... जारी

नेता प्रतिपक्ष जी ने एक आरोप लगाया है कि स्कूलों में स्थापित की जाने वाली आई0सी0टी0 लैब्स की टेंडर प्रक्रिया में धांधली हुई है। मैं इस संबंध में कुछ आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं। पिछली सरकार के समय 430 स्कूलों में आई0सी0टी0 लैब्स स्थापित करने की बात हुई थी। इसके लिए 48 करोड़ रुपये का बजट आया था। पिछली सरकार ने क्या किया? पिछली सरकार ने आचार संहिता लागू होने से ठीक एक दिन पहले बी0एस0एन0एल0 को यह टेंडर अवार्ड कर दिया। आज हमारी सरकार के कार्यकाल में 774 और स्कूलों में आई0सी0टी0 लैब्स स्थापित की जानी हैं। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा एच0पी0एस0ई0डी0सी0 को टेंडर दिया गया। हालांकि यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और इस बजट का लैप्स होने का खतरा था। इस संबंध में मंत्रिमण्डल की बैठक में चर्चा हुई कि जो पिछला टेंडर बी0एस0एन0एल0 को दिया गया था उसी एजेंसी को यह कार्य दोबारा दे दिया जाए। यह कार्य 20 करोड़ रुपये कम लागत पर दिया गया।

यदि इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो वे पिछली सरकार पर लगते हैं न कि हमारी सरकार पर। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रही है। परिस्थितियां इसलिए विपरीत हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रदेश का पैसा रोक दिया है। प्रदेश सरकार जब भी कोई कार्य करने का प्रयास करती है तो उसमें बाधा उत्पन्न की जाती है। इसके बावजूद यह हमारी सरकार का कमाल है कि हिमाचल प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों में आज भी विकासात्मक कार्य निरंतर चल रहे हैं। अंत में मैं मुबारक सिद्दीकी की दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

खिजाँ की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है,
हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है।

और यही हमारी सरकार कर रही है। कितनी भी हवाएं चलें और कितने भी तूफान आएं, हिमाचल प्रदेश अपना दिया जलाकर रखेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

20.11.2026/1145/RKS/YK-2

अध्यक्ष : जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मेरे पास दानों तरफ से तीन-तीन नामों की सूची आई है। लेकिन अब विपक्ष की ओर से एक और रिवाइज्ड सूची भेजी गई है। पहले वाली सूची में श्री इन्द्र दत्त लखनपाल का पहले नम्बर पर था लेकिन रिवाइज्ड सूची में श्री आशीष शर्मा, श्री दलीप ठाकुर के नाम शामिल किए गए हैं और श्री इन्द्र दत्त लखनपाल का नाम तीसरे स्थान पर कर दिया गया है। इसके बाद श्री इन्द्र सिंह चौथे स्थान पर हैं और श्री दीप राज का नाम पांचवे नम्बर पर है। मैं सभी सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दे पाऊंगा। मैं केवल एक माननीय सदस्य को इस तरफ से और एक माननीय सदस्य को उस तरफ से बोलने का अवसर दूंगा। मैं विपक्ष के सदस्य को प्राथमिकता दे रहा हूं। आपकी सूची में जो भी एक माननीय सदस्य बोलना चाहें वे अपनी बात रख सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष की ओर से कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा।

अध्यक्ष : ठीक है। मैं यहां से एक माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दूंगा। श्री आशीष शर्मा और श्री इन्द्र सिंह जी हाथ खड़ा कर रहे हैं आप अपनी सहमति बना लें कि किसने बोलना है। क्या आप सभी श्री आशीष शर्मा के साथ हैं? ठीक है अब श्री आशीष शर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे। The last speaker now thereafter the Hon'ble Chief Minister will reply to the debate.

श्री आशीष शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम-67 के अंतर्गत भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के शासन में बिकता हिमाचल -'हिमाचल ऑन सेल' के संबंध में माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा और श्री बिक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मुझसे पहले भी कई माननीय सदस्यों ने सदन में अपनी बात रखी है। सभी माननीय विधायकों ने प्रदेश सरकार की चार वर्षों की कार्यशैली पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि किस प्रकार प्रदेश को लूटने का काम किया गया है। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो। चाहे जल शक्ति विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, ट्रांसपोर्ट विभाग हो या उद्योग विभाग हो, इन सभी विभागों को पिछले चार वर्षों में खोखला करने का काम किया गया है। सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया है। दूसरी ओर यह दलील दी गई है कि प्रदेश का खजाना

20.11.2026/1145/RKS/YK-3

खाली है। मुख्य मंत्री ने पहले भी सदन में कहा था कि सरकार भ्रष्टाचार के विषय पर श्वेत पत्र लाएगी। इससे पहले भी वर्ष 2023 में मुख्य मंत्री ने सदन में कहा था कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर भी श्वेत पत्र लाया जाएगा।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

20.11.2026/1150/बी.एस./ए.जी.-1

श्री आशीष शर्मा जारी...

अध्यक्ष महोदय, सब कमेटी बनाई गईं लेकिन उस श्वेत पत्र का आज तक कोई पता नहीं है कि वह कहां है। केवल और केवल जनता को उलझाने और बेवकूफ बनाने के लिए सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। मैं तो समझता हूं कि श्वेत पत्र की स्थिति भी एक फिल्म 'कोरा कागज' के उस गाने जैसी हो गई है जिसमें कहा गया था कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया और जो लिखा था वह आंसुओं संग बह गया। आज प्रदेश सरकार के भी यही हालात हो चुके हैं। श्वेत पत्र के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। तीन वर्षों से सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पा रही है। अगर कहीं कुछ देखने को मिल रहा है तो हर जगह घोटाले ही घोटाले दिखाई दे रहे हैं। दोनों हाथों से प्रदेश को लूटा जा रहा है और मित्रों के माध्यम से लुटाया जा रहा है।

इस बार अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा क्योंकि मुझसे पहले भी यहां माननीय सदस्यों ने हमीरपुर बस स्टैंड का विषय उठाया है। हमीरपुर हमेशा सत्ता का केंद्र रहा है। यह प्रदेश का भी केंद्र है और विकास का भी केंद्र होना चाहिए। यहां विकास होना चाहिए। मैंने पहले भी सदन के अंदर और बाहर मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद किया था कि आपने बस स्टैंड का काम शुरू करवाया है। लेकिन यह भ्रष्टाचार का केंद्र नहीं बनना चाहिए। आज हमीरपुर बस स्टैंड के विषय में विपक्ष की ओर से चर्चा हो रही है। यहां हमारे मंत्री जी ने भी अपनी बात रखी है कि इसका टेंडर हुआ है और इसमें पैसा लगा है। ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं लगा है। इस प्रकार की बातें मंत्रियों द्वारा भी कही गई हैं लेकिन सोचने का विषय यह है कि यह टेंडर 45,56,92,332 रुपये का लगा था और इसका अवार्ड 34,14,50,264 रुपये में किया गया था। लगभग 25 प्रतिशत बिलो में यह टेंडर गया था।

इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा क्योंकि यह उनका गृह जिला है और इनकी देखरेख में यह कार्य चल रहा है। आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या संबंधित ठेकेदार कोई रिश्तेदार है जिसे 120 करोड़ रुपये से अधिक की पेमेंट कर दी गई है?

20.11.2026/1150/बी.एस./ए.जी.-2

यदि वहां 100 करोड़ रुपये का काम हुआ होता और जिस हिसाब से यह टेंडर लगभग 25 प्रतिशत बिलो में गया था उसके अनुसार यदि 100 करोड़ रुपये का टेंडर किया होता तो शायद हम 25 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में बचा सकते थे। अब यह बस स्टैंड 200 करोड़ रुपये तक बनने जा रहा है। यदि इस पैसे का सही ढंग से उपयोग किया होता तो हम 50 करोड़ रुपये बचा सकते थे और उस पैसे को कहीं दूसरी अच्छी जगह विकास कार्यों पर लगा सकते थे। अब चर्चा यह भी चल रही है कि जिस ठेकेदार को बस स्टैंड का काम दिया गया है वही ठेकेदार बस स्टैंड से लगभग एक किलोमीटर दूर किसी व्यक्ति की बिल्डिंग बना रहा है। बताया जा रहा है कि वह किसी एडवाइजर की बिल्डिंग है। इसी प्रकार जोलसप्पड़ में भी एक बिल्डिंग बन रही है और वहां भी वही ठेकेदार काम कर रहा है। अब यदि इस प्रकार की बातें चर्चा में आएंगी तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष में बैठने के नाते और मेरा अपना विधान सभा क्षेत्र होने के कारण हमारा दायित्व बनता है कि मैं सदन के नेता मुख्य मंत्री जी से जानकारी मांगू कि इन बातों में कितनी सच्चाई है?

यदि हम सदन के माध्यम से कोई जानकारी मांगते हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में भी किसी विषय पर जानकारी मांगी थी। कि बिल्डिंगें किसकी बन रही है तो मुझे जवाब मिलता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। आर0टी0आई0 के माध्यम से सूचना मांगने पर भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। आखिर सरकार की ऐसी क्या मंशा है? क्या सरकार की नीति और नीयत दोनों ही भ्रष्ट हैं?

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं उनके बारे में मैंने पहले भी विधान सभा के अंदर कई बार कहा है कि इस सरकार ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है। चाहे मुख्य मंत्री जी हों या मुख्य मंत्री जी के परिवार के सदस्य हों वे सभी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। नादौन में करोड़ों रुपये के जमीन घोटाले किए गए हैं। आज इस विषय को उठाते हुए चार वर्ष हो गए हैं। यह अलग विषय है कि मुख्य मंत्री जी अपने विरुद्ध जांच नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब ये यहां खड़े होकर कहते हैं कि आप अपने कागजात सभा पटल पर रखिए तो मैं हर बार कहता हूं कि मैं अपने दस्तावेज सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है जब किसी सरकार की नीति और नीयत दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं तो उससे

यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह इन मामलों में कोई कार्रवाई करेगी या अपने विरुद्ध जांच करवाएगी।

20.11.2026/1150/बी.एस./ए.जी.-3

अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और इन सभी मामलों को जनता के समक्ष उजागर करेगी। चाहे देहरा के उपचुनाव की बात हो वहां भी उस समय कांगड़ा बैंक से पैसा डायवर्ट किया गया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान पैसा दिया गया। उस समय भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। हमने उस मामले को भी सभा पटल पर रखा था। इसी प्रकार नादौन में जमीनों से संबंधित मामले को भी सभा पटल पर रखा गया था।

अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी जिस सरकार को 'सुख की सरकार' कहते हैं उसकी वास्तविकता कुछ और ही है। मैं केवल इतना समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी अपने परिवार को सुख-सुविधाएं उपलब्ध करवाने में लगे हुए हैं कि मेरा अपना परिवार सुखी परिवार।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

20.11.2026/1155/DT/AG-1

श्री आशीष शर्मा जारी...

और इसी दिशा में यह प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हर जगह से केवल और केवल पैसा इकट्ठा किया जा रहा है इसमें चाहे लोक निर्माण विभाग के टेंडर हों या जल शक्ति विभाग के टेंडर हों जहां भी मौका मिल रहा है वहां पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। हमीरपुर में भी चाहे वह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जहां इन्होंने अभी अधिकारी बिठाए हैं, वहां हालात ऐसे हैं कि 70-70 टेंडर किए जा रहे हैं उनमें से कोई भी टेंडर ऑनलाइन नहीं है। वहां पर ऐसा क्यो हो रहा है उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कैसी लड़ाई है? यह हमें भी बताएं प्रदेश को भी बताएं और हमीरपुर की जनता को भी बताएं। आपने अपने

चहेतों को पैसा इकट्ठा करने के लिए लगाया हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। जनता ने मन बना लिया है कि यह सरकार सत्ता से जाएगी और यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र हो या हमीरपुर जिला हो वहां के जो हालात हैं उन्हें पूरा प्रदेश देख रहा है और हमीरपुर की जनता भी देख रही है।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने मुझे भी बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद।

Speaker: Hon'ble Town and Country Planning Minister wants to make a clarification. What clarification you want to make? Please, be very short and brief.

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कल या परसों सदन में माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा जी ने शिमला बाईपास पर व्यावसायिक परिसर के निर्माण हेतु निजी पार्टी को बिना टेंडर दिए आबंटन करने तथा भूमि के मूल्य में 75 प्रतिशत की छूट देने का विषय उठाया था। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि इस कार्य के लिए टेंडर भी हुआ है, शायद माननीय सदस्य को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है और वह भूमि भी किसी को हस्तांतरित नहीं की गई है। उस भूमि का स्वामित्व हिमुडा के पास ही है तथा आगे भी उसी के पास रहेगा।

20.11.2026/1155/DT/AG-2

इस प्रोजैक्ट को पी0पी0पी0 मॉडल पर विकसित करने के लिए हमने टेंडर आमंत्रित किए थे। इसमें अपफ्रंट प्रीमियम के तौर पर पर 55.90 करोड़ रुपये में जिसकी बोली सबसे ज्यादा की रही उसको दिया गया है। इसमें कुछ इसके अतिरिक्त कुछ शर्तें भी थीं जिन्हें जोड़कर कुल मिलाकर दिनांक 11 मई, 2026 को बोलीदाता ने 58 करोड़ 40 लाख रुपये जमा करवाए हैं।

इसके अतिरिक्त 2,886 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र भी हिमुडा को मिलेगा तथा संबंधित पार्किंग स्थल भी हिमुडा के पास आरक्षित रहेगा।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न का संबंध है उसके संबंध में इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को बतलाना चाहूंगा कि : उक्त भूमि हिमुडा द्वारा वर्ष 2007 में निजी भूमि मालिकों से खरीदी गई थी। इस भूमि का कुल क्षेत्रफल 7,595.52 वर्ग मीटर है तथा उस समय उसे 1,68,15,351/- रुपये में क्रय किया गया। उपलब्ध विवरण के अनुसार उस समय भूमि का प्रति वर्ग मीटर मूल्य 1453.57 रुपये था। वर्ष 2026-27 में सर्कल रेट के अनुसार संबंधित भूमि का मूल्य 23,237 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। निर्धारित है जिसके आधार पर भूमि का वर्तमान मूल्य 17 करोड़ 64 लाख 21 हजार 143 रुपये बताया गया है। उपलब्ध अभिलेखों में भूमि के मूल्य पर 75 प्रतिशत छूट दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए इस माननीय सदन को गलत सूचना दी गई है। अतः सहीं सूचना को मैं इस माननीय सदन में रखना चाहता हूं।

Speaker: Now I will request the Hon'ble Chief Minister to give reply. ...(Interruption) I have curtailed the list, one Member from this side, one Member from this side. ...(Interruption) I have used my extraordinary powers for this today. ...(Interruption) Hon'ble Chief Minister will reply to the Motion under Rule 67. ...(Interruption) Already, we have exhausted more than nine, ten hours. So, enough is enough now. ...(Interruption) पांच लोगों की लिस्ट है। लेकिन हाउस का बिजलेस भी बहुत है। We have to conclude with the business also. ...(Interruption) All the Hon'ble Members have been requested to limitize their statements to five minutes, ten minutes. They have all spoken for more than 20 minutes each. दोनों पक्षों के सदस्यों ने 20-20 मिनट से अधिक समय तक अपनी बात

20.11.2026/1155/DT/AG-3

रखी है। दानों पक्षों को बराबर का समय दिया गया। The list stands curtailed now. The Hon'ble Chief Minister will reply. Please. Hon'ble Chief Minister.

मुख्य मंत्री श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

20.11.2026/1200/ए0एस0/ए0पी0/-01

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने वक्तव्य को दस मिनट और पांच मिनट की निर्धारित समय-सीमा में रखें। सभी सदस्यों को बराबर समय दिया गया है। अब कृपया समय-सीमा का पालन करें। माननीय मुख्य मंत्री जी अपना जवाब दें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के तहत जो काम रोको प्रस्ताव लाया गया है। इस काम रोको प्रस्ताव का तर्क क्या है? भारतीय जनता पार्टी अपनी राह भूल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। तीन दिन तक नियम-67 के अंतर्गत चर्चा हुई है। अब जब आपने हिमाचल ऑन सेल के विषय पर चर्चा में भाग लिया है तो उसकी डिटेल भी सुन लीजिए। यह कोई जबरदस्ती नहीं है। ये लोग जोर-जोर से हल्ला करके और शोर मचाकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं और शोर-हल्ले की जीत हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें इनकी जीत मुबारक है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 22 लोग इस विषय पर बोल चुके हैं। ...(व्यवधान) तकरीबन 29 लोग इस चर्चा में भाग ले चुके हैं। श्री जय राम ठाकुर जी, बिक्रम सिंह जी, श्री राम कुमार जी, डॉ0 हंसराज जी,श्री सुरेश कुमार जी, श्री सुधीर शर्मा जी ने बोला आदि सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। सभी लोगों ने इस विषय पर अपनी विस्तृत बात रखी है। साढ़े नौ घंटे चर्चा हो चुकी है। बीच-बीच में हल्ला करना इनकी प्रवृत्ति बन गई है।

Speaker : Nothing will go on record except the statement of the Hon'ble Chief Minister.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल ऑन सेल के विषय पर नियम-67 के तहत प्रस्ताव आया था। नियम-67 के तहत जब यह हिमाचल ऑन सेल का प्रस्ताव आया तो उसकी कार्यवाही समाप्त करके मैं दिल्ली गया था। दिल्ली में मेरी बात हुई। वहां पूछा गया कि काम रोको प्रस्ताव किस विषय पर आया है? मैंने बताया कि काम रोको प्रस्ताव हिमाचल

ऑन सेल के विषय पर आया है। हिमाचल ऑन सेल के विषय पर मैं भी कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और इन तथ्यों को आपके माध्यम से सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। न

20.11.2026/1200/ए0एस0/ए0पी0/-02

तो भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी से सदन चलेगा, न नारों से सदन चलेगा और न ही गुंडागर्दी से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस सदन को चलाएंगे।

(**विपक्ष के सभी माननीय सदस्य वैल में** आकर **नारेबाजी करने लगे।**)

अगर आज झूठ बोलने की कोई प्रतियोगिता हो और झूठ बोलने की पी0एच0डी0 के लिए किसी को गोल्ड मैडल मिलना हो तो वह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलना चाहिए। इनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये अपने झूठ को सच साबित कर सकें। मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के काम रोको प्रस्ताव के तहत जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, वे तथ्य सनसनीखेज हैं। पिछले चार साल में भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के पास झूठ बेचते रहे हैं और झूठ बेचने की इन्होंने दुकान खोल रखी है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बी0जे0पी0 की आपसी लड़ाई इतनी ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी पांच गुटों में बंटी हुई है। आज जब जवाब देने की बारी आई है तो इन्होंने वॉकआउट करना है और नारे लगाने हैं। क्योंकि इनके कार्यकाल, यानी वर्ष 2017-से-2022 के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार के जो रिकॉर्ड टूटे हैं। आज मैं उसकी मिसाल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। साथ ही, सारे हिमाचल को बेचने का अधिकार इनको मिला है। जब ये तथ्य सदन के सामने आएंगे तो अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं महसूस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल को ऑन सेल किस तरह किया।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

20.11.2026/1205/AT/AS /01

मुख्य मंत्री जारी....

इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखने को मिला। ...(व्यवधान) आपने उद्योग लगाने के लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटित किए। जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय इंडस्ट्रियल प्लॉट दिए गए, लेकिन उन प्लॉटों को रियल एस्टेट के कारोबार में बदल दिया गया। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियल प्लॉट आधी कीमत पर इसलिए दिए जाते हैं ताकि वहां उद्योग स्थापित हो सकें। उद्योग लगाने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की रियायतें देती है। वर्ष 2003 में संसद में विशेष प्रावधान किया गया था और भारत सरकार ने जी0एस0टी0, एक्साइज तथा वैट में छूट दी थी। ...(व्यवधान) इन्होंने इसको प्लॉट दिया। इसे बेचने का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? मैं ये कागजात सदन के पटल पर रखना चाहता हूं कि जय राम ठाकुर जी के शासनकाल में इंडस्ट्रियल प्लॉट बेचकर उन्हें रियल एस्टेट के कारोबार में बदल दिया गया। यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। यही 'हिमाचल ऑन सेल' है। मैं ये कागजात सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

(संबंधित कागजात **सभा पटल** पर **रखे** गए।)

...(व्यवधान) मैंने अभी ये कागजात सदन के पटल पर रखे हैं। फिर क्या हुआ? हिमाचल ऑन सेल हुआ और 'हिमाचल ऑन सेल' के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा हिमाचल बेच दिया। मुझे खुशी है कि आज पूरा हिमाचल बेचने के आरोपों पर ये तालियां बजा रहे हैं। ...(व्यवधान) अब सच की ताकत को दबाया नहीं जा सकता और न ही मेरी आवाज को दबाया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं।

20.11.2026/1205/AT/AS /02

अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने हिमाचल 'ऑन सेल' किया। जिस तरह इंडस्ट्री के प्लॉटों को रियल एस्टेट में बदला गया उसी तरह कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर भी हिमाचल को बेचने का एक और धंधा किया गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे महंगी सरकारी जमीन लगभग 300 बीघा जमीन, एक प्राइवेट कंपनी को बेच दी गई।

...(व्यवधान) आखिर 300 बीघा जमीन इस प्राइवेट कंपनी को क्यों दी गई? जिस तरह ये इंडस्ट्रियल पार्क को रियल एस्टेट में बदलना चाहते थे उसी तरह 300 बीघा जमीन भी उद्योग के नाम पर लेकर बाद में उसे रियल एस्टेट में बदलना चाहते थे। इसलिए कहा जा रहा है कि हिमाचल ऑन सेल है।

अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) ये सच को दबा नहीं सकते। सच की ताकत के आगे झूठ को हारना ही पड़ता है और इस मामले में भी झूठ को हारना ही पड़ेगा।...(व्यवधान) हमारा खेल देखो, ये हमारा खेल देखो। बी0जे0पी0 ऑन सेल है। ...(व्यवधान) चार हजार बीघा जमीन बेचने की तैयारी थी। इंडस्ट्रियल प्लॉट एक रुपये की लीज पर दे दिए गए। आप लोगों ने हिमाचल को बेचकर रख दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर जमीन क्यों दे रहे थे?

श्री टी0सी0वी0द्वारा जारी....

20.11.2026/1210/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
मुख्य मंत्री ... जारी
(**भारतीय जनता पार्टी के** सदस्यगण सदन के बीचों-बीच आकर **नारे**बाजी करते **रहे**)

अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर जगह क्यों दे रहे थे? इन्होंने कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर जगह इसलिए दी थी ताकि ये रियल स्टेट में बदला जा सके और इस प्रदेश में बड़े-बड़े उद्योगपति यहां अपने घर बना सकें। इसके लिए इन्होंने इंडस्ट्रियजिस्ट को प्लॉट बेचे हैं। इन्होंने 150 बीघा जगह भी मात्र 1 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से बेच दी। हमारा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों को इंडस्ट्रियल प्लॉट देकर पूरे हिमाचल को बेचने का ठेका दे दिया और इसके अलावा हिमाचली युवाओं को भी ठगा गया। ऐसे जोर-जोर से नारे कौन लगाते हैं? जो हिमाचल को बेचते हैं। आपने हिमाचल का ऐसा हाल क्यों किया? मैं इनसे पूछ रहा हूं कि आपने हिमाचल का ऐसा हाल क्यों किया? आप हिमाचल के हितों की अनदेखी क्यों करते रहे? आपने हिमाचल को क्यों बेचा?

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्टांप ड्यूटी भी माफ कर दी। आज हिमाचल का कोई युवा या महिला अपना प्लॉट खरीदता है तो सरकार उससे 8 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लेती है लेकिन इन्होंने पूरे हिमाचल को बेचकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों की स्टांप ड्यूटी भी माफ कर दी। इन्होंने हिमाचल को बेचकर रख दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। अब ये इसलिए नहीं सूनना चाह रहे हैं क्योंकि इन्होंने हिमाचल को बेच दिया है। यह तो अभी शुरुआत है। अभी 2 घंटे लगेंगे और एक-एक स्टेप से अवगत करवाया जाएगा। मेरे पास खड़े होकर जोर-जोर से चीखने से कुछ नहीं होगा, जो आपने हिमाचल को बेचा है, वह कागजों में है। हिमाचल की सेल तो कागजों में है, आप नहीं बच पाओगे। आपने हिमाचल को लूटा है और हमारे हिमाचल की संपदा को बर्बाद किया है। आपने हिमाचल को सेल किया है। आजकल नारे कौन लगा रहे हैं? जो पूरे हिमाचल की जमीन को दूसरे के नाम पर करके चले गए ...(व्यवधान)

Speaker: Order in the House, please. ...(Interruption). Nothing is going on record. ...(Interruption). Nothing is going on record except the statement of Hon'ble Chief Minister.

20.11.2026/1210/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूरा हिमाचल बेचने के बाद अब ये 'हिमाचल ऑन सेल' के नारे लेकर आए हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनसे पूछिए ...(व्यवधान) लूटा इन्होंने है। ये ठीक कह रहे हैं कि हिमाचल को लूट लिया है और जो लूटने वाले हैं वे इन्हीं के साथ खड़े हैं। यही नहीं हुआ

एन0एस0 द्वारा .... जारी

20-11-2026/1215/NS-DC/1

मुख्य मंत्री------जारी

(**विपक्ष के सभी माननीय सदस्य** सदन के बीचों-बीच खड़े होकर **नारेबाजी करते रहे**)

...(व्यवधान) बिजली पर जो शुल्क लगाया जाता है और जिससे सरकार का खजाना भरता है उसमें आम आदमी को मिलने वाली 50 प्रतिशत छूट भी इन्होंने माफ कर दी। इसलिए हिमाचल प्रदेश को बेचने की प्रक्रिया इन्होंने कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर शुरू की है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश को बेचा है। विडंबना यह है कि ये केवल खबरों की सुर्खियां बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये हमारी आवाज दबा नहीं सकते क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने फैसला कर दिया है कि nothing will be recorded. इसलिए आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं आएगी। आप बैठ कर अपनी करतूतें सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय, जहां हजारों-करोड़ रुपये की संपत्ति लुटा दी जाए और जब ये काम रोको प्रस्ताव लाते हैं तो खुशी होती ही है। इसी खुशी के मौके पर हमने बोला कि इनका काम रोको प्रस्ताव स्वीकार किया जाए और इनका काम रोको प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ...(व्यवधान) हां, इन्होंने लूटा है। श्री रणधीर शर्मा जी बोल रहे है और हां कर रहे हैं। ...(व्यवधान) आपने ठीक कहा। ऐसा है कि पानी तो आप पी रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सिराज में एक होटल बनाया गया और एक कल्चर सैंटर भी बनाया गया। सिराज के उस कल्चर सैंटर को नॉमिनेशन के आधार पर क्लब महिंद्रा को दे दिया गया। क्या किया गया? 100 करोड़ रुपये का होटल क्लब महिंद्रा को दे दिया गया। यह किसने बेचा? जो संपदा के रक्षक होने का दावा करते हैं, उनके कार्यकाल में वाइल्ड फ्लावर हॉल का क्या हुआ? अध्यक्ष महोदय, हम भी वहां थे। यदि आपकी इच्छाशक्ति कमजोर थी तो आप क्या कर सकते थे? आपकी इच्छाशक्ति ही नहीं थी। आपकी इच्छाशक्ति इतनी कमजोर थी कि वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस हम जीते हैं और हम 401 करोड़ रुपये लेकर आए और 200 करोड़ रुपये हम देते हैं। भारत सरकार की कंपनी केंद्र सरकार के अधीन एम0एस0टी0सी0 (Metal Scrap Trade Corporation Ltd. company of Govt. of India, administratively controlled by Ministry of Steel) टैंडर करवाती है। ओपन बिडिंग होती है और 40 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राप्त होते हैं। यह क्या है? वे संपदा का रक्षक हैं और यह होती है हिमाचल प्रदेश में संपदा

को बचाने की ताकत जहां राजनीतिक दृढ़ इच्छाशक्ति होती है वहां न तो संपत्तियां बेची जाती हैं और न ही सेल की जाती हैं बल्कि उन्हें बचाया जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके सामने है।

अध्यक्ष महोदय, धारा-118 की बात की। अब मैं क्या करूं? आपने ही काम रोको प्रस्ताव 'हिमाचल ऑन सेल' लाया था । आपने यह प्रस्ताव किसके कहने पर लाया था, जो आधा हिमाचल खरीद चुका है। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो कानून के ज्ञाता हैं। कानून के ज्ञाता होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश को एक कंपनी के नाम पर कंडाघाट में जिसके विरुद्ध धारा-118 के अंतर्गत कार्रवाई चल रही थी यानी

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

20.11.2026/1220/RKS/HK-1

मुख्य मंत्री.. जारी

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य वैल में आकर नारेबाजी करते रहे।)

जिस संपत्ति के खिलाफ धारा-118 के तहत कानूनी कार्रवाई चल रही थी उसे बिना किसी आधार के दोनों हाथों से बेच दिया गया। ऐसा आपने क्यों किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस संपत्ति के विरुद्ध धारा-118 के तहत कानूनी कार्रवाई चल रही थी उसे भी चुनावों से पहले बेचेने की अनुमति दे दी गई। आप सभी श्री जय राम ठाकुर जी को घेरने में लगे हुए हैं और उनके कपड़े उतारने में लगे हैं। इसका कारण यह है कि आपके पांच ग्रुप बने हुए हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए। मनाली में 100 बीघा जमीन ऐसी कंपनी को दे दी गई जिसकी कोई नेटवर्थ नहीं थी। मैं श्री त्रिलोक जम्वाल जी का धन्यवाद करता हूं कि एक ग्रुप तो हमारी बात सुन रहा है। मुम्बई की एक कंपनी यहां आई। उसके पास न तो कोई अनुभव था और न ही उसकी कोई नेटवर्थ थी। इस कंपनी ने उत्तराखंड में भी कार्य किए थे। कंपनी ने गलत सूचनाएं दीं और सरकार ने उन सूचनाओं को वेरिफाई किया। कंपनी की नेटवर्थ न होने के बावजूद आपने मनाली में 500 करोड़ रुपये की सरकारी संपत्ति बेच दी।

आपने गैर-कानूनी तरीके से लीज दी। यही है 'हिमाचल ऑन सेल'। कहावत है कि 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे'। अध्यक्ष महोदय, हमीरपुर का बस स्टैंड बन रहा है। श्री जय राम ठाकुर जी ने हमीरपुर जिला से कोई मंत्री नहीं बनाया था। प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने उस बस स्टैंड का शिलान्यास किया था लेकिन आपने कहा कि उस शिलान्यास के पत्थर को उठा दो। मैं हमीरपुर के बस स्टैंड के विषय में बात करना चाहूंगा।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

20.11.2026/1225/बी.एस./एच.के.-1

मुख्य मंत्री जारी...

...(व्यवधान) अभी तो तीन घंटे की पूरी फिल्म दिखानी है। आप नारे लगाइए आपको पूरी फिल्म दिखाएंगे। अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं पहले जमीनों के मामले के बारे में बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...पूरी बी0जे0पी0 खजल है। आदरणीय जय राम ठाकुर जी को पांच गुटो ने पूरी तरह से खजल करके रखा है। अध्यक्ष महोदय, गग्गल हवाई अड्डे के पास जमीनों की खरीद-फरोख्त तथा धारा 118 के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच के लिए हमारी सरकार ने एस0आई0टी0 गठित की है। ...(व्यवधान)...उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एस0आई0टी0 की जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। इन्हीं में एक आदमी है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। जांच के अनुसार गुलाम महीदीन मलिक नामक व्यक्ति के पिता अब्दुल रहमान जो जम्मू-कश्मीर के निवासी थे उन्हें वर्ष 1999 में नूरपुर क्षेत्र में लगभग 8,820 वर्ग मीटर भूमि का गैर-मौरूसी काश्तकार दर्शाकर मालिकाना हक प्रदान किया गया। लेकिन जांच में इस संबंध में कथित राजस्व आदेश की मूल कॉपी नहीं मिली। पुराने राजस्व अभिलेखों तथा पंचायत रिकॉर्ड में भी उनकी काश्तकार के रूप में उसकी कास्तकार की पुष्टि नहीं हुई है। इस मालिकाना हक के आधार पर वर्ष 1990 में जमीन खरीदी गई। इसके बाद गुलामदीन महीदीन मलिक नामक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों द्वारा धर्मशाला शाहपुर, नूरपुर तथा नगरोटा बगवां क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूमि की खरीद-फरोख्त की गई। जांच में ग्राम महीदीन मलिक द्वारा लगभग 200 कनाल 6 मरले भूमि की खरीद तथा अन्य भूमि संबंधी लेन-देन के मामले भी सामने आए हैं।

अध्यक्ष महोदय, इनमें 118 का उल्लंघन राजस्व तथा दस्तावेजों में आशंका पाई गई है। एस0आई0टी0 की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 को भूमि राजस्व सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धर्मशाला में एफ0आई0आर0 संख्या 9/26 भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(4), 318(4), 36, 340(2) तथा 362 के अंतर्गत राम हाईदिन मालिक तथा निजी व्यक्तियों एवं लोक सेवकों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है।

20.11.2026/1225/बी.एस./एच.के.-2

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश की जमीन की खरीद-फरोख्त में किसी भी प्रकार की धोखेबाजी,

धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े अथवा कानून के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कोई विधायक हो अथवा कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो यदि जांच में उसके विरुद्ध अपराध के प्रमाण मिलते हैं तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी तो ट्रेलर चल रहा है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

20.11.2026/1220/DT/HK-1

मुख्य मंत्री जारी...

अभी तो इसमें गाने भी आएंगे, सन-सेट का सीन भी आएगा। आप लोग शायद थक गये लेकिन मैं तो थका नहीं। पूर्व मुख्य मंत्री और विपक्ष के नेता बार-बार यह कहते हैं कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज करवाए जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैंने राजनैतिक द्वेष की भावना से किसी के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। इनके दूसरे ग्रुप के नेताओ जो मै कागज पढ़ कर सुना रहा हूं आप सुन लो, यह आपके काम आएगा। पूर्व के मुख्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष बार-बार ये दावा करते हैं कि उनकी सरकार

ने किसी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आज इस सदन के सामने एक ऐसा तथ्य रखना चाहता हूं जिससे इस दावे की सच्चाई सामने आ जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 में भाजपा की चार्जशीट के आधार पर, जिसमें से कुछ विधायक विपक्ष में भी गये हैं, तत्कालीन कांग्रेस नेता श्री हर्षवर्धन महाजन के विरुद्ध शिकायत संख्या 5/2018 पर दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को विजिलेंस जांच शुरू की गई थी किसके खिलाफ श्री हर्ष महाजन जी के खिलाफ। यानी भाजपा सरकार के सत्ता में आने के एक वर्ष के भीतर ही अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध जांच शुरू कर दी गई थी। अब जरा तारीखों पर गौर कीजिए। जांच दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को शुरू हुई थी और अब शायद बंद होने की स्थिति में है। लगभग चार वर्ष तक यह जांच चलती रही। अभी यह बंद नहीं हुई है बल्कि बंद होने की स्थिति में है। जब भाजपा सरकार की विदाई का समय आया तो उस समय एक पत्र के माध्यम से इसमें जांच बंद करने की बात कही गई। मेरा सीधा सवाल है कि यदि इस जांच का कोई ठोस आधार नहीं था तो एक कांग्रेस नेता के विरुद्ध लगभग चार-चार वर्ष तक जांच क्यों चलती रही? ये सभी चीजें आपके समझने की हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक शेर सुनाता हूं। आप भी शेर सुनो नारे लगाते-लगाते आप भी रिलैक्स हो जाएंगे।

"बेगुनाही का सबूत मांगते हैं ये लोग, जिनके अपने आप खून में रंगे हैं" एक बार और सुन लो "बेगुनाही का सबूत मांगते हैं ये लोग, जिनके अपने आप खून में रंगे हैं"॥

20.11.2026/1220/DT/HK-2

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य सच को दबा नहीं सकते। सच का सामना कई बार झूठ से होता है। बार-बार झूठ सच से टकराता है। लेकिन अंत में सच की ही जीत होती है।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बड़ी जोर-शोर से अपनी बात रखने की कोशिश की है। इनकी जुबान में बड़ा जोर है लेकिन

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

20.11.2026/1235/वाई0के0/ए0पी0/-01

मुख्य मंत्री जारी .....

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बड़े जोर-शोर से अपनी बात रखने का प्रयास किया है। इनकी बातों में तो बहुत जोर है, लेकिन जब इनसे कागजात मांगे जाते हैं तो सारे कमजोर पड़ जाते हैं और इनकी तरफ से कोई कागज सामने नहीं आता है। मैं इनके इस जोश और कागज न देने की प्रवृत्ति का, इनके नए-नवेले सदाचार, प्रेम और नैतिकता के आधार पर हृदय से स्वागत करता हूं। जब विपक्ष के हमारे मित्र ईमानदारी और पारदर्शिता पर लंबे-लंबे भाषण दे रहे थे तो मुझे दो पुरानी कहावतें याद आ रही थीं। पहली कहावत है, सौ चूहे खाकर बिल्ली हजको चली और दूसरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।

अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में जो तथ्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, वे इस बात को साबित करते हैं कि हिमाचल को बेचने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था और हमारी सरकार उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर रही है। अध्यक्ष महोदय, यह वही विपक्ष है जिसके शासनकाल में फाइलें कम और डील ज्यादा होती थीं। आज जब हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के तहत हर स्तर पर पारदर्शिता लागू की है और वर्षों से चली आ रही कमीशन की नहरें बंद की हैं। इसलिए शोर मचाना विपक्ष की राजनीतिक मजबूरी बन गया है। बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाने में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। मैंने पहले भी बोला था कि झूठ बोलने में अगर पी0एच0डीऋ किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है। ये बार-बार झूठ की पी0एच0डी0 करते रहते हैं। अगर बेबुनियाद आरोप का ओलंपिक लगाने की यदि कोई प्रतियोगिता होत तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हिमाचल में स्वर्ण पदक जीतते और एक नया रिकॉर्ड बनाते। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत देखकर एक शेर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं

ना खंजर उठेगा, ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं।
हकीकत से कोसों दूर बैठे हैं ये, फकत झूठ के पुल बनाए हुए हैं।

20.11.2026/1235/वाई0के0/ए0पी0/-02

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष बार-बार एक ही बात कहता है और सुबह शाम टेंडर प्रक्रिया की रट लगाए रखता है। इनका कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। आपकी सरकार तो ठेकेदारों से भरी हुई है। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी तो उन्होंने ही की होगी। ये कहते हैं कि लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में टोकन नहीं दिए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप बताइए, हमने पूरे लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में पूरी पारदर्शिता के साथ टोकन देने की व्यवस्था की है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी ....

20.11.2026/1240/AT/AG /01

मुख्य मंत्री जारी....

अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष को यह बात सीखनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मशीनें खरीदी गईं। एम0आर0आई0 थ्री टेस्ला मशीन खरीदी गई। जय राम जी के समय नेरचौक में भी एम0आर0आई0 थ्री टेस्ला मशीन खरीदी गई। इसके बावजूद लोगों को बाहर से ही एम0आर0आई0 करवानी पड़ती है। गरीब लोगों को बाहर एम0आर0आई0 करवाने के लिए दस हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। उसकी गुणवत्ता क्या थी? सबसे निम्न गुणवत्ता की मशीन इन्होंने लगाई। ऐसा क्यों किया? ताकि private को फायदा हो सके। हमने कहा कि यह हिमाचल के किसानों, युवाओं और बीमार लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। हमने फैसला किया तो ये लोग पैसों के माध्यम से हमारे हाथ बाँधने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा कि हम मशीनें खरीदेंगे और ऐसी मशीनें भारत सरकार की कंपनियों के माध्यम से खरीदेंगे। आज ये नड्डा जी पर उंगली उठा रहे हैं। आप भारत सरकार और मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ये कंपनियाँ केंद्र सरकार के अधीन हैं क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है। यदि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, तो उनसे पूछिए और वहां ई0डी0 भेजिए।

अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान) ये बेचारे... (व्यवधान) आप अच्छा है... (व्यवधान) सभी गुट अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते हैं। यह भी एक स्थिति है। अभी विपिन सिंह परमार जी का गुट सक्रिय है। पहले राकेश शर्मा जी थे। ये सब जय राम ठाकुर जी के गुट को कमजोर कर रहे हैं। अब ये उनके विचारों का... (व्यवधान) विश्वस्तरीय रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई। इससे डॉक्टरों की सोच बदली। आम आदमी को तीस हजार रुपये में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दी गई। धीरे-धीरे हम इसके रेट बढ़ा रहे हैं। आज उस रोबोटिक सर्जरी से कितने परिवारों को राहत मिली है और कैंसर के मरीज भी कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। यह सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम होता है। आज भारतीय जनता पार्टी नियम 67 के अंतर्गत प्रस्ताव तो लेकर आई लेकिन प्रस्ताव लाने के बाद जब इस पर बोलने की बारी आई तो भावनात्मक रूप से आकर आधे घंटे में ही कुछ सोच-विचार किए बिना प्रस्ताव तैयार करके आपके सामने रख दिया। जब हम

20.11.2026/1240/AT/AG /02

कागज देने लगे और दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे थे तब ये बिना किसी कागज के आरोप लगा रहे थे। इनके मित्र पत्रकार बंधु भी इन्हें सलाह देते हैं कि ऐसा बोलो, वैसा बोलो। मैं उन मित्र पत्रकार बंधुओं से भी पूछना चाहिए था कि पहले कागज तो दिखाइए। इनकी सरकार चलती नहीं है। हम लोगों को पता है कि जब हम सरकार में आए हैं तो मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और अधिकारी बैठे हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह हमारी सरकार को कोई ऐसा प्रेम-पत्र लिखे कि सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान) चिंता मत कीजिए, मैं सबका ही हूं। यह बात याद रखना। अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें और कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)...सुन लीजिए, सुन लीजिए। इथिकल वर्क्स की बात की गई।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक बात हमारे उप-मुख्यमंत्री साहब के बारे में भी कही गई कि परचेज कमेटी का अध्यक्ष उप-मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन आपने उसका नाम बदल दिया।

श्री टी0सी0वी0द्वारा जारी....

20.11.2026/1245/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
मुख्य मंत्री ... जारी

अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि किसी फाइल से संबंधित मंत्री प्रदेश से बाहर हो या इंटरेस्ट न हो तो ऐसी स्थिति में जब उस फाइल पर किसी अन्य अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाती है तो वह जिम्मेदारी एम0डी0 को दी जाती है। यदि कोई अधिकारी इस मामले में गलत तरीके से सम्मिलित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि इनके समय में इलेक्ट्रिकल कार के 30 रूट दिए गए थे और वे सभी फेल हो गए। झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। हमारे द्वारा 30 की 30 बसों के रूट सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। मैं इलेक्ट्रिकल बसों के बारे में भी एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि रेंज के हिसाब से इलेक्ट्रिकल बसों का टेंडर 180 किलोमीटर के आधार पर हुआ था जबकि इनकी औसत रेंज 193 किलोमीटर आ रही है। कई बसों ने एक बार चार्ज होने के बाद 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। शिमला से मनाली जाने वाली इलेक्ट्रिकल बस एक बार चार्ज करने पर 245 किलोमीटर तक चली। इसी प्रकार पडोगा से चंडीगढ़ जाने वाली बस एक बार चार्ज करने पर 276 किलोमीटर चली।

अध्यक्ष महोदय, बी0जे0पी0 के कार्यकाल में ट्रायल रन का कोई प्रावधान नहीं था जबकि हमारे कार्यकाल में ट्रायल रन का भी प्रावधान किया गया है। वाहन खरीद समितियों में नॉन-ऑफिशियल मेंबर की व्यवस्था वर्ष 2008, 2013, 2018 और 2023 में भी रही है। इन समितियों में हमेशा से नॉन-ऑफिशियल मेंबर के रूप में टैक्निकल सदस्य शामिल होते रहे हैं। इसलिए यह आरोप भी झूठा साबित हुआ है।

मैं हमीरपुर बस स्टैंड की बात भी करना चाहता हूं। सत्ता हासिल करने के लिए बड़े-बड़े माइनिंग और ठेकेदार राजनीति में आकर अपने धन को दोगुना करना चाहते हैं। यह राजनीति की एक प्रक्रिया बन गई है ताकि सत्ता के केंद्र बिंदु में आकर अपने हिसाब से कार्य किए जाएं। हिमाचल प्रदेश की सरकार इस प्रकार की प्रवृत्ति को पूरी तरह समाप्त

करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम आने वाले समय में सभी प्रकार की टेंडर प्रक्रिया और एम0बी0 को भी ऑनलाइन करेंगे। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री जय

20.11.2026/1245/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

राम ठाकुर जी के समय ट्रॉमा सेंटर, आई0जी0एम0सी0 (शिमला) में 236 प्रतिशत की डिविएशन्स हुई थीं। आप बिट्टू वर्मा (श्री बलबीर सिंह वर्मा) जी के बारे में बात कर रहे थे। आपके समय में सकरोटरी से मनियोटी 82 प्रतिशत तथा बैरिस रोड भवाना से गुम्मा में 133 प्रतिशत डिविएशन्स हुई थीं।

अध्यक्ष महोदय, ये जो हमीरपुर बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी यदि ये सुनेंगे तो इन्हें अच्छा लगेगा। अगली बार जब कभी जीवन में विधायक बनने का मौका मिलेगा तो आप उसमें सुधार कर लेना। मण्डी जोन में

एन0एस0 द्वारा .... जारी

20-11-2026/1250/NS-AS/1

मुख्य मंत्री ------जारी

कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग, पद्दर में 127 प्रतिशत डेविएशन हुई। ...(व्यवधान) आप ठेकेदारों की बात पर मत जाया कीजिए। कुछ ठेकेदार पहले से हैं वे आपको पूरी तरह उजाड़ने में लगे हुए हैं। हम तो फिर भी आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। जिनकी सलाह पर आपने 'हिमाचल ऑन सेल' लाया है यह आपके लिए उल्टा है। ये जिन्होंने जमीनें खरीदीं उन्होंने आपसे 'हिमाचल ऑन सेल' लाया है। हमीरपुर बस स्टैंड का निर्माण आरंभ में 49.59 करोड़ रुपये से किया गया था जिसे बढ़ाकर 123 करोड़ रुपये किया गया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उसमें दो स्टोरी एक्सट्रा बनीं और उसमें तीन टेंडर हुए हैं। जो टेंडर 37 करोड़ रुपये का था वह आपके समय में लगभग 90 करोड़ रुपये का गया। इसके बावजूद आपके समय में उससे कम डेविएशन में हुआ था। ...(व्यवधान) अब पीटरहॉफ की बात सुनिए। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब एक और बात बताना चाहूंगा। हिमकेयर योजना

हिमाचल के लोगों के लिए थी। हिमकेयर हिमाचल के लोगों के लिए थी। इन्होंने इसमें क्या किया? ...(व्यवधान) मैं तो बचपन से नारे लगाता आया हूं। एक और शेर सुना देता हूं।

सफाई देने की जरूरत नहीं है मुझे, वक्त सब बता देगा

कौन सच्चा था और कौन झूठा।

...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं हिमकेयर की बात कर रहा हूं। श्री जय राम जी बार-बार हिमकेयर की बात करते हैं। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन डॉ0 जनक राज जी ने एक बयान दिया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जनक राज जी ने कभी किसी पुरूष की बच्चेदानी का ऑपरेशन किया है? वे कहते हैं कि मैं सर्जन हूं।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

20.11.2026/1255/RKS/AS-1

मुख्य मंत्री... जारी

अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाना चाहूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट करना था। इन्होंने नियम-67 के तहत 'हिमाचल ऑन सेल' पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस संबंध में मेरी श्री हर्षवर्धन चौहान, श्री मुकेश अग्निहोत्री और श्री जगत सिंह नेगी जी से बात हुई। मैंने आपसे भी बात की थी। इनके पास कोई तथ्य तो है नहीं लेकिन फिर भी हमने कहा कि हिमाचल ऑन सेल के प्रस्ताव पर यह सदन चर्चा करे। मुझे आज इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है और कुछ लोग मेरी बात इस हल्ले के कारण नहीं सुन सके इसलिए मैं अपनी बात को दोबारा बताना चाहता हूं कि हिमाचल कैसे बिका, क्यों बिका, किस प्रकार बिका और किसने बेचा? क्योंकि ये तथ्य आपके सामने आना जरूरी है। एक तरफ हिमाचल के रक्षक हैं जो हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और दूसरी तरफ हिमाचल के भक्षक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। श्री जगत सिंह नेगी जी के बयान को लेकर इनका मूड पहले से ही बना

हुआ था। श्री जगत सिंह नेगी जी ने अपने बयान में कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने हमेशा सम्मान किया है और सम्मानित किया है। पहली बार इंडस्ट्रियल प्लॉट में अशोका की लीज को रियल एस्टेट में बदला गया। इसकी कहानी तब समझ आती है जब आप देखते हैं कि कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर किसी बड़े उद्योगपति को 300 बीघा जमीन दे दी जाती है और दूसरी तरफ हिमाचल के युवाओं को यदि बद्दी में इंडस्ट्री लगाने के लिए प्लॉट लेना हो तो उन्हें मार्केट रेट पर जमीन दी जाती है। ऐसा क्यों है? 300 बीघा जमीन देने का उद्देश्य यह था कि वहां इंडस्ट्री नहीं लगेगी और बाद में सरकार में आकर इसे रियल एस्टेट में बदल दिया जाएगा और वहां फ्लैट बनाए जाएंगे। मैं कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत दिए गए एक प्लॉट की कहानी बता रहा हूं। यह बद्दी और नालागढ़ की हजारों करोड़ रुपये की जमीन का मामला है। इसके बाद देखिए कि किन-किन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर 1 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर की दर से 300 बीघा जमीन दी गई। यह कितना बड़ा घपला है। इसके अतिरिक्त बिजली पर मिलने वाली 3 रुपये प्रति यूनिट की छूट भी माफ कर दी गई। अभी तक उस प्रोजैक्ट को स्थापित करने की दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है। हमारी सरकार ने जब इस मामले की जांच की और यह पता लगाने का प्रयास किया कि कहीं इंडस्ट्री प्लॉट के नाम पर रियल एस्टेट का धंधा तो नहीं किया जा रहा है और हिमाचल को तो नहीं बेचा जा रहा है तब

20.11.2026/1255/RKS/AS-2

इस मामले की वास्तविकता सामने आई। जब हिमाचल ऑन सेल की बात सामने आई तो यह भी पता लगा कि आने वाले समय में 300 बीघा के अलावा एक और प्रोजैक्ट है। मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। लगभग 4,000 बीघा बहुत बड़ी जमीन एस0एम0पी0 एम्युनिशन के नाम पर 1 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर की दर से दे दी गई। इसमें क्या होगा? 5 साल बाद जब सरकार सत्ता में आती है और चली जाती है। यदि गवर्नमैंट की पॉलिसी में बदलाव आता है तो यह भूमि रियल एस्टेट के कारोबार में चली जाएगी। जो भूमि एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर दी जाती है वह ऐसा क्यों किया जाता है? यह इसलिए किया जाता है ताकि उद्योग के नाम पर भूमि लेकर रियल एस्टेट का कारोबार किया जाए। इसका एक उदाहरण दर्शाने वाला दस्तावेज मैंने यहां सदन में रखा है। इस तरह प्रदेश की संपदा को बेचा जाता है और हिमाचल ऑन सेल किया जाता है। इनके पास

आज कोई दस्तावेज नहीं थे। हमारी आज की बैठक में जब यह निर्णय हुआ कि आज हम दस्तावेज देने वाले हैं तो इनके पास कोई कागज ही नहीं था। एक और जगह डेढ़ सौ बीघा भूमि इंडो फार्म को दे दी गई और 30 एकड़ भूमि अन्य लोगों को दी गई। अब तकरीबन 4,000 से 5,000 बीघा भूमि नालागढ़-बद्दी में 1 रुपये के हिसाब से 99 वर्षों की लीज पर दे दी जाए तो क्या 'हिमाचल ऑन सेल' नहीं है? यह 'हिमाचल ऑन सेल' ही है। यह नियम 67 के अंतर्गत जवाब देने का विषय था लेकिन हमें पता था कि इन्होंने इस पर हल्ला करना है। इसलिए मैंने भी आज के लिए अपनी पूरी एनर्जी बचाकर रखी हुई थी। मैंने सोच रखा था कि एक घंटा ये नारे लगाएंगे और एक घंटा मैं बोलूंगा। इसके बाद आधा घंटा और भी बोलूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह 'हिमाचल ऑन सेल' है जिसके दस्तावेज आपके पास हैं। ये लोग नीचे बैठकर मेरी बात सुन रहे होंगे। सिराज में एक कल्चरल सैंटर के नाम पर होटल बना।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

20.11.2026/1300/बी.एस./डी.सी.-1

मुख्य मंत्री जारी...

उसे हम क्यू0सी0 बी0 के आधार पर देंगे। चलों आपने उसके हिसाब से राशि देनी थी। लेकिन उसमें भी मेरिट को बदल दिया गया। इसमें पहले 70 प्रतिशत प्रेजेंटेशन के होते थे और 30 प्रतिशत बीडिंग के आधार पर निर्धारित होते हैं। बाद में इस अनुपात को बदलकर 80 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कर दिया गया। इसके बावजूद उस होटल को नॉमिनेशन के आधार पर क्लब महेंद्रा को दे दिया गया। इसमें कोई बात नहीं है लेकिन आरोप लगाने से पहले उन लोगों के बारे में सच्चाई और तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए जो ईमानदारी से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं जिन लोगों के योगदान से इस प्रदेश की संपदा वाइल्ड फ्लावर हॉल को बचाया है।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, एक मिनट कृपया बैठ जाइए। इससे पहले कि मैं सदन को भोजनावकाश के लिए स्थगित करूं मैं माननीय सदन की सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि तिब्बतीयन गवर्नमैंट जिसका हैडक्वार्टर धर्मशाला में है उसकी माननीय अध्यक्ष मिस डोल्मा आज की कार्यवाही को देखने के लिए हमारी वी0आई0पी0 गैलरी में उपस्थित हैं।

उनके साथ छह माननीय सांसद भी आज की सदन की कार्यवाही को देखने के लिए यहां उपस्थित हैं। मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। साथ-ही-साथ तिब्बतीयन पार्लियामैंट्री सेक्रेटरी का स्टाफ भी यहां उपस्थित है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों की राय है कि लंच से पहले ही चर्चा का उत्तर समाप्त कर लिया जाए।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप कितना समय लेंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 15-20 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

Speaker: The House is extended till 1.30 p.m. and thereafter we will go for the lunch break.

20.11.2026/1300/बी.एस./डी.सी.-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, फिर वाइल्ड फ्लावर हॉल का विषय आया। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो मैंने सभी प्रोजैक्ट्स का अध्ययन किया। लगभग एक महीने तक मैं और उप-मुख्य मंत्री जी प्रदेश की स्थिति का अध्ययन करते रहे। इस दौरान हमने कोई भी कैबिनेट विस्तार नहीं किया। सबसे पहले हमने प्रदेश की वास्तविक स्थिति और आर्थिक स्थिति को समझा। इस अध्ययन के दौरान कुछ तथ्य हमारे सामने आए। सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण कई बार प्रदेश की संपत्ति को बचाना संभव नहीं हो पाता। जहां राजनीतिक और सरकारी दृढ़ इच्छाशक्ति कमजोर पड़ जाती है वहां प्रदेश की संपदा कभी-न-कभी खतरे में पड़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इन संपदाओं की सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया। हमने उस केस को लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल की। सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने के बाद अगले सात दिनों के भीतर हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल का टेकओवर अपने पास लिया और उसका इंतकाल भी करवाया। वास्तव में वह प्रॉपर्टी पिछले 23 वर्षों से प्रदेश की थी। वह हिमाचल की जनता की संपत्ति थी लेकिन

23 वर्षों से उस प्रॉपर्टी से हमें एक भी रुपया प्राप्त नहीं हो रहा था। हर बार उसमें हमारा शेयर कम किया जा रहा था।

हमने 23 वर्षों की राशि का ब्याज सहित कैलकुलेशन किया और 401 करोड़ रुपये हिमाचल के खजाने में लाए। इसके बाद हमने यह शर्त रखी कि जब तक आप 401 करोड़ रुपये जमा नहीं करवाएंगे तब तक आप बोली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने 401 करोड़ रुपये देने पर अपनी सहमति जताई। जब उनसे पूछा गया कि बोली किसने लगानी थी? मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बोली नहीं लगानी है। भारत सरकार की एक केंद्रीय एजेंसी एम0एस0टी0सी0 (माइनर मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन) के माध्यम से बोली लगाई गई थी। भारत सरकार की इस केंद्रीय एजेंसी ने पूरी प्रक्रिया संपन्न करवाई। वाइल्ड फ्लावर हॉल में ऑनलाइन रिवर्स बोली हुई। आज प्रदेश को उस प्रोजेक्ट पर गर्व महसूस होना चाहिए क्योंकि उससे हमें पौने 2 करोड़ रुपये मिलने हैं। हमने उसमें यह शर्त भी लगाई थी कि न्यूनतम गारंटी 24 करोड़ रुपये होगी। होटल बंद रहने की स्थिति में भी हमें 24 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रॉस रेवेन्यू का 47 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलेगा।

20.11.2026/1300/बी.एस./डी.सी.-3

यानी जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू ही 100 करोड़ रुपये है उससे हिमाचल प्रदेश सरकार को हर साल 35 से 40 करोड़ रुपये के बीच राजस्व प्राप्त होगा। इसे कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति और इसे कहते हैं कि हम किसी को भी नॉमिनेशन के आधार पर प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं। दूसरा दीपा साही की एक कंपनी आई। वह फिल्म अभिनेत्री थीं।

उत्तराखंड में भी उस कंपनी ने एक प्रॉपर्टी ली थी। जब मनाली में गोल्फ कोर्स का प्रोजेक्ट उस कंपनी को दिया जा रहा था तब वह कंपनी उत्तराखंड में डिफॉल्टर थी। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 200 बीघा जमीन थी। मेरे ख्याल से आदरणीय सुन्दर सिंह ठाकुर जी इसे अच्छी तरह से जानते हैं वह 124 बीघा जमीन थी जिसकी कीमत 500

करोड़ रुपये से अधिक होगी। इसके बावजूद उन्हें लाभ पहुंचाया गया और प्रदेश की संपदा को बेच दिया गया।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

20.11.2026/1305/डीटी/डीसी-1

मुख्य मंत्री... जारी

वर्ष 2017 से 2022 के दौरान हिमाचल ऑन सेल हो गया। यही नहीं इन्होंने स्टांप ड्यूटी भी एक्जेम्प्ट कर दी। यदि हिमाचल का कोई युवा बद्दी और नालागढ़ या हिमाचल प्रदेश के किसी अन्य स्थान पर प्लॉट खरीदना चाहता है तो उसको मार्केट रेट के हिसाब से स्टांप ड्यूटी ली जाती थी। उस मार्केट रेट पर आठ प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगेगी और महिलाओं से भी उस समय आठ प्रतिशत स्टांप ड्यूटी ही ली जाती थी। अगर उस जमीन की पांच हजार करोड़ रुपये वैल्यू लगाई जाए तो उस पर 8 प्रतिशत के हिसाब से स्टांप ड्यूटी का आकलन करे तो इसकी कितनी कीमत बनती है। जबकि आज वहां प्रोपर्टी की वैल्यू दो करोड़ रुपये प्रति बीघा है। इन्होंने आठ प्रतिशत के हिसाब से वह चार सौ से पांच सौ करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी भी माफ कर दी। यही हिमाचल ऑन सेल है। हिमाचल के युवाओं को तो महंगे प्लॉट मिलें लेकिन बड़े-बड़े उद्योगपतियों को एक रुपये लीज में प्लॉट दिए जाएं तो यह कैसा पैमाना है? यह प्लॉट उस समय दिए गए। यदि इससे वैट या एक्साइज आती तो वह अलग बात थी। उस समय वर्ष 2007 से 2012 तक प्रदेश में जी0एस0टी0 लागू हो चुका था। जी0एस0टी0 कंज्यूमर ड्रिवन है। जहां कंज्यूमर कुछ खरीदेगा वहां जी0एस0टी0 लागू होगा। जी0एस0टी0 प्रोडक्शन ड्रिवन नहीं है। बद्दी एशिया का 35 प्रतिशत फार्मास्यूटिकल हब है। वहां से हमें चार हजार करोड़ रुपये प्राप्त होते थे। भारत सरकार की जी0एस0टी0 काउंसिल ने हमें कंपंसेशन सेस देने की बात की थी और पांच वर्ष के लिए 3,200 करोड़ रुपये दिए भी थे। इन्होंने उस समय कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत रिबेट भी दी थी। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को ऑन सेल कर दिया। अब विपक्ष के नेता किसके कहने पर यह प्रस्ताव लेकर आ गए? अभी मैंने गग्गल एयरपोर्ट की बात बताई। गग्गल एयरपोर्ट के लिए जो जमीन खरीदी गई वह फर्जी कृषक सर्टिफिकेट के खरीदी गई और उसकी जांच के लिए हमने एस0आई0टी0 गठित की है।

इन्होंने अपने समय में जमीन खरीदी थी लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमें धीरे-धीरे इसकी जानकारी मिल रही है और हम इस पैसे को सरकार के खाते पर जमा करवाएंगे और लोगों को आवंटित करेंगे। हम यह हिमाचलियों को देंगे। हम उन सभी ऑफिसर्स को भी देंगे जो हिमाचल की सेवा में लगे हुए हैं।

20.11.2026/1305/डीटी/डीसी-2

अध्यक्ष महोदय, एक कंपनी के खिलाफ धारा 118 का केस चल रहा है उस प्रोपर्टी को सेल करने की भी इन्होंने परमिशन दे दी। अब बताइए कि हिमाचल ऑन सेल कौन कर रहा है? जो यह प्रस्ताव लेकर आए थे वे तो यहां से खिसक गए। उन्हें यह बात सुननी ही नहीं थी । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह इन्होंने कई बार इलेक्ट्रिकल बसों की बात कही। हरोली से पडोगा तक एक इलेक्ट्रिकल बस चलाई गई थी। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी? उसमें यह था कि उप-मुख्य मंत्री शायद यह देखना नहीं चाहते थे। इसकी फाइल मेरे पास आई उसमें अधिकारी ने आउट लिखा था। किसी अधिकारी की यह हिमत नहीं है कि वह उप-मुख्य मंत्री को बिना पूछे आउट लिखें। उसमें पावर कमेटी के चेयरमैन एम0डी0 बन गए। इसमें कोई इंटेट नहीं थी। अगर कोई सेक्रेटरी उप- मुख्य मंत्री को Power Purchase Committee से हटाता है तो वह पूछकर ही ऐसा करता है। उप- मुख्य मंत्री आउट थे इसलिए एम0डी0 Power Purchase Committee का चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन बनने के बाद क्या जो एम0डी0, आई0ए0एस0 ऑफिसर होता है वह इसमें कोई घपला कर सकता है? पूरी Electric Bus की कंडिशन देखी गईं। आज तक जितनी भी बसें खरीदी जाती थीं उनमें मेंटेनेंस का कार्य बाहर की कंपनी नहीं करती थी। इन बसों की 12 वर्ष की मेंटेनेंस फ्री है। यदि एक भी Electric Bus खराब होती है तो संबंधित कंपनी 12 वर्ष तक उसकी मेंटेनेंस करेगी तथा इसके लिए किसी अतिरिक्त स्टाफ की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके एक चार्ज में 180 किलोमीटर चलने की शर्त के साथ टेंडर प्रोसेस की प्रक्रिया की गई थी। इस टेंडर में दो टीमों ने भाग लिया। एक वर्ष में 180 किलोमीटर की निर्धारित क्षमता के स्थान पर ये बसें 246 और 276 किलोमीटर तक चलीं। तीसरी बात यह है कि यदि मेरे सामने कहीं भी करप्शन का कोई मामला आता है तो हमने अभी तक उनकी पेमेंट नहीं की है। यदि पेमेंट नहीं की गई है तो इस संबंध में जो भी फैसला आएगा उसके

अनुसार हम उनकी पेमेंट पूरी तरह रोक देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रदेश के पर्यावरण के हित में उठाया गया कदम है। मैंने अपने पहले बजट में 300 इलेक्ट्रिक बसिज खरीदने की बात कही थी और अब हम 1,000 और इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने की बात कर रहे हैं जो अगले

श्री ए0पी0 द्वारा जारी

20.11.2026/1310/एच0के0/ए0पी0/-01

मुख्य मंत्री जारी .....

हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। अपने पहले बजट में मैंने 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की बात की थी और अब हम 1,000 और इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की बात कर रहे हैं, जो अगले छह महीने में आ जाएंगी। हमारा उद्देश्य हिमाचल को पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर बनाना और रेवेन्यू की दृष्टि से एच0आर0टी0सी0 को भी सेल्फ रिलायंट बनाना है। इस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। एक हमीरपुर बस स्टैंड की बात कर रहे हैं। हमीरपुर बस स्टैंड की 59 करोड़ रुपये की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल थी। वह 25 प्रतिशत बिलो पर चला गया था। लेकिन 25 प्रतिशत बिलो पर काम मिलने के बाद भी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 59 करोड़ रुपये की ही रही। उसमें दो फ्लोर एक्स्ट्रा बनाए गए। जो बिल्डिंग बनी है, उसका पूरा सर्वे होगा कि उसमें कौन-सा मटेरियल लगा है और कौन-सा नहीं लगा है। इस संबंध में भी इनका कहना गलत है। इन्होंने अपने समय में ट्रॉमा सेंटर में 232 प्रतिशत डिविएशन दी थी। मैं यह नहीं कहना चाहता कि डिविएशन मुख्य मंत्री देते हैं। डिविएशन तो वहां के चीफ इंजीनियर देते हैं। मुख्य मंत्री उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से सेक्रेटरी और अधिकारियों के स्तर पर निर्णय लेते हैं। अगर इसमें भी कहीं कोई गलती होगी, तो हमारी सरकार जांच के लिए खुली है। लेकिन हिमाचल ऑन सेल के मुद्दे पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप कहां सोए हुए थे? विडंबना यह है कि श्री जय राम ठाकुर जी के साथ पूरा विधायक दल नहीं है। श्री जय राम ठाकुर जी को रोज दिल्ली से डांट पड़ती है। इनके ही विधायक आकर मुझे बताते हैं। एक

गुट अलग नारे लगा रहा है तो दूसरा गुट भी अलग नारे लगाने लगता है ताकि मेरे पंद्रह मिनट पूरे हो जाएं और मैं अपनी बात बोल सकूं। मैंने भी सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी पांच गुटों में बंटी हुई है। अब मैं किस-किस गुट को संतुष्ट करता रहूंगा? मैं सभी गुटों को तो संतुष्ट नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर चीज में भारतीय जनता पार्टी के नियम-67 को हमने स्वीकार किया। हर चीज में हम भारतीय जनता पार्टी से कहते रहे कि आप अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेज तो लेकर आइए। हमारे कुछ पत्रकार बंधु भी ऐसे हैं जो कुछ कागज देकर खुश होते हैं और चाहते हैं कि हम इस प्रकार की बात करें। अब हिमकेयर की बात आ रही है। मैंने कहा

20.11.2026/1310/एच0के0/ए0पी0/-02

है कि हिमकेयर में घोटाला हुआ है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। पुरुषों के बच्चेदानी के ऑपरेशन के बिल बनाए गए जो नहीं होने चाहिए थे। महिलाओं के टेस्टिकल्स के बिल बनाए गए वह भी नहीं होने चाहिए थे। ये कौन लोग थे? अभी तो ऐसी कई चीजें और हैं। यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा करवाए गए ऑडिट की रिपोर्ट है। विजिलेंस की इंक्वायरी धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी तो न जाने कितनी चीजें सामने आएंगी, क्योंकि तब उनके पास कानूनी आधार होगा। हिमकेयर योजना आम लोगों और गरीब किसानों के लिए थी ताकि उन्हें इसका फायदा मिल सके। लेकिन इन्होंने उसमें भी घोटाला कर दिया। हर चीज में घोटाले के आरोप लगाकर और हिमाचल ऑन सेल का मुद्दा लेकर ये हमारे पास आते हैं।

ये कहते हैं कि 15 लाख और 20 लाख रुपये के टोकन हैं। पी0डब्ल्यू0डी0 में भी टोकन हैं। जब ट्रेजरी को रेगुलेट करना होता है और परिस्थितियों के हिसाब से सरकारें चलती हैं। मैं भी एक सरकार का मुखिया हूं, एक परिवार का मुखिया हूं। जनता ने मुझे 28 लाख परिवारों का मुखिया बनाकर भेजा है। जिस तरह किसी आम परिवार की इनकम 10 हजार रुपये से घटकर 4 हजार रुपये रह जाए और पिछले 75 सालों से आर0डी0जी0 के रूप में चली आ रही एक प्रथा को बंद कर दिया जाए तो उस परिवार को व्यवस्थित करना पड़ता है और व्यवस्थित करके आगे लाना पड़ता है। उसी तरह इन्होंने हमारे 8,000 करोड़ रुपये

काट दिए। अब हम पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहे हैं। हम न तो किसी की सैलरी को बंद होने देंगे और न ही किसी की पेंशन रोकना चाहते हैं। जितने भी पेंशनर हैं उनके पेंशन एरियर का भुगतान भी हम धीरे-धीरे कर रहे हैं। हमारे सामने जो स्थिति आई थी और आर0डी0जी0 बंद होने के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई थीं उनसे हमने मिलकर पार पाया है। मैं अपने सभी विधायकों, मंत्रिमंडल के सदस्यों और सभी कर्मचारी-अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमने उस स्थिति को पार किया है। आने वाले समय में कभी भी किसी की सैलरी नहीं रुकेगी और न ही किसी की पेंशन रुकेगी। लेकिन एरियर का भुगतान हमें सिस्टमैटिक ढंग से करना होगा ताकि हम अपने आपको सस्टेन कर सकें, सेल्फ रिलायंट बना सकें और आत्मनिर्भर बना सकें। हम कब तक कटोरी लेकर केन्द्र के पास जाते रहेंगे? हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यह वर्ष हमारी आत्मनिर्भरता, स्थिरता और सस्टेनेबिलिटी का वर्ष है। वर्ष-2032 में निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश सबसे समृद्धिशाली राज्य होगा। बी0बी0एम0बी0 के

20.11.2026/1310/एच0के0/ए0पी0/-03

एरियर के मामले में मैं सदन के सामने दस्तावेज भी रखना चाहता हूं। उस समय मेरी यह कंडीशन थी। हमारे पावर सेक्रेटरी श्री राकेश कंवर जी भी उस समय वहां गए थे।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

20.11.2026/1315/AT/HK /01

मुख्य मंत्री जारी....

हमने कहा कि आप हमारे पानी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसके लिए 100 प्रतिशत भुगतान करेंगे। हमने यह भी कहा कि यदि किशाऊ परियोजना को लेकर समझौता करना है तो हरियाणा और केंद्र सरकार के समक्ष यह शर्त रखी जाए कि बी0बी0एम0बी0 का जो एरियर है उसके संबंध में बी0बी0एम0बी0 न्यायालय में शपथ-पत्र (एफिडेविट) दाखिल करे कि हम इस राशि का दावा करेंगे और इसका भुगतान शीघ्र किया जाएगा। साथ ही, केंद्र सरकार भी इसमें हमारी मदद करे। इसके बाद हमें बी0बी0एम0बी0 का एरियर मिला जिससे आने वाले 20 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के खजाने में 20 हजार करोड़ रुपये आएंगे।

यह किसकी इच्छाशक्ति थी? यह हमारी इच्छाशक्ति थी। यदि हमारी इतनी दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं होती तो यह संभव कैसे होता? इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री को बैठक करनी पड़ी। सी0 आर0 पाटिल की बैठक में हमने सबके सामने यह मुद्दा उठाया। उप-मुख्यमंत्री महोदय के साथ भी सी0 आर0 पाटिल ने इस विषय पर बैठक की। ये सभी बातें सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाती हैं। मैं जे0एस0डब्ल्यू0 का एक मामला भी बताना चाहता हूं। जे0एस0डब्ल्यू0 के मामले में न्यायालय ने भी कंपनी के पक्ष में फैसला दिया था जो हमें 6 प्रतिशत बिजली मिलनी थी। मैंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई कि ऐसा क्यों हुआ? डेढ़ साल तक इस मामले में अपील ही दायर नहीं की गई जबकि कंपनी 18 प्रतिशत बिजली का लाभ ले रही थी। इसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय गए और वहां से जीतकर आए। क्योंकि हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति को कोई खरीद नहीं सकता। हम यहां प्रदेश की संपदा के रक्षक बनकर आए हैं। चुनाव जब होगा, तब होगा। हम फैसले आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करते हैं केवल पांच साल की सोचकर नहीं करते। जहां प्रदेश के हित में आज कोई निर्णय लेना होता है हमारी सरकार वह निर्णय लेती है और आगे भी लेती रहेगी। यही हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं हिमकेयर योजना के विषय में भी बात करना चाहता हूं। हमारी सरकार आने वाले समय में प्रदेशवासियों के लिए एक ऐसी योजना पर कार्य कर रही है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा की राशि को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर दस लाख रुपये किया जाएगा। मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को यह आश्वासन देना चाहता हूं।

20.11.2026/1315/AT/HK /02

हर मामले में हम उनसे आगे हैं। यदि किसी दसवीं कक्षा के विद्यार्थी को भी हम दोनों सरकारों का तुलनात्मक विवरण बनाकर दें तो वह उन्हें शून्य अंक देगा और हमें 90 प्रतिशत से अधिक अंक देगा। हमारी कार्यप्रणाली यही दर्शाती है कि सुशासन के लिए अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था होना आवश्यक है। अच्छे शासन के लिए अच्छा प्रशासन जरूरी है। इसलिए हमें 90 से अधिक अंक मिलेंगे और उन्हें शून्य अंक मिलेंगे। यदी यह हिमाचल ऑन सेल जैसी प्रस्ताव नहीं लाते तो आज ये दस्तावेज मेरे पास कहां से आते? यह ऐसा

प्रस्ताव लाए जिसके कारण ये दस्तावेज हमारे पास आए। अभी विपक्ष के सदस्य यहां बैठे नहीं है नहीं तो मैंने उनको और भी बहुत कुछ बताना था।

अध्यक्ष महोदय, गग्गल एयरपोर्ट के आसपास जितनी भी जमीन बेनामी तरीके से खरीदी गई है हमारी सरकार उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। जिन लोगों ने सरकार से विधिवत अनुमति लेकर अपने नाम पर जमीन खरीदी है उनके विरुद्ध हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने सरकार की अनुमति के अनुसार ही जमीन खरीदी है। एक और बात कही जा रही है कि पीटरहॉफ को बेच दिया गया है। हम पीटरहॉफ को नहीं बेच रहे हैं। विधान सभा को ही बेचने की बात कह रहे हैं, जबकि विधान सभा एक अलग संस्था है। विधायिका (लेजिस्लेचर) और सरकार (गवर्नमेंट) दोनों अलग-अलग संस्थाएं हैं। हम पीटरहॉफ को नहीं बेच रहे हैं। मैं सदन को इस संबंध में स्पष्ट करना चाहता हूं कि वहां के भवन के डिस्मेंटलिंग (विघटन) का टेंडर है जो 27 तारीख को खोला जाएगा। उस भवन को डिस्मेंटल किया जा रहा है और वहां 100 से अधिक कमरे बनाए जाएंगे। इसका निर्णय लेने का अधिकार हमारा है। इसी प्रकार, द्वारका निकेतन के संबंध में भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वहां सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के लिए 30 कमरे रखने जा रहे हैं। इतना बड़ा हमारा होटल बना है, होटल तीन वर्षों में बनकर तैयार हुआ है। ये सभी कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किए जाएंगे।

यदि विपक्ष के नेताओं के पास कोई जानकारी है या उन्हें लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो वे बताएं कि क्या ठीक किया जाना चाहिए। हम उस पर भी ठीक करेंगे। लेकिन विपक्ष का रवैया तो सुबह से ही सदन से वाकआउट करने का रहा है। जगत नेगी जी के भाई ने भी इस प्रदेश की सेना में रहकर

20.11.2026/1315/AT/HK /03

रक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं। शिपकीला दर्रे को खुलवाने का कार्य यदि किसी व्यक्ति ने किया है तो वह जगत नेगी जी हैं। अब बातचीत के दौरान एक बात यह भी कही गई कि देशभक्ति की परिभाषा उनसे पूछी जाए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी है। मैं कहना

चाहता हूं कि देशभक्ति के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के नेताओं ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने शरीर पर 36 गोलियां सहीं और जब वे अपने आवास के दरवाजे से बाहर निकलीं तो उनके मुख से जय हिंद का नारा निकला। उनके बेटे ने भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। छत्तीसगढ़ के कई नेताओं ने भी देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी दी है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए वह नए-नए मुद्दे बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्हें लगता है कि दिल्ली में उनके ऊपर जो दबाव है।

श्री टी0सी0वी0द्वारा जारी....

20.11.2026/1320/टी0सी0वी0/वाई0के0-1
मुख्य मंत्री ... जारी

ये सपनों में बहुत विश्वास करने लगे हैं। सपने देखने चाहिए और अच्छे सपने देखने चाहिए कि मैंने आज यह सपना देखा है और कल इसे पूरा करूंगा। लेकिन इनके सपने अगले दिन पूरे नहीं हो पाते। इनके पास जो भी व्यक्ति काम लेकर आता है तो उसे ये काम पूरा करने का आश्वासन देते हैं। इनकी विधान सभा में विचित्र परिस्थिति पैदा होगी गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आपने नियम-67 के तहत जो स्थगन प्रस्ताव लाया है उस पर सदन में वोटिंग हो। मैं यह भी चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए घपलों और 'हिमाचल ऑन सेल' के विषय भी इन पर उल्टे ही पड़े हैं। इन्होंने ये इस प्रकार प्रस्तुत किए है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसलिए ये इस विषय पर सुनना नहीं चाहते थे। वे जय राम जी के ही दोस्त हैं जो हमें कागज देते हैं और जो हमारे संपर्क में हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि नियम-67 के तहत राजनीतिक लक्ष्य से लाए गए इस 'हिमाचल ऑन सेल' स्थगन प्रस्ताव को विड्रा किया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अभी इसमें वोटिंग होगी। This is the prerogative of the House, whether it is to accept or reject. इससे पहले विपक्ष की ओर से विधान सभा का जो रेफरेंस आया था, that is not a part of the record. Because that day itself, I said that Vidhan

Sabha premises cannot be discussed in the Vidhan Sabha by any of the Hon'ble Members and this will not be a part of the record. So referring Vidhan Sabha time and again, there is no point to refer there, because Vidhan Sabha is not a part of the Government. Vidhan Sabha is an independent Secretariat and the Speaker is as a custodian of the Vidhan Sabha to look after the Vidhan Sabha Secretariat. अब नियम-67 के अंतर्गत माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग होती है। मैं उसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि इस समय माननीय सदन में प्रतिपक्ष उपस्थिति नहीं हैं इसलिए मैं उनसे यह भी आग्रह नहीं कर सकता कि वे सैटिस्फाइड हैं या नहीं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को वोटिंग के लिए रख रहा हूं।

20.11.2026/1320/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

तो प्रश्न यह है कि 'अखण्ड भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के शासन में बिकता हिमाचल' विषय पर सदन विचार करे, इस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया जाए?

प्रस्ताव अस्वीकार

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री महोदय, श्री हर्षवर्धन चौहान जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री : सर, मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्स भी हैं। इसलिए अभी इन विधेयकों को पारित करवा लेते हैं। मुख्य मंत्री जी के भी एक-दो बिल्स हैं। उन्हें पारित करवा लेते हैं और शेष एजेंडा बाद में कर लेंगे।

Speaker : Okay, we start it. Though I am not well, but still I will cooperate with the Hon'ble Parliamentary Minister.

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक -एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ता (तीसरा संशोधन) (शिकायत निवारण मंच और लोकपाल) विनियम, 2025 जोकि अधिसूचना संख्याः एच.(1)-1/2012, दिनांक द्वारा 13.11.2025 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 18.11.2025 को प्रकाशित;

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग वितरण निष्पादन विनियम (तीसरा संशोधन) मानक, 2025 जोकि अधिसूचना संख्याः
20.11.2026/1320/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

एच.पी.ई.आर.सी.-401, दिनांक द्वारा 01.12.2025 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 06.12.2025 को प्रकाशित;

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ता (चौथा संशोधन) (शिकायत निवारण मंच और लोकपाल) विनियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः एच.(1)-1/2012, दिनांक द्वारा 18.02.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 20.02.2026 को प्रकाशित;

(iv) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग विचलन निपटान विनियम (तीसरा संशोधन) (तंत्र और संबंधित मामले), 2026 जोकि अधिसूचना

संख्याः एच.पी.ई.आर.सी.- एच.(1)25/2024, दिनांक द्वारा 28.03.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 30.03.2026 को प्रकाशित;

(v) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः एच.पी.ई.आर.सी./151-वॉल्यूम-III, दिनांक द्वारा 10.04.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 13.04.2026 को प्रकाशित;

(vi) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देना तथा टैरिफ निर्धारण के आठवां नियम और शर्तें संशोधन) विनियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः एच.पी.ई.आर.सी./428, दिनांक द्वारा 24.06.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 24.06.2026 को प्रकाशित;

20.11.2026/1320/टी0सी0वी0/वाई0के0-4

(vii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हिमाचल प्रदेश) विनियम (विद्युत ग्रिड कोड), 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः एच.पी.ई.आर.सी.-ग्रिड कोड (388), दिनांक द्वारा 18.06.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 27.06.2026 को प्रकाशित;

(viii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (रूफटॉप सोलर) विनियम (चौथा संशोधन) (पीवी ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम), 2026 जोकि अधिसूचना

संख्याः एच.पी.ई.आर.सी.-एच. (1)-11/2015, दिनांक द्वारा 19.08.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 22.08.2026 को प्रकाशित;

(ix) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ता (पांचवां संशोधन) (शिकायत निवारण मंच और लोकपाल) विनियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः एच. (1)-1/2012, दिनांक द्वारा 13.10.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 15.10.2026 को प्रकाशित;

(x) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 एवं 2024-25; और

(xi) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (b) के अन्तर्गत एसजेवीएन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2025-26।

20.11.2026/1320/टी0सी0वी0/वाई0के0-5

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2026-27), समिति का अष्टम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** तथा **महिला एवं बाल विकास निगम** से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति, कल्याण समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति का 57 वाँ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री आशीष बुटेल, सभापति, जन प्रशासन समिति, जन प्रशासन समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री आशीष बुटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन प्रशासन समिति का **21वां प्रतिवेदन** जोकि **कार्मिक विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष ----एन0एस0 द्वारा .... जारी

20-11-2026/1325/NS-YK/1

नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। श्री पवन कुमार काजल जी उपस्थित नहीं हैं तो नियम-62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव गिर गया। श्री राम कुमार जी उपस्थित हैं। I will request him that I will allow him but after passing the Bill. Because since Hon'ble Member Shri Ram Kumar present in the House, that's why I am giving this to you.

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल सकते हैं और मुख्य मंत्री जी उसका उत्तर देंगे। इस पर माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी की तरफ से अमेंडमैंट भी प्राप्त हुई है and he can participate in the discussion. आपने अमेंडमैंट दी है तो क्या श्री रणधीर शर्मा जी बोलना चाहते हैं?

20-11-2026/1325/NS-YK/2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो भोजनोवकाश का समय हो गया था लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने सोचा कि विपक्ष के विधायक सदन से बाहर हैं और उनकी अनुपस्थिति में विधेयक पारित करवा लेते हैं। इस तरह चोरी-छिपे काम करवाने की आदत इस सरकार की बन गई है। आप विपक्ष का सामना नहीं करना चाहते। आपमें विपक्ष का सामना करने की हिम्मत नहीं है। हमने अमेंडमैंट दिए हैं। आप हमें सदन से बाहर कैसे भेज सकते हैं? ...(व्यवधान) भोजनावकाश का समय हो गया था। मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे और आपने 15 मिनट अधिक लिए। इसमें कोई बात नहीं थी लेकिन विधेयक भोजनावकाश के बाद भी पारित हो सकता था।

Speaker : I think there will be a debate on this Bills, because I have received ...(Interruption)

श्री रणधीर शर्मा : वह ठीक है, मैं विधेयक पर ही बोलूंगा। परंतु सदन के अंदर इस तरह की राजनीतिक स्थिति पैदा करना उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप जैसे अध्यक्ष के रहते हुए ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपको इजाजत ही दी है। ...(व्यवधान) मेरे पास... एक मिनट, एक मिनट। बैठ जाइए। विपक्ष की तरफ से ...(व्यवधान) एक मिनट। मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं। एक मिनट बैठ जाइए। मैंने तो अपना ध्यान रखते हुए किया था।...(व्यवधान) क्योंकि विपक्ष की तरफ से सभी बिलों के ऊपर अमेंडमैंट दिए गए हैं और एक अमेंडमैंट माननीय राजेश धर्माणी जी भी गवर्नमैंट की तरफ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से इस बिल को पारित करने में काफी समय लगेगा। समय भी काफी हो गया है।

The House is adjourned for the lunch break and we will reassemble at 2.30 pm.

20.11.2026/1445/RKS/AS-1

Speaker: The House is adjourned for want of quorum. We will reassemble when the quorum is complete.

20.11.2026/1500/RKS/AS-1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 3.00 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष : अब हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाएगा। इस बिल पर श्री रणधीर शर्मा जी की ओर से एक अमेंडमेंट प्राप्त हुई है। मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेते हुए अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) प्रस्तुत किया है। मैंने इस बिल पर अमेंडमेंट दी है जो इस प्रकार है:-

Amendment No. 1-Clause 4(1) Protection of Existing Service Benefits That in clause 4(1), after the words "12th day of December, 2003", the following proviso shall be inserted:- **Amendment No. 2**-Clause 4(3) hat in

clause 4(3), after the existing provisions, the following proviso shall be inserted:- "Provided that no employee shall be deprived of his or her existing seniority without affording an opportunity of being heard." **Amendment No. 3**-Clause 7 Time-bound Review of DPC That after sub-clause (3), the following new sub-clause shall be inserted:- "(4) The Review Departmental Promotion Committee shall complete its review within six months and consider all eligible employees who were wrongly denied consideration for promotion." **Amendment No. 4**-Clause 18 That after sub-clause (2), the following new sub-clause shall be inserted:- "(3) Nothing in this Act shall adversely affect any service benefit, seniority, promotion or other right lawfully accrued to an employee before the commencement of this Act. मैं मानता हूं कि जो इस बिल में अमेंडमेंट की गई है वह पूरी तरह जनविरोधी है। **श्री बी0एस0 द्वारा जारी**

20.11.2026/1505/बी.एस./ए.जी.-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

सरकार मालवाहक वाहनों पर एक नया टैक्स लगाने का प्रयास कर रही है। पहले से ही इन वाहनों पर अनेक प्रकार के कर और टैक्स लगाए गए हैं। इसके बावजूद अब पर्यावरण के नाम पर एनवायरनमैंट सैस लगाया जा रहा है। यह न केवल ऑपरेटर्स बल्कि आम आदमी के लिए भी आर्थिक बोझ बनने जा रहा है। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो वहां छोटे मालवाहक वाहनों की स्थिति को देखना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर यदि 12 टन क्षमता वाले वाहन की बात करें तो उस वाहन को पहले एन0एच0ए0आई0 के बैरियर पर लगभग 650 से 700 रुपये शुल्क देना पड़ता है। इसके लगभग 2 किलोमीटर बाद हिमाचल प्रदेश का एंट्री टैक्स लगता है जिस पर लगभग 400 रुपये फीस देनी पड़ती है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने 25 रुपये प्रति टन पर्यावरण उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है। इसका मतलब यह है कि 12 टन क्षमता वाले वाहन पर 300 रुपये अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और 24 टन क्षमता वाले वाहन पर 600 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। अध्यक्ष महोदय, आखिरकार ट्रांसपोर्टर यह पैसा अपनी जेब से नहीं देगा। इसका पूरा बोझ अंततः आम

जनता पर पड़ेगा और इससे महंगाई बढ़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने पिछले चार वर्षों में तरह-तरह के टैक्स लगाकर पहले ही जनता पर आर्थिक बोझ डाला है। इससे पहले भी बिजली की दरें महंगी करने के लिए टैक्स लगाया गया। शराब पर मिल्क सैस लगाया गया। बिजली पर भी मिल्क सैस लगाया गया और बिजली पर एनवायरनमैंट टैक्स भी लगाया गया। इसके अतिरिक्त पेट्रोल और डीजल पर सैस लगाकर सरकार पहले ही ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ा चुकी है। अब पेट्रोल और डीजल के बाद एक नए नाम से सैस शुरू किया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा आर्थिक बोझ प्रदेश की जनता पर विशेषकर ट्रांसपोर्टरों पर पड़ने वाला है।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के नए टैक्स लगाने से परहेज किया जाए और ऐसा कोई अतिरिक्त टैक्स न लगाया जाए।

20.11.2026/1505/बी.एस./ए.जी.-2

पहले ही ट्रांसपोर्टरों पर बहुत सारे टैक्स लग रहे हैं। चाहे वह एन0एच0ए0आई0 के बैरियर का शुल्क हो या एंट्री टैक्स हो। इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्टर समय-समय पर विभिन्न प्रकार के टैक्स देते रहते हैं। जब वे गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं। टायर खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं और गाड़ी का कोई पुर्जा खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। इस प्रकार ट्रांसपोर्टरों पर पहले से ही बहुत अधिक आर्थिक बोझ है। अब इस नए पर्यावरण उपकर से उन पर और अधिक आर्थिक मार पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के पारित होने का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को वापस लिया जाए ताकि आम जनता विशेषकर ट्रांसपोर्टर इस आर्थिक बोझ से बच सकें। धन्यवाद।

20.11.2026/1505/बी.एस./ए.जी.-3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री द्वारा जो 'हिमाचल प्रदेश टैक्सेशन ऑन सर्टेन गुड्स कैरिड बाय रोड्स (अमेंडमैंट) बिल, 2026' लाया गया है उसमें सेक्शन 3ए, लेवी ऑन एनवायरनमैंट सैस का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 25 रुपये प्रति टन एनवायरनमैंट सैस लगाने का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह एनवायरनमैंट सैस सीधे-सीधे आम आदमी की जेब पर डाका है। इस सैस के लगने से हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक वस्तु महंगी होगी। चाहे वह खाने-पीने का राशन हो

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

20.11.2026/1510/डीटी/ए0एस0-1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी...

चाहे हमारा कंस्ट्रक्शन का मटीरियल हो या राज्य के भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी ट्रेड होगा उसमें चाहे बजरी हो या रेता हो, यदि ह सेस इन सभी पर लगाया जाएगा तो प्रत्येक ट्रक या गुड्स कैरियर का जो भी छोटा व्हीकल पर क्रमाः 600 ओर 300 रुपये का अतिरिक्त टैक्स लगेगा। जब यह टैक्स उन पर लगेा तो अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रदेश के सभी हाउसहोल्ड की जेब से जायेगा। मेरे जिले बिलासपुर में सबसे अधिक ट्रक ऑपरेटर्ज हैं। इस तरह प्रत्येक घर के ऊपर इसका प्रभाव इसलिए इसका प्रभाव पड़ेगा। बरमाणा से जब ये ट्रक चालक ट्रक निकलते हैं तो पहला बैरियर बरमाणा क्रॉस करते ही आ जाता है और पहला 650 रुपये का टोल टैक्स वहां देना पड़ता है। उसके बाद जब पंजाब में प्रवेश करते हैं तो वहां भी देना पड़ता है। इस सभी को यानी मल्टी एक्सल वालों को भी ये सेस देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, क्या यह हो सकता है कि एक ही नाम से हम प्रत्येक घर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं? अभी बिजली के बिल में भी एनवायरनमैंट सेस प्रत्येक घर से लिया जा रहा है। क्या एक ही टैक्स दोबारा प्रत्येक व्यक्ति पर लगाया जा सकता है? क्योंकि अब यह एनवायरनमैंट सेस ट्रकों और अन्य गुड्स कैरियर पर लगाया गया है, यह भी प्रत्येक हाउसहोल्ड से संबंधित है। इस प्रकार प्रदेश की जनता से एनवायरनमैंट सेस के नाम पर दो प्रकार से वसूली करने की योजना बनाई जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सेस

प्रदेश की जनता के खिलाफ है तथा मेरे बिलासपुर के ट्रक ऑपरेटर के खिलाफ है। एक टैक्स दो बार नहीं लगाया जा सकता। आप बिजली के बिल में भी एनवायरनमैंट सेस ले रहे हैं और अब गुड्स कैरियर पर भी एनवायरनमैंट लगा रहे हैं। क्या कल आप नलके पर भी एनवायरनमैंट सेस लेंगे? यह एनवायरनमैंट के नाम पर कैसा सेस है जो प्रत्येक व्यक्ति पर लगाया जाएगा?

इसलिए अध्यक्ष महोदय यह सैस बिल्कुल गलत है। यदि प्रदेश सरकार को कोई टैक्स लेना है तो एक व्यक्ति पर एक ही टैक्स लगाया जाए। ऐसा न हो कि इंडायरेक्ट वे में एक गरीब व्यक्ति पर 10 प्रकार के टैक्स लगा दिए जाएं। इसका प्रभाव तो उस राशन पर भी पड़ेगा जो प्रत्येक घर में पहुंचता है। यहां तक कि एक किलो चीनी और एक किलो दाल

20.11.2026/1510/डीटी/ए0एस0-2

पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सरकार को गरीबों के हितों के बारे में भी सोचना चाहिए। सरकार केवल रेवेन्यू इकट्ठा करनेके लिए नहीं होती। हम वेलफेयर स्टेट की अवधारणा में रहते हैं और यहां पर कोई भी सरकार लोगों की भलाई के लिए हैं न कि लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए। मैंने पहले भी कहा है कि बिजली के बिल में एनवायरनमैंट सेस इकट्ठा किया जा रहा है और अब हाउसहोल्ड के रूप में हिमाचल प्रदेश में आने वाले या यहां से बाहर जाने वाले गुड्स पर भी यह सेस लगाया जा रहा है। यहां तक कि सब्जियों सहित प्रत्येक वस्तु पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यही मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन और विनती करता हूं कि प्रदेश की गरीब जनता पर और सेस न लगाया जाए तथा इस बिल को विड्रॉ किया जाए।

20.11.2026/1510/डीटी/ए0एस0-3

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी।

Shri Jai Ram Thakur : Speaker, Sir, The Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried By Road) Amendment Bill, 2026 पर चर्चा से पहले हमारे

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी और श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने अपनी बात रखी है। हमारी समझ से परे है यह बात। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य होने के कारण हमारे यहां परिवहन का एकमात्र माध्यम सड़क मार्ग है। हमारे यहां रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है और सड़क मार्ग के अतिरिक्त कनेक्टिविटी का कोई अन्य साधन भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमारे पास परिवहन का जो भी माध्यम है वह केवल सड़क मार्ग ही है। सड़क मार्ग पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार इस अमेंडमैंट को सेस के रूप में लाने का प्रयास किया है उसका सीधा इम्पैक्ट आम आदमी पर पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टर अपनी जब से तो इस सेस को देगा नहीं, यह सच्ची बात है। ट्रांसपोर्टर पर यदि 300 रुपये प्रति टन के हिसाब से एडिशनल सेस लगाकर बोझ डाला जा रहा है तो यह बोझ सीधे आम आदमी और गरीब और आदमी पर ट्रांसफर होगा जो सही मायने में उपभोक्ता होंगे। इससे सामान महंगा होगा और अंततः इसका भार आम जनता को ही उठाना पड़ेगा। आप कितनी जगह सेस लगाएंगे? आपने हर चूल्हे पर सेस लगा दिया है। एनवायरनमैंट ऐसी चीज हो गई है जिसके नाम पर आप सेस लगाने के लिए कोई भी भूमिका बांधा देते हैं। बिजली पर भी एनवायरनमैंट सेस है और अब ट्रकों में जो भी सामान आएगा उस पर भी आप एनवायरनमैंट सेस लगा रहे हैं

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

20.11.2026/1515/ए0एस0/ए0पी0/-01

श्री जय राम ठाकुर जारी .....

आपने हर चूल्हे पर सेस लगा दिया है। एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है कि इसके नाम पर आप कुछ भी सेस लगाने का बहाना बना देते हैं। बिजली पर एनवायरनमेंट सेस है। अब गाड़ियों और ट्रकों पर जो सामान आएगा उस पर भी एनवायरनमेंट सेस है। हम इस बात को समझ सकते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि चार साल में प्रदेश की आर्थिकी और इकॉनमी का जो सत्यानाश वर्तमान सरकार ने किया है, वह सब लोग देख रहे हैं। हम मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहते थे कि मुख्य मंत्री जी आपने एक बार नहीं, अनेकों बार कहा है कि जो एक फॉर्मूला आपने छुपाकर रखा हुआ है। अब

प्रदेश उसे सुनना नहीं, बल्कि देखना चाहता है। वर्ष 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर होगा और उसके बाद वर्ष 2032 में हिमाचल देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का जो फॉर्मूला है या जो मॉडल है उसे आप दिखाइये तो सही? क्या आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला रखा हुआ है, जिसे आपने छुपाकर रखा है? आप गरीब आदमी पर सेस लगाए जा रहे हैं। उनका जीना आपने दूभर कर दिया है। ऐसी स्थिति में यह सीधा-सीधा गरीब लोगों के ऊपर बोझ है। इसलिए सरकार थोड़ी भी गरीबों की हितैषी है और आपके दिल में गरीबों के प्रति दया का भाव है तो आपको तुरंत प्रभाव से इस अमेंडमेंट और इस बिल को वापस लेना चाहिए ताकि गरीब आदमी ने जिस प्रकार से आपका बोझ सहा है और आपने उसका कचूमर निकाल दिया है। उसे कम-से-कम कुछ राहत महसूस हो सके। उन पर आप थोड़ा तो दया का भाव रखिए। इसलिए मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है रुक जाइए। वह फॉर्मूला क्या है? आप उस फॉर्मूले को ही बता दीजिए। लेकिन इस तरह गरीब लोगों के ऊपर बोझ डालना अनावश्यक है। मुझे लगता है कि आपको यह बिल वापस लेना चाहिए। आप इस पर विचार करें और इसे वापस लीजिए, धन्यवाद।

20.11.2026/1515/ए0एस0/ए0पी0/-02

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपनी बात उठाई है। इन्होंने कानून की बात न उठाकर चर्चा की दिशा बदलने की बात कही है। हिमाचल ऑन सेल वाली बात पर तो आप वॉकआउट कर गए। हम हिमाचल की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, हिमाचल की संपदा की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो हम यह एनवायरनमेंट सेस लेकर आए हैं। यह सेस किस चीज़ पर लगना है, **इस बारे में मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। न तो यह किसी ट्रांसपोर्टर पर लग रहा है, न किसी रेत वाले पर लग रहा है, न ही बजरी वाले पर लग रहा है और न ही बिलासपुर के किसी भी ट्रक वाले पर कोई सेस लग रहा है।** यह सेस प्रदेश की उस संपदा पर लगाया जा रहा है जो यहां से बाहर ले जाई जाती है। जैसे कि क्लिंकर है। क्लिंकर यहां से जाता है और हिमाचल की बॉउंड्री के बाद फैक्ट्री लगी हुई है, जहां सीमेंट बनता है। हिमाचल में सीमेंट महंगा है और हमारे क्लिंकर से जो सीमेंट बाहर बिकता है, वह सस्ता मिलता है। जो लोग प्रदेश की संपदा को बचाना चाहते हैं, वे ही तो इस बात पर गौर करेंगे। यह सेस उसी के लिए है और इसकी अधिकतम सीमा 25 रुपये

प्रति टन तक है। सैस लगाते समय हम फैसला करेंगे कि एक रुपये प्रति टन लगाना है, दो रुपये प्रति टन लगाना है या तीन रुपये प्रति टन लगाना है। यह बात उस सेस से संबंधित है। क्लिंकर यहां बन रहा है। सीमेंट पर हम यहां सेस ले लेते हैं, लेकिन वहां जो क्लिंकर बनकर जाता है और उसके साथ जो जाता है, उस पर हम किसी प्रकार का सेस नहीं लगा रहे थे। अब उसी पर सेस लगा रहे हैं और किसी चीज़ पर सेस नहीं लगा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रदेश की संपदा के कारण दूसरी जगह सीमेंट सस्ता मिलता है जबकि हिमाचल प्रदेश में महंगा मिलता है। इसलिए इसका फायदा प्रदेश की जनता को होगा। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी, प्रदेश के बाहर आज सीमेंट सस्ता मिलता है। जहां प्रदेश के खजाने की लूट की जाती है। हमारे हिमाचल प्रदेश में तीन सीमेंट की फैक्ट्रियां लगी हैं। लेकिन सीमेंट हिमाचल प्रदेश के लोगों को महंगा मिल रहा है। हमारी ही माइनिंग से बाहर सीमेंट बनाने वालों को सीमेंट सस्ता मिल रहा है। जबकि हमारी ही माइनिंग से हिमाचल प्रदेश में सीमेंट बनाने वालों का सीमेंट प्रदेश की 75 लाख जनता को महंगा मिल रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह सेस लगाया जा रहा है। किसी ट्रांसपोर्टर पर यह सेस नहीं लगेगा। **मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी रेत-बजरी वाले पर भी यह सेस नहीं लगेगा।** यही मैं आपको कहना चाहता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। **श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....**

20.11.2026/1520/AT/DC /01

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय रणधीर शर्मा जी अपना संशोधन वापस लेना चाहेंगे? माननीय रणधीर शर्मा जी... (व्यवधान) ठाकुर साहब, रणधीर जी बोल रहे हैं आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान) I have allowed Hon'ble Member Shri Randhir Sharma to speak. माननीय रणधीर शर्मा जी ने ही संशोधन दिया है। ...(व्यवधान) I am allowing him to speak. आप ऑब्जेक्ट एंड रीज़न्स देखिए।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है... (व्यवधान)

अध्यक्षः आपने भी कहा था कि इसे पच्चीस से घटाकर दस कर दिया जाए।

श्री रणधीर शर्माः मैं तो कहता हूं कि दस भी न रखिए और पच्चीस भी न रखिए। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो सामान आ रहा है जैसे रेत, बजरी तथा अन्य जो भी माल-सामान आ रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। टैक्स केवल बाहर जाने वाले सामान पर लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसलिए या तो इस संबंध में संशोधन लाइए या स्पष्ट कर दीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः इसके ऑब्जेक्ट, रीज़न्स एंड शेड्यूल देख लीजिए। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि केवल वही क्लिंकर, जिसका उत्पादन राज्य में होता है और जिसे सीमेंट निर्माण के लिए परिवहन किया जाता है, उस पर पर्यावरण कर लगाया जा सकता है।

श्री रणधीर शर्माः नहीं, अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा नहीं लिखा है। यदि आप इसमें संशोधन कर दें तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्तमान प्रावधान में ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा लिखा है तो माननीय मुख्य मंत्री जी इसे पढ़कर सुना दें।...(व्यवधान)

अध्यक्षः उन्होंने बोल ही दिया है and that is a part of the record. Hon'ble Chief Minister has already said that whatever you feel is part of the Act itself. In any case, if you find the statement which has been given by the Hon'ble Minister

here in the House is not a part of the Act and Schedule, then thereafter we proceed in a different manner.

20.11.2026/1520/AT/DC /02

अभी तो सिर्फ इतना सा ही प्रश्न है कि मुख्य मंत्री के जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं आप वापस लेना चाहते, नहीं लेना चाहते । तो अब मैं इसको वोट के लिए डालूंगा ।

तो प्रश्न यह है कि खंड तीन में जो संशोधन माननीय रणधीर शर्मा जी से प्राप्त हुए, उन्हें स्वीकार किया जाए ।

संशोधन अस्वीकार हुआ।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2,3 व 4 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए?

20.11.2026/1520/AT/DC /03

(प्रस्ताव स्वीकार)

"हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) पारित हुआ"

श्री टी0सी0वी0द्वारा जारी....

20.11.2026/1525/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि 'The Himachal Pradesh Government Services (Qualifying Experience and Regulation of Promotion) Bill, 2026' (Bill No. 27 of 2026) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'The Himachal Pradesh Government Services (Qualifying Experience and Regulation of Promotion) Bill, 2026' (Bill No. 27 of 2026) पर विचार *किया जाए।*

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'The Himachal Pradesh Government Services (Qualifying Experience and Regulation of Promotion) Bill, 2026' (Bill No. 27 of 2026) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

यदि कोई माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं और मुख्य मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे। इसमें माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा की तरफ से अमेंडमेंट भी प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं श्री रणधीर शर्मा से आग्रह करूंगा कि वे अपना अमेंडमेंट प्रस्तुत करें तथा विधेयक पर जो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, वह रखें।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार 'The Himachal Pradesh Government Services (Qualifying Experience and Regulation of Promotion) Bill, 2026' (Bill No. 27 of 2026) लेकर आई है। इसमें मेरे द्वारा जो अमेंडमेंट दी गई है, वह इस प्रकार से है:-

Amendment No. 1-Clause 4(1) Protection of Existing Service Benefits That in clause 4(1), after the words "12th day of December, 2003", the following proviso shall be inserted:-

20.11.2026/1525/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

Amendment No. 2-Clause 4(3) that in clause 4(3), after the existing provisions, the following proviso shall be inserted:- "Provided that no employee shall be deprived of his or her existing seniority without affording an opportunity of being heard."

Amendment No. 3-Clause 7 Time-bound Review of DPC That after sub-clause (3), the following new sub-clause shall be inserted:- "(4) The Review Departmental Promotion Committee shall complete its review within six months and consider all eligible employees who were wrongly denied consideration for promotion."

Amendment No. 4-Clause 18 That after sub-clause (2), the following new sub-clause shall be inserted:- "(3) Nothing in this Act shall adversely affect any service benefit, seniority, promotion or other right lawfully accrued to an employee before the commencement of this Act.

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित है और मैं समझता हूं कि यह विधेयक कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। यदि यह विधेयक कानून बन जाता है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात होने वाला है। इस विधेयक में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को उनकी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का लाभ न देने के लिए एक अवैध तरीका ढूंढा गया है। इसमें पदोन्नति के लिए एक नई व्यवस्था लाई गई है कि पदोन्नति के लिए क्वालिफाइंग सर्विस के स्थान पर क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस होगा। अब यह एक्सपीरियंस क्या होगा, क्या नहीं होगा और इसकी गणना किस प्रकार की जाएगी, इस पर सरकार अलग से कानून बनाएगी।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी अजीब बात है। मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार शुरू से ही कर्मचारियों के हितों के खिलाफ काम कर रही है और उसी को अंजाम देने के लिए यह

विधेयक लाया गया है। हम सब जानते हैं कि दिनांक 3 अगस्त, 2023 को *ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार* मामले में माननीय हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि

20.11.2026/1525/टी0सी0वी0/डी0सी0-3

अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की अनुबंध सेवा को नियमित होने के बाद इंक्रीमेंट्स, सीनियरिटी, प्रमोशन तथा क्वालिफाइंग सर्विस के लिए गिना जाए। यह फैसला दिनांक 3 अगस्त, 2023 को आया था लेकिन वर्तमान सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध पिटीशन दायर की। जब निर्णय सरकार के विरुद्ध आया तो इन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर की और वहां भी हार का मुंह देखना पड़ा। इन्होंने फीस भी खर्च की और हर संभव प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली।

इसके बाद वर्ष 2024 में इसी सदन में सरकार हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन्स ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लाइज एक्ट, 2024 में अमेंडमैंट लेकर आए और इसमें इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लाइज को उनकी सर्विस रेगुलर होने के बाद भी प्रमोशन और इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाएगा। हमने इसी सदन में उस समय भी इसका विरोध किया था और कहा था कि कोर्ट में आपका यह अमेंडमैंट और यह बिल नहीं टिकेगा और वही हुआ। आपने उस बिल को बहुमत के आधार पर यहां से पारित करवाया था जबकि हमने उसका विरोध किया था। दिनांक 25 अप्रैल, 2026 को माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिवेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट मामले में इस एक्ट को निरस्त कर दिया तथा प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि कर्मचारियों को 3 माह के अंदर सभी लाभ जारी किए जाएं।

अध्यक्ष महोदय, हैरानी की बात यह है कि इसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध गई और वहां भी इनके खिलाफ निर्णय आया। इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

20-11-2026/1530/NS-HK/1

श्री रणधीर शर्मा -------जारी

सरकार दिखाने के लिए कर्मचारियों की हितैषी बनती है लेकिन कर्मचारियों के हित में दिए गए निर्णय के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। दिनांक 27 जुलाई, 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी । सरकार लगभग तीन महीने तक सोई रही और मामले को लटकाती रही। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब कर्मचारियों ने धमकी दी कि हम Contempt of Court करेंगे तो अध्यक्ष महोदय, सरकार ने दिनांक 6 नवंबर, 2026 को एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के मुताबिक ऐसा निर्णय दे दिया कि केवल उन्हीं कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा जिन्होंने पीटिशन दायर की है। अब पीटिशन तो दो, चार या पांच लोगों ने दायर की होगी और हो सकता है कि एक-दो या तीन विभागों के कर्मचारियों ने ही पीटिशन दायर की होगी लेकिन यह मामला सभी कर्मचारियों और सभी विभागों से संबंधित है। आपने जो निर्देश जारी किए हैं उनके अनुसार चार नियम बनाए गए हैं जिनमेंः- "(i) Circulation of Tentative seniority(s); (ii) Finalization of seniority(s); (iii) Review/revised DPCs/Fresh DPCs to be held, as the case may be; (iv) The monetary benefits to be accrued, if any from the date of acceptance and issuance of minutes of DPCs." शामिल हैं। उसके मुताबिक आपने इस मामले को और लटकाने का काम किया है। अब मान लीजिए कि पीटिशन दायर करने वाला कर्मचारी जूनियर है और आप उसे पदोन्नति का लाभ दे देते हैं तो सीनियर कर्मचारी न्यायालय में जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि हजारों कर्मचारी न्यायालयों में जाएं? क्या आपकी यही मंशा है? किस मंशा के आधार पर आपने हाल ही में दिनांक 6 नवंबर, 2026 को यह अधिसूचना जारी की जिसके कारण न तो आप कर्मचारियों को लाभ दे पा रहे हैं और उल्टा आप उन्हें न्यायालयों में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? अब सरकार इस पूरे मामले से बचने के लिए यह बिल लेकर आई है। इस बिल में एक नई बात जोड़ दी गई है कि अब सीनियोरिटी आपकी सेवा के आधार

पर नहीं देखी जाएगी बल्कि एक्सपीरियंस के आधार पर तय की जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि अब यह मामला केवल लटकाने का नहीं है तो और क्या है? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको सभी कर्मचारियों को तीन महीने के भीतर लाभ देना था। परंतु आपने

20-11-2026/1530/NS-HK/2

तीन महीने के भीतर लाभ देने के बजाय तीन महीने बाद दिनांक 6 नवंबर, 2026 को अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों को उनके लाभ से वंचित कर दिया। यदि आप उस अधिसूचना को लागू करेंगे तो इतनी लिटिगेशन बढ़ेगी जिसका कोई हिसाब नहीं रहेगा। आपको शायद बाद में लीगल एडवाइजर ने सलाह दी होगी और आप थोड़ी जल्दबाजी में निर्णय कर जाते हैं। इसलिए अब आप यह बिल लेकर आए हैं और इसमें एक नई शर्त जोड़ दी है कि पदोन्नति के लिए क्वालिफाइंग सर्विस के स्थान पर क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस की शर्त लागू होगी। अब यह एक्सपीरियंस किस प्रकार गिना जाएगा? इसके लिए सरकार अलग से नियम बनाएगी। वे कब बनेंगे और उनको बनाने में कितना समय लगेगा? इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह बिल केवल उन कर्मचारियों के अधिकार छीनने के लिए लाया गया है जो पहले कॉन्ट्रैक्ट पर थे और बाद में रेगुलर हुए उनके अधिकार छीनने का बिल है। उनको उनके अधिकारों से वंचित करने का बिल है। उनके पक्ष में माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं उन निर्णयों को लागू न करने की मंशा से यह बिल लाया गया है। इसमें जितनी भी अमेंडमैंट हैं वे दर्शाती हैं कि सरकार इस मसले को केवल लटकाना चाहती है। आपने इस बिल की धारा- 4 के माध्यम से लिखा है कि सरकार सभी भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के कॉलम (11) को संशोधित करना चाहती है। इस कॉलम में क्वालिफाइंग सर्विस की शर्त होती है। अब ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि सरकार रातों-रात इस कॉलम को संशोधित करना चाहती है? इसका कोई जवाब यहां नहीं दिया गया है। बिल की धारा- 5 के माध्यम से सरकार शक्ति अपने में निहित करना चाहती है कि वह जब चाहे और जैसे चाहे नियम अधिसूचित कर सके। सरकार कितने दिन में इन नियमों को अधिसूचित करेगी, इसका भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार किसी तरह इस मामले को उलझाना और लटकाना चाहती है। सरकार की मंशा बिल की धारा-5 की उपधारा (4) से भी स्पष्ट होती है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जब

तक सरकार नियमों की अधिसूचना जारी नहीं कर देती तब तक कोई रिव्यू डी0पी0सी0 नहीं होगी। अब जब तक आप नियम नहीं बनाएंगे और रिव्यू डी0पी0सी0 नहीं होगी तो उनकी प्रमोशन कब तक होगी? इससे स्पष्ट है कि सरकार ही न्यायालयों द्वारा कर्मचारियों को दिए गए लाभ को गैर-कानूनी तरीके से रोकना चाहती है। यह आपका

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

20.11.2026/1535/RKS/hk-1

श्री रणधीर शर्मा... जारी

इससे स्पष्ट है कि सरकार न्यायालयों द्वारा कर्मचारियों को दिए गए लाभ को गैर-कानूनी तरीके से रोकना चाहती है। यह आपका इतिहास रहा है और आप इसे दोहराना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि आप चाहें तो मैं सभी अमेंडमेंट पर अपनी बात रख सकता हूं। धारा 6(क) में कहा गया है कि सर्विस एक्सपीरियंस गिनने का तरीका अलग से निर्धारित किया जाएगा। धारा 6(2) में यह कहा गया है कि कर्मचारी ने किस कैपेसिटी में काम किया है, यह भी सरकार देखेगी। यानी कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी में अर्जित किए गए सर्विस एक्सपीरियंस का जो लाभ न्यायालय ने कर्मचारियों को दिया है, सरकार उसे रोकना चाहती है। बिल की धारा 7 में सरकार चाहती है कि 12 दिसंबर, 2003 के बाद सभी विभागों की डी0पी0सी0 को रिव्यू किया जाए। सरकार 12 दिसंबर, 2003 के बाद हुई डी0पी0सी0 को दोबारा रिव्यू करने की बात कर रही है। पिछले 23 वर्षों में हजारों बार डी0पी0सी0 हुई हैं। इस दौरान कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कितने कर्मचारी अगले पदों पर पदोन्नत हो चुके हैं। ऐसे में सरकार इस मामले को उलझाकर क्या दिखाना और क्या साबित करना चाहती है? इसी प्रकार धारा 7(3) में रिव्यू डी0पी0सी0 के बारे में भी प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस, सीनियोरिटी पोजीशन, शैक्षिक योग्यता आदि पर विचार किया जाएगा। यदि सभी पदोन्नतियां इस कानून के अंतर्गत होनी हैं तो सरकार संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत अधिसूचित सभी नियमों को इस कानून के अंतर्गत रद्द करने से क्यों हिचकिचा रही है? अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में बहुत सारी अमेंडमेंट्स और धाराएं हैं और यह एक नया बिल है। इसलिए मैं समझता हूं कि सभी धाराओं पर विस्तार से बोलने के बजाय इसका सार यह है कि यह बिल कर्मचारी विरोधी है

और इसे लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार की अपील खारिज कर दी है। इससे पहले हाई कोर्ट ने जो व्यवस्था दी थी उसे बदलने के लिए आप वर्ष 2024 में एक्ट लेकर आए थे। इसके बाद हाई कोर्ट ने आपकी अपील भी निरस्त कर दी थी। इसलिए हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों को जो बेनिफिट्स दिए गए हैं वे उन्हें प्रदान किए जाएं। सरकार कर्मचारियों को उन लाभों से वंचित करने और इस मामले को लटकाने के लिए इतना लंबा-चौड़ा बिल जल्दबाजी में पारित करवाना चाहती है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर बहुत व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। इसलिए इस बिल को वापस लिया

20.11.2026/1535/RKS/hk-2

जाना चाहिए। यदि सरकार को कोई ईगो प्रॉब्लम है तो इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजकर इस पर व्यापक चर्चा करवाई जाए। हालांकि मैं समझता हूं कि इसकी भी आवश्यकता नहीं है। यह बिल पूरी तरह कर्मचारी विरोधी है और इसे वापस लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) पर माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने अमेंडमेंट मूव की थी और उसके बाद आपने इस पर चर्चा करने की अनुमति दी है। मैं समझता हूं कि काफी हद तक श्री रणधीर शर्मा जी ने सभी विषयों को स्पष्ट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चीखती-चिल्लाती रहती है कि हम ही कर्मचारी हितैषी हैं और कहते हैं कि हम ही कर्मचारियों का भला करेंगे। कर्मचारियों को कई तरह के प्रलोभन देकर और उन्हें प्रभावित करके ये सत्ता में आने में सफल हुए हैं। लोकतंत्र में जो जनादेश आया है, हम उसका सम्मान करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन अब सरकार पूरी तरह बेनकाब हो गई है। कर्मचारियों के प्रति सरकार का वास्तविक चेहरा सामने आ गया है और यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार वास्तव में कितनी कर्मचारी हितैषी है। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बार नहीं बल्कि बार-बार इस बात का उल्लेख किया है कि सरकार बहुत सारे फैसले जल्दबाजी में और बिना

सोचे-समझे ले रही है। इसके कारण सरकार को बार-बार न्यायालय में फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। यह भी उसी का एक उदाहरण है। मैं प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति को समझ सकता हूं। इस निर्णय के वित्तीय प्रभाव को भी समझ सकता हूं। यदि यह मामला उच्च न्यायालय के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय में भी जाता है तो इसका बहुत बड़ा वित्तीय भार राज्य सरकार पर पड़ेगा। इसीलिए आपने इस प्रकार का रास्ता निकाल दिया है कि जो कर्मचारी न्यायालय में जाएगा उसी को वित्तीय लाभ मिलेगा और उसी को वरिष्ठता भी मिलेगी। ऐसे कितने लोग है? ऐसे बहुत कम लोग हैं। श्री बी0एस0 द्वारा जारी

20.11.2026/1540/बी.एस./वाई.के.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि एक तरह से आप उन कर्मचारियों की बहुत भयंकर रूप से प्रताड़ना कर रहे हैं जिन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ी और अंततः उस लड़ाई को जीता। उनके जीतने के बाद आपने यह तय कर दिया कि वरिष्ठता का लाभ उन्हें तभी मिलेगा जब वे कोर्ट में जाएंगे। मेरा सवाल है कि कितने कर्मचारी ऐसे होंगे जो कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ने की स्थिति में होंगे? सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि प्रमोशन के लिए वरिष्ठता एक क्राइटेरिया होता था। वरिष्ठता के साथ-साथ यदि आप कोई क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइंग टैस्ट अथवा एग्जाम रखते तो भी समझ में आता। लेकिन आपने इसमें 'क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस' शब्द का इस्तेमाल किया है। आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? इसका सीधा अर्थ यह है कि आप इस फाइनेंशियल बर्डन को वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। आप इस फाइनेंशियल बर्डन को अगली सरकार पर ट्रांसफर करना चाहते हैं और इसके लिए समय बिताना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं तो उसे कन्फ्यूज कर दीजिए। यही स्थिति मुख्य मंत्री जी हमेशा अपनाते हैं।

जब कर्मचारी यह कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीतकर आए हैं और लंबी लड़ाई लड़कर आए हैं तो हमें अपना अधिकार दीजिए। लेकिन इसके बजाय उन्हें और कन्फ्यूज किया जा रहा है। उन्हें और अधिक उलझाकर चक्कर में डाला जा रहा है और

इसके लिए आपने यह तरीका निकाला है। इसका सीधा परिणाम यह होगा कि कर्मचारी इसी प्रक्रिया में उलझकर रह जाएंगे। कुछ कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे और कुछ कर्मचारी रिटायर होने के बाद दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन उनका जो वास्तविक और कानूनी अधिकार है वह उन्हें मिलने की स्थिति में नहीं आ पाएगा। वर्तमान सरकार की मंशा भी इससे स्पष्ट दिखाई देती है कि किसी तरह हमारा कार्यकाल निकल जाए। कर्मचारियों को खजल करके और इस फाइनेंशियल लायबिलिटी को आगे डैफर करके अगली सरकार पर ट्रांसफर कर दिया जाए। फिर जब अगली सरकार आएगी तो आप यहीं खड़े होकर कर्मचारियों के पक्ष में नारे लगाएंगे।

20.11.2026/1540/बी.एस./वाई.के.-2

आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति क्या है। कल रास्ता बंद किया हुआ था और आज भी रास्ते बंद किए हुए हैं। जगह-जगह धरने चल रहे हैं और प्रदर्शन हो रहे हैं। यदि आप वास्तव में कर्मचारी हितैषी होते तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए मेहरबानी करके इस विषय पर पुनर्विचार कीजिए। अन्यथा यह मामला एक बार फिर कोर्ट में जाएगा और वहां आपको फजीहत का सामना करना पड़ेगा। यह कानूनी तौर पर कहीं भी मजबूत आधार पर खड़ा नहीं है। जब कोई बिल इस सदन में पारित होता है तो उस पर हमें पूरी गंभीरता से अपना विवेक नहीं लगाते हैं, बारीकी से विचार नहीं करते हैं और उसके कानूनी पहलुओं को अच्छी तरह नहीं देखते हैं। विशेष रूप से कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े पहलुओं पर हमें गंभीरता से विचार-विमर्श नहीं करते हैं और विधेयक को बहुमत के आधार पर पारित कर देते हैं। अंततः जब मामला न्यायालय में जाता है तो फजीहत होती है। न्यायालय यह टिप्पणी करता है कि विधान सभा और विधायकों की जिम्मेदारी है कि वे विधेयक बनाएं लेकिन यह कानून विधिक आधार और जमीनी परिस्थितियों के अनुरूप मजबूत नहीं है तथा उसमें कोई तर्क और तथ्य नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में कानून न्यायिक परीक्षण में टिक नहीं पाता। जब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इस विधान सभा द्वारा पारित कानून को निरस्त कर देता है तो इससे सदन की गरिमा को गहरी चोट पहुंचती है और गहरी ठेस लगती है। इस सरकार के कार्यकाल में ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि सदन की गरिमा की रक्षा के लिए आपका संरक्षण भी आवश्यक है ताकि सदन का अपमान न हो। बेहतर

होगा कि आप इस विधेयक को वापस लें और इसे वापस लेने के बाद बजट सत्र में इस पर विचार करके लाएं अथवा इसे प्रवर समिति को भेज दीजिए। इस संबंध में कोई-न-कोई उचित रास्ता निकाला जाना चाहिए। बार-बार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में विधान सभा की फजीहत होना हम सभी के लिए पीड़ादायक होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए।

20.11.2026/1540/बी.एस./वाई.के.-3

अध्यक्ष : ठाकुर साहब ने इस विषय को काफी विस्तार से समझाया है। श्री रणधीर शर्मा जी ने भी विस्तार से अपनी बात रखी है। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कोई नया बिंदु है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। Whatever the Hon'ble Leader of the Opposition and Hon'ble Member Shri Randhir Sharma ji have said, apart from that, if you have some new point then obviously I will give you a chance. Hon'ble Member Shri Trilok Jamwal ji.

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

20.11.2026/1545/डीटी/वाई0के0-1

श्री त्रिलोक जम्वालः अध्यक्ष महोदय, यह जो वर्तमान प्रदेश सरकार एक और विधेयक लेकर आई है, वह हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सर्विसेज क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस एंड रेगुलेशन ऑफ प्रमोशन बिल, 2026।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि यह विधेयक सरकार की मंशा को दर्शाता है। सरकार की यही मंशा वर्ष 2024 में भी दिखाई दी थी जब दिसंबर, 2003 को आधार बनाकर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को कंसिडर किया गया था, उसके ऊपर एक्ट लेकर आए थे तब भी हमनें इसी सदन में कहा था कि सरकार रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी एक्ट इस सदन में पारित नहीं कर सकती। मैंने तब भी सदन में पूछा था कि जो कर्मचारी दिसंबर, 2003 में नियुक्त हुआ है क्या उसके लाभ आज वर्ष 2024 में डिनाई कर सकते है? उस समय सरकार ने दोहाई दी थी कि सरकार कुछ भी कर सकती है, हम मेजोरटी में है तभी यह एक्ट लेकर आई है। उस एक्ट का क्या हुआ? उस एक्ट को चुनौती दी गई और

हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में जो टिप्पणियां की हैं वे पढ़ने योग्य हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसे एक्ट जिनके बारे में कुछ पर्चियों में लिखकर दिया जाता है उन पर एक्ट बना दो। वर्ष 2003 में नियुक्त हुए कर्मचारियों की उस समय की टर्म्स एंड कंडीशन में रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट शब्द आर0एण्ड पी0 रूल्स में जोड़ा गया था। सरकार ने कहा कि हम उस रूल को नहीं मानते। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार ने आर0एण्डपी0 रूल्स में कॉन्ट्रैक्ट शब्द अमेंड किया है तो आपको उन कर्मचारियों की पूरी सर्विस काउंट करनी पड़ेगी तथा उन्हें सभी लाभ और all consequential benefit देने पड़ेंगे। जब न्यायालय ने सभी consequential benefit उसमें प्रमोशन, इंक्रीमैंट तथा पेंशन संबंधी लाभ भी शामिल हैं, वे सभी देने पड़ेंगे। सरकार एक और एक्ट लेकर आ गई और एक्ट भी हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। ऐसी स्थिति में इस सदन की क्या मर्यादा रह गई होगी जब सरकार ऐडेमेंट है और एक के बाद दूसरा एक्ट लाने पर अड़ी हुई है? इस एक्ट की लैंग्वेज देखें। चाहे इसका क्लॉज 4 हो चाहे क्लॉज 5, 6 या 7 हो। हम कैसे कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस काउंट करेंगे और अब फीडर कैटेगरी में सीनियरिटी नहीं होगी? ऐसा हम आज कैसे कह सकते हैं? जो कर्मचारी वर्ष 2003 में नियुक्त हुआ है और जो वर्ष 2004 में नियुक्त हुआ है हम कह रहे हैं कि उसकी सारी सिनियोरिटी को रिव्यू करेंगे। क्या यह पॉसिबल है? अब कह रहे हैं कि सिनियोरिटी नहीं बल्कि एक्सपीरियंस, यह एक शब्द ढूंढ कर

20.11.2026/1545/डीटी/वाई0के0-2

लाऐ हैं, यह शब्द कहां से आया कहां से और कहां से इजाद हुआ है? अब तो सिनियोरिटी पब्लिक सर्विस कमीशन अथवा सबोर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन से मेरीट के आधार पर नियुक्ति से पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। आप एक्सपीरियंस को कैसे लेंगे? यह केवल एक सर्विस के लिए नहीं है बल्कि इस एक्ट में इन्होंने लिखा है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जितनी भी सर्विसिज हैं उन सभी सर्विसिज को रिव्यू करेंगे। वर्ष 2003 के बाद जो भी व्यक्ति नियुक्त हुआ है उसकी भी सिनियोरिटी रिव्यू करेंगे और उसके बाद उसकी फिक्सेशन होगी। क्या ऐसा संभव है? क्या यह पंडोरा ऑफ बॉक्सेज खोलकर पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को उलझाना चाहते हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस एक्ट को लेकर सरकार गई थी उसमें भी सुप्रिम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को सभी बेनिफिटस देने पड़ेंगे। भाई

रणधीर शर्मा जी ने सारी सी0एल0पी0 या हाई कोर्ट में दाखिल रिट पिटीशन का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई एस0एल0पी0 तथा सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल की गई रिव्यू पिटीशन का भी हवाला दिया। हम उन सारी लायबिलिटीज को केवल डेफर करने के लिए यह एक्ट लेकर आए हैं।

अध्यक्ष महोदय इसी एक्ट का सेक्शन 4 है। हम क्या कहना चाह रहे हैं? सेक्शन 4 में हमने क्वालिफाइंग सर्विस ऐड की है। यह पहला शब्द

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

20.11.2026/1550/ए0जी0/ए0पी0/-01

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी .....

अध्यक्ष महोदय, इसी एक्ट का जो सेक्शन-4 है, उसमें हमने क्वालिफाइंग सर्विस को ऐड किया है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में आज तक जितने भी आर0एण्ड0पी0 रूल्स बने होंगे, उनमें पहली बार एक्सपीरियंस को जोड़ा गया है। जब हम क्वालिफाइंग सर्विस के लिए एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो सेक्शन-4 क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि -Notwithstanding anything contained in the specified Rules, any provision in Column 11 or the corresponding column prescribing the period of service in the feeder category for promotion to a higher post shall, with effect from the 12th day of December, 2003, be construed and shall be deemed always to have been constructed as prescribing the period of qualifying experience required for promotion to such higher post. अध्यक्ष महोदय, इस तरह पहली बार एक्सपीरियंस को सेक्शन-4 में जोड़ा गया है।

इसी एक्ट का सेक्शन-5 क्या कहता है? सेक्शन-5 में कहा गया है कि - The Government may, prescribe the period of qualifying experience required for promotion from a feeder category to a higher post governed by the specified Rules - अब सवाल यह है कि वे रूल कौन-से हैं? उनका क्या क्राइटेरिया होगा? रूल कैसे बनेंगे और कौन बनाएगा? इसका मतलब यह है कि रूल्ज अभी बनाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके आगे सेक्शन-5 का सब-सेक्शन (4) में कहा गया है कि - Until a

notification under sub-section (1) is issued in respect of a particular post, the meeting of the review DPC shall not be convened. इसमें अनसर्टेनिटी है। आखिर यह कब करना है? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए यह एक्ट लेकर आए हैं। लेकिन इस एक्ट में कहा जा रहा है कि जब तक रिव्यू डी0सी0पी0 नहीं होगी तब तक कोई भी

20.11.2026/1550/ए0जी0/ए0पी0/-02

एक्ट या ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्या हम इस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ब्लैंकेट बैन लगा सकते हैं? क्या हम उस ऑर्डर को डिनाई कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि you have to done within one month. वहीं, हमारा सेक्शन-4 कहता है कि जब रिव्यू डी0सी0पी0 नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह सीधी-सीधी कन्फ्रंटेशन है। अब हमारे सेक्शन-6 के सब-सेक्शन (1) को देखिए, इसमें कहा गया है कि - Qualifying experience shall be computed with reference to the actual period of service or experience rendered in the feeder category or such other category in the manner as may be prescribed.

(2). Service rendered in any other category, post or capacity, including the feeder categories from which an employee was appointed or promoted to the feeder category or the promotional post, may also be taken into account, provided that such service is recognised in the manner as may be prescribed. अब सवाल यह है कि किसी एक्स-सर्विसमैन को जो सर्विस का लाभ दिया जाता है, क्या उसे काउंट किया जाएगा या नहीं? या उसके लाभ को रोक दिया जाएगा? आखिर यह क्लॉज क्या कहना चाहता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच पहले ही कह चुकी है कि एक्स-सर्विसमैन की सीनियरिटी कैसे डिसाइड होगी। लेकिन यह एक्ट क्या कह रहा है? यह एक्ट उन सारी चीजों को डेफर कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ लिखने की बात नहीं है। यह मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार की इस एक्ट को लाने के पीछे मंशा भी यही है। इससे ज्यादा कोई और मंशा नहीं हो सकती।

इस एक्ट से यह पता लग रहा है कि सरकार कहना क्या चाहती है और करना क्या चाहती है। एक शब्द कुछ कहता है और दूसरा शब्द कुछ कहता है।

अध्यक्ष महोदय, अब इसके क्लॉज-7 को देखिए, इसमें किस तरह की बाइंडिंग लगाई गई है, इसमें कहा गया है कि - All DPC proceedings conducted on or after the 12th day of December, 2003, under the specified Rules shall be examined by the concerned Department to ascertain whether any revision of seniority or determination of qualifying experience under this Act has materially affected the eligibility, zone of consideration or

20.11.2026/1550/ए0जी0/ए0पी0/3

consideration of any employee for promotion. इसका सीधा-सा मतलब है कि वर्ष 2003 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारी जो अब रिटायर हो चुके हैं उनको भी परेशान करना है। उनको बुलाना है और उनकी सीनियरिटी की दोबारा री-फिक्सेशन करनी है। जिन लोगों को वर्ष 2003 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बेनिफिट दिया गया है, उस बेनिफिट का इन कर्मचारियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यह भी देखा जाएगा। क्या सरकार उनसे रिकवरी करेगी? सरकार नकी रिकवरी कैसे कर सकती है? जो आपके आर0एण्ड0पी0 रूल्स पहले से थे, उन्हीं के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्तियां और प्रमोशन हुई थी।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

20.11.2026/1555/AT/AG/01

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी ...

उस समय जो नियम प्रचलित थे उन्हीं के अनुसार उन्हें पदोन्नति का लाभ दिया गया। अब आप इस अधिनियम के तहत उनकी पदोन्नति कैसे वापस ले सकते हैं? हमें यह अधिकार किसने दिया है?

मैं समझ सकता हूं कि सरकार की ओर से सरल जवाब दिया जाएगा कि वर्ष 2003 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को लागू किया जाएगा। लेकिन इस अधिनियम

में उन कर्मचारियों को संरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है जो वर्ष 2003 से पहले नियुक्त हुए थे। यहां तक कि जो कर्मचारी नियमित भी हो चुके हैं उन्हें भी संरक्षण नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, सरकार केवल दिशाहीन तरीके से काम कर रही है। वर्ष 2024 में जब अधिनियम लाया गया था तब भी हमने कहा था कि वर्ष 2003 से इसे पूर्वव्यापी प्रभाव (Retrospective Effect) से लागू नहीं किया जा सकता। आज भी मैं यही कह रहा हूं कि ये सभी संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है जो उचित नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, इसकी पूरी तरह जांच करनी चाहिए और इसे लागू करने से पहले कुछ और समय लेना चाहिए। अन्यथा सभी कर्मचारी परेशान होंगे और उन्हें न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे। अंततः उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे।

20.11.2026/1555/AT/AG/02

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अधिनियम पर कम और राजनीतिक बातों पर अधिक चर्चा हो रही है। कुछ रणधीर जी ने जो मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब मैं बाद में दूंगा। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि राजनीतिक बातें करने से पहले अधिनियम के उद्देश्यों (Objects) और उसकी धाराओं (Sections) को अवश्य पढ़ लें। मैं पहले राजनीतिक बातों का जवाब दूंगा। हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों के हितों की पक्षधर रही है। आपकी सरकार ने विधान सभा सत्र के बाद कर्मचारियों पर लाठीचार्ज करवाया और उन पर पानी की बौछारें भी करवाईं। आपने तो यहां तक कहा था कि यदि पेंशन लेनी है तो विधायक का चुनाव लड़ो। यदि इस अधिनियम पर कानून के अनुसार चर्चा होगी, तो हम भी कानून के अनुसार ही बात करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी कर्मचारी हितैषी हमारी सरकार है आपकी सरकार ने पेंशनभोगियों और कर्मचारियों का लगभग 10,000 करोड़ रुपये का एरियर छोड़ा था जिसे हम धीरे-धीरे चुका रहे हैं। यह भी कहा जा रहा था कि पेंशनभोगी कर्मचारी कल सड़कों पर धरना दे रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि सड़कों पर धरना देने वाले पेंशनभोगी भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनमें से कई प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। अब आपसे तो विरोध हो नहीं रहा है और न ही आपकी भारतीय जनता

पार्टी से विरोध हो पा रहा है लगभग 80 प्रतिशत पेंशनभोगी कर्मचारी, चाहे वे अधिकारी हों, कर्मचारी हों या सरकारी सेवा में कार्यरत हों, यह जानते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता और सतत विकास की दिशा में ले जाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। यह काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कभी नहीं कर सकती थी। अब बात सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की करते हैं। आखिर इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा निर्णय आया, जिसमें अनुबंध कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने का आदेश दिया गया है।

पहले क्या होता था कि कर्मचारियों को अनुबंध आधार पर नियुक्त किया जाता था। वर्ष 2003 में अनुबंध की अवधि आठ वर्ष थी। इसके बाद इसे घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया। फिर अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में यह अवधि चार वर्ष, तीन वर्ष और अब दो वर्ष कर दी गई। अब यदि वर्ष 2003 में नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों की आठ वर्ष की अनुबंध अवधि को उनकी वरिष्ठता में जोड़ दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय ने अनुबंध कर्मचारियों को उनकी अनुबंध अवधि के आधार पर वरिष्ठता देने का निर्णय दिया है। ऐसी स्थिति में पहले से नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी प्रभावित

20.11.2026/1555/AT/AG/03

होंगे। पहले भर्ती की दो व्यवस्थाएं थीं एक अनुबंध आधार पर और दूसरी नियमित आधार पर। यदि अनुबंध कर्मचारियों की सेवा अवधि को उनकी वरिष्ठता में जोड़ दिया जाता है, तो उनकी वरिष्ठता पहले हो जाएगी और पहले से नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी वरिष्ठता सूची में नीचे चले जाएंगे। परिणामस्वरूप उनमें से कुछ कर्मचारियों को पदावनति (Demotion) का सामना करना पड़ सकता है। इसी स्थिति को रोकने के लिए हमने यह प्रावधान किया है कि किसी भी कर्मचारी की वरिष्ठता निर्धारित करने अथवा पदोन्नति समिति (DPC) की समीक्षा करने से पहले अलग से डीपीसी आयोजित की जाएगी ताकि किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक समीक्षा डी0पी0सी0 नहीं होगी तब तक किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।

श्री टी0सी0वी0द्वारा जारी....

20.11.2026/1600/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
मुख्य मंत्री... जारी

सर्वोच्च न्यायालय ने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को सीनियरिटी देने के आदेश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 12-12-2003 से सभी सीनियरिटी लिस्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए सीनियरिटी न्यायालय के आदेश से रिवाइज हो रही है, बिल से नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक्स-सर्विसमैन को सीनियरिटी नहीं मिलती है, केवल फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं, जिन पर इस बिल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अतः माननीय सदस्यों ने जो भी बातें रखी हैं और माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने भी जो बातें रखी हैं, उनके संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बिल कर्मचारियों के हित में लाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में कार्य करने वाले कर्मचारियों के मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है, उसके लिए हमने रिव्यू डी0पी0सी0 का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी पहले ही पदोन्नत हो चुके हैं, उनकी सीनियरिटी भी प्रभावित न हो, इसलिए यह बिल लाया गया है। अतः मैं चाहूंगा कि इस बिल को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय के जवाब को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी, माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी, तथा माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी अपने संशोधन वापस लेना चाहेंगे? विशेष रूप से यह श्री रणधीर शर्मा जी का ही संशोधन है।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, संशोधन वापस लेना तो दूर की बात है, हमें अभी तक यह समझ नहीं आया कि मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। इसमें जो असली विषय है, वह यह है कि आप पदोन्नति के लिए क्वालिफाइंग सर्विस की जगह क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस लगा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है और आप इसे किस प्रकार परिभाषित करेंगे? इसमें क्या प्रावधान करेंगे? यह तो समझाइए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसका मूल उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है। वह समझ आया या नहीं? मैं दोबारा पढ़ दूं?

20.11.2026/1600/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

अब मैं एक्सपीरियंस की बात पर आता हूं। पहले एक्ट से हम पावर लेंगे और रूल्स में प्रावधान करेंगे कि किसी की पदोन्नति और सीनियरिटी प्रभावित न हो। इसी के अनुसार हम आगे रूल्स बनाएंगे। एक्ट हमें रूल्स बनाने की पावर डेलीगेट करता है। यही प्रावधान है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी आप कुछ और पूछना चाहते हैं?

श्री रणधीर शर्मा : हमें अभी तक भी समझ नहीं आया कि आप एक्सपीरियंस कैसे काउंट करेंगे? इसका क्या क्राइटेरिया होगा? यदि आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजिए या कुछ और कीजिए। जब सदस्यों को ही यह स्पष्ट नहीं है और आप इसे पारित करवाने पर आमादा हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। ...(व्यवधान) अवस्थी जी, बोलने से स्पष्ट नहीं होता, एक्सप्लेन करेंगे तभी पता लगेगा।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय के जवाब को ध्यान में रखते हुए आप संशोधन वापस नहीं लेना चाहते हैं?

श्री रणधीर शर्मा : हमें समझाया तो जाए कि इसकी जरूरत क्या पड़ी और इसका मतलब क्या है? एक्सपीरियंस काउंट कैसे करेंगे? इसका क्राइटेरिया क्या है? यह तो बताएं।

अध्यक्ष : समझा तो दिया है कि किस प्रकार का एक्सपीरियंस देंगे और कौन-सा देंगे। सारी व्यवस्था हम रूल्स में करेंगे और रूल्स में ऐसे प्रोविजन्स बनाएंगे ताकि किसी के साथ अन्याय न हो।

श्री रणधीर शर्मा : यह तो बताएं कि कहां का एक्सपीरियंस देखेंगे और कौन-सा एक्सपीरियंस देखेंगे? आप कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था रूल्स में करेंगे और रूल्स में

क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस लिखा है। कुछ तो स्पष्ट होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि नियम बनाएंगे। नियम बनाइए लेकिन हमें मोटा-मोटा समझा दीजिए कि इसमें क्या होगा? क्या प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस भी देखेंगे?

20.11.2026/1600/टी0सी0वी0/ए0एस0-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि श्री रणधीर शर्मा जी को नींद आ रही है। एक्सपीरियंस क्या होता है? ये जो लोग नौकरी में लगे हैं यानी जो पहले से ही नौकरी में हैं, उनके एक्सपीरियंस की बात हो रही है। इसमें बाहर से कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया जा रहा है। जैसे किसी ने किसी पोस्ट पर नौकरी की है तो उस पोस्ट पर उसका कितने साल का एक्सपीरियंस था, उसी की बात हो रही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सीनियरिटी निर्धारित करना है। जैसे मैं जे0ई0 लगा हूं और जे0ई0 के पद पर सीनियरिटी के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस आवश्यक है। यदि कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने वाले जे0ई0 का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और 5 साल का रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस है तो सीनियरिटी निर्धारित करते समय कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को भी जोड़ा जाएगा, यह रूल्स में तय किया जाएगा।

अध्यक्ष : ठीक है। इसमें केवल यह स्पष्ट करना है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सीनियरिटी के उद्देश्य से काउंट किया जाना है या नहीं। यही इश्यू है और इसे रूल्स में स्पष्ट कर देंगे।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप बोलना चाहेंगे, वैसे तो श्री रणधीर शर्मा जी की ही अमेंडमेंट हैं।

श्री जय राम ठाकुर एन0एस0 द्वारा .... शुरू

20-11-2026/1605/NS-AS /1

अध्यक्ष -------जारी

यह रूल में क्लेरिफाई कर देंगे। यह रूल में स्पष्ट हो जाएगा। माननीय जय राम ठाकुर जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जब कोई बिल चर्चा के लिए आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत होता है तो स्वाभाविक रूप से उस पर चर्चा होनी चाहिए। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, श्री रणधीर जी ने एक साधारण-सा प्रश्न पूछा था कि Experience based promotion का आधार क्या होगा? मुख्य मंत्री जी भी इसे स्पष्ट नहीं कर पाए क्योंकि अब आप एक्ट के माध्यम से रूल को एम्पावर करेंगे और उसके बाद रूल के तहत आगे क्या प्रावधान बनाए जाएंगे यह किसी को पता नहीं है। कब बनाए जाएंगे यह भी किसी को पता नहीं है।

अध्यक्ष : उसका प्रोवीजन है और ये विधान सभा में ही सभापटल पर ले होते हैं। जब बनेंगे तो सभापटल पर ही रखे जाएंगे।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, परिस्थिति यह है कि जब अपने आपमें ही क्लेरिटी नहीं है तो यहां एक कोने से दूसरे कोने तक बैठे किसी भी सदस्य को इसकी क्लेरिटी नहीं है। हमें भी क्लेरिटी नहीं है और यहां तक कि मुख्य मंत्री जी ने यह बिल प्रस्तुत किया है उन्हें भी यह क्लेरिटी नहीं है। इसमें होना क्या है? अल्टीमेटली यही स्थिति है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि यह केवल खजलखाना करने का प्रयास है। But if you cannot convince somebody, confuse him. कहावत भी है कि जब आप किसी को समझा नहीं सकते तो उसे कन्फयूज कर दो। आप कर्मचारियों को भी कन्फयूज कर रहे हैं और अपने सदन को भी कन्फयूज कर रहे हैं। यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जिद्द नुकसानदायक होती है। अच्छी चीज के लिए जिद्द करनी चाहिए लेकिन जब आप किसी चीज को खराब करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी जिद्द करेंगे तो इससे नुकसान होगा। सदन की गरिमा बार-बार अपमानित हो रही है। जब हमारे द्वारा यहां पारित किए गए बिल माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में निरस्त हो जाते हैं और उन पर टिप्पणियों के साथ उन्हें वापस भेज दिया जाता है तो हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा होता है कि आप सदन में क्या विचार-विमर्श

करते हैं? आप बिलों पर किस प्रकार चर्चा करते हैं? आप बिल को हां की हां में पास कर देते हैं। बहुमत आपके पास है लेकिन आप फिर से फजीहत की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। हम आपका भला चाहते हैं और चाहते हैं कि दोबारा ऐसी फजीहत न हो। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस बिल को वापस ले लीजिए। कर्मचारी भी आपसे नाराज होंगे। कर्मचारियों की नाराजगी पहले हमसे थी वह दूर हो गई लेकिन उसके बाद नाराज होने के कई अन्य कारण बन गए हैं। उनकी नाराजगी के कारणों और वर्तमान परिस्थिति को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपको क्या झेलना पड़ रहा है? इसके पीछे आपका केवल एक ही मकसद है कि इस पूरे मामले को लंबित रखना और लंबे समय तक आगे न बढ़ाना तथा फाइनेंशियल लायबिलिटी अगली गवर्नमैंट पर डालना है। मेरा यह सीधा आरोप है कि आप केवल समय निकालने की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान) फिर आप वक्त निकालने की बात कर रहे हैं। अब आप और वक्त नहीं निकाल सकते। आप अब ऐसी स्थिति में जकड़ और पकड़ लिए गए हैं जहां आपके पास आने वाले समय में कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए अच्छा होगा कि आप इस बिल को वापस लें। मुझे लगता है कि विपक्ष कई बार अच्छे के लिए भी सुझाव देता है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष की हर बात गलत होती है। आप जिद्द मत कीजिए। आपके भी बहुत सारे साथी इससे सहमत नहीं हैं। मुझे लगता है कि इस बिल को वापस लेना चाहिए और इसे छोड़ देना चाहिए या आपको इसे सलेक्ट कमेटी को भेज देना चाहिए। आपके पास विकल्प है। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री : माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी, जब आप राजनीतिक बात बोलते हैं तो मुझे भी बोलने का दिल करता है। वैसे मैं आपकी बात को बड़े प्यार से लेता हूं। आप गुस्सा मत कीजिए। अगली बार भी हमने आना है, आप खुश रहें। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, नियम बनाने का अधिकार अनुच्छेद 309 हमारे पास है। उसके अनुसार हमें क्या करना है? सरकारी नौकरी में दो प्रकार के कर्मचारी लगे हुए थे—एक कॉन्ट्रैक्ट पर और दूसरे रेगुलर लगे। कोर्ट ने निर्णय दिया कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को भी सीनियोरिटी में शामिल किया जाए। गवर्नमैंट ने कहा कि कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट अवधि को कंसीडर करेंगे तो उसके लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे कि उनके एक्सपीरियंस को किस प्रकार से कंसीडर करना है और उसे किस तरह शामिल करना है। दूसरा पहलू यह है कि कुछ कर्मचारी वर्ष 2006 में प्रमोट हो चुके हैं। वर्ष 2003 में दो प्रकार से भर्ती होती थी

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

20.11.2026/1610/RKS/डीसी-1

मुख्य मंत्री... जारी

एक भर्ती 8 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर होती थी और दूसरी नियमित भर्ती होती थी। यदि हम कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को नियमित भर्ती के साथ जोड़ेंगे तो जो कर्मचारी पहले ही नियमित होकर पदोन्नत हो चुके हैं, क्या हम उन सरकारी कर्मचारियों को डिमोट करेंगे? क्योंकि ऐसा करने से वे भी पदोन्नति सूची में पीछे आ सकते हैं। इसलिए इस विषय को समझने की आवश्यकता है। आप गुस्सा मत किया करो और तनाव में मत रहा करो। आप श्री रणधीर शर्मा जी को कानून की पूरी जिम्मेदारी दे दीजिए। वे इस विषय को अच्छी तरह जानते हैं। श्री बिक्रम ठाकुर जी भी आपकी कुर्सी की तरफ देख रहे हैं। ...(व्यवधान) हम आपके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस बिल को पास किया जाए।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय के आग्रह पर श्री रणधीर शर्मा जी अपना संशोधन वापस नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए मैं अब इन संशोधनों को वोट के लिए डालूंगा। First of all the Amendments will be put to the vote.

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 3, 7 व 18 में जो संशोधन माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी से प्राप्त हुए हैं उन्हें स्वीकार किया जाए।

संशोधन अस्वीकार हुए।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 18 तक विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 व 18 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

20.11.2026/1610/RKS/डीसी-2

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

" हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) पारित हुआ।"

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29) पर विचार किया जाए।

इस पर माननीय सदस्य बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी सदस्य इस पर बोलना नहीं चाह रहा है।

20.11.2026/1610/RKS/डीसी-3

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 22 तक विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 और 22 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

20.11.2026/1615/बी.एस./डी.सी.-1

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक उन बच्चों, माताओं और बहनों के लिए है जिन्हें हम कानूनी स्वरूप और संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं। प्रदेश के ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी माता या पिता को खो दिया है और जो अनाथ हो चुके हैं उनके संरक्षण के लिए हम यह विधेयक लेकर आए हैं। इसके माध्यम से हम उन्हें कानूनी रूप से एक सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहते हैं। इन बच्चों की 27 वर्ष की आयु तक का खर्च हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। पूरे भारतवर्ष में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत किसी बच्चे के जन्म के बाद यदि वह एक महीने का भी हो जाता है तो हिमाचल प्रदेश सरकार उसके खाते में 1,000 रुपये प्रति माह जमा करवाएगी। पांच वर्ष की आयु तक उसके खाते का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

पांच वर्ष के बाद 14 वर्ष की आयु तक उसे 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अर्थात जन्म से लेकर 14 वर्ष की आयु तक उसके खाते में 1,000 रुपये प्रति माह जमा करवाए जाएंगे। इसके बाद 14 से 18 वर्ष की आयु तक उसके खाते में 2,500 रुपये प्रति माह जमा करवाए जाएंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को सरकार की ओर से 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह योजना पहले से ही 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेट' के रूप में प्रचलित है। अध्यक्ष महोदय, यदि इनमें से कोई बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर की पढ़ाई करता है अथवा हिमाचल प्रदेश या हिंदुस्तान के किसी भी प्रतिष्ठित कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करता है तो उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। इसके अतिरिक्त सरकार इन बच्चों को सर्दियों और गर्मियों के कपड़ों के लिए 10,000-10,000 रुपये उपलब्ध करवाएगी। दीपावली, होली, रक्षाबंधन सहित अन्य त्योहारों के अवसर पर भी उनके खातों में प्रत्येक त्योहार के लिए 500-500 रुपये जमा करवाए जाएंगे। इस प्रकार वर्ष में होने वाले छह से आठ त्योहारों के लिए यह राशि उनके खातों में जमा करवाई जाएगी। इस प्रदेश की संपदा पर केवल एक ही वर्ग का अधिकार नहीं होना चाहिए। प्रदेश की संपदा समाज के

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। इसी दृष्टिकोण से कांग्रेस की सरकार अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा दे रही है। सरकार ही उनकी माता है और सरकार ही उनके पिता की भूमिका निभा रही है। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष अच्छे कार्यों के लिए बोलने को कभी खड़ा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, हमने इस विधेयक में महिलाओं और एकल नारियों को भी शामिल किया है। अनाथ बच्चों को 3 बिस्वा भूमि देने का भी प्रावधान किया गया है। जब इन अनाथ बच्चों की शादी होगी तो सरकार की ओर से एक अधिकारी वहां जाएगा और उन्हें 2 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान करेगा।

इस प्रदेश में ऐसे लगभग 6,000 बच्चे हैं जो अपनी किसी मांग को लेकर सरकार के पास नहीं आए। वे कहीं सड़कों पर धरने पर नहीं बैठे। लेकिन सरकार की सोच यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाई जाए। इसी सोच के साथ यह कानून लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के माध्यम से विधवा महिलाओं को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की पहल की गई है। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसी विधवा महिलाएं हैं जिनके बच्चे डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तथा अच्छे इंस्टीट्यूशन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अचानक उनके पति की मृत्यु हो जाती है और परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहता। ऐसी स्थिति में उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा? उनके हॉस्टल का खर्च कौन उठाएगा? उनकी ट्यूशन फीस कौन देगा?

यह विधेयक उनको इस बात की सिक्योरिटी की गारंटी देता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार विधवा महिलाओं, अनाथ बच्चों, एकल नारियों और परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। ऐसी परित्यक्ता महिलाएं जिन्हें उनके पति छोड़ देते हैं और उनके बच्चों को भी छोड़ दिया जाता है उन सभी को सरकार सुरक्षा प्रदान करेगी। इसलिए आज का दिन अनाथ बच्चों और उन विधवा महिलाओं के लिए ऐतिहासिक है जिनके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारी सरकार का इस विधेयक को लाने का मकसद

यह है कि संपदा में से 100 रुपये में कुछ अंश उनको भी मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से इस विषय को कानूनी स्वरूप प्रदान करने के लिए यह विधेयक आपके समक्ष लाया गया है।

20.11.2026/1615/बी.एस./डी.सी.-3

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

" हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29) पारित हुआ"

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

20.11.2026/1620/डीटी/एच0के0-1

अध्यक्ष अब माननीय राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Himachal Pradesh Amendment Bill, 2026 (Bill No. 24 of 2026) पर विचार किया जाए। साथ ही साथ आप अपने बिल को एक्सप्लेन भी कर दें।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Himachal Pradesh Amendment Bill, 2026 (Bill No. 24 of 2026) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Himachal Pradesh Amendment Bill, 2026 (Bill No. 24 of 2026) पर विचार किया जाए।

इस पर माननीय सदस्य बोल सकते हैं और राजस्व मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे। कोई भी सदस्य बोलना नहीं चाहता है। अब मैं इस प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं । माननीय मुख्य मंत्री महोदय आप कुछ बोलना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस बिल को इंटरोड्यूज किया है पर मुझे भी तो इस बिल पर बोलने का अधिकार है। इस पर बोलेंगे भी।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का सत्र शुरू होने से पहले इन्होंने हिमाचल ऑन सेल के संबंध में एक बहुत अच्छा बिल प्रस्तुत किया था और उस पर चर्चा भी हुई थी। चर्चा का उत्तर माननीय विपक्ष के साथी नहीं सुनना चाहते थे इसलिए सदन से चले गए थे।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन को मैं बतलाना चाहूंगा कि हम हिमाचल प्रदेश की संपदा को बचाने वाला एक और विधेयक लेकर आए हैं। यह हमारी सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है। ...(व्यवधान) झूठ बोलने पर तो विपक्ष के साथियों ने पी0एच0डी0 की है, हमें इनके रिसर्च वर्क पर स्टडी करनी पड़ेगी।

20.11.2026/1620/डीटी/एच0के0-2

अध्यक्ष महोदय, कई वर्षों से जिस जमीन का उपयोग जिस उद्देश्य के लिए किया गया था उस उद्देश्य के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के बावजूद हिमाचल प्रदेश की जनता की हजारों बीघा जमीन आज भी बड़ी-बड़ी कंपनियों के पास है। जब अगर आप हिमाचल प्रदेश की का भूगोल देखें तो हमारे प्रदेश में 68 प्रतिशत भूमि फॉरेस्ट लैंड है। लगभग पांच

प्रतिशत भूमि नदियों और वे क्षेत्र हैं जहां डैम बच चुके हैं। इस प्रकार ये कुल भूमि 73 प्रतिशत हो जाती है। यानी जो शेष 27 प्रतिशत भूमि है उस पर हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता रहती है। जब डैम बने तो उनके कारण लोग ऑस्टिज़ हुए और उन ऑस्टिज को अन्य स्थानों पर भूमि उपलब्ध करवाई गई लेकिन अभी भी हम पोंग डैम के ऑस्टिज को जमीन देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। । राजस्व मंत्री जी से मेरी चर्चा हुई और उसके उपरांत हमारी सरकार ने इस विधेयक को लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। वहां भी अतिरिक्त भूमि है और जितनी भी अतिरिक्त भूमि है चाहे वह बी0बी0एम0बी0 की हो चाहे एन0टी0पी0सी0 की हो या एन0एच0पी0सी0 की हो उन सभी संस्थाओं की खाली पड़ी भूमि को सरकार कानून के माध्यम से अधिग्रहण करेगी और कानूनी रूप से अधिग्रहण करेंगी। हिमाचल की संपदा को बचाने के उद्देश्य से हम यह विधेयक लेकर आए हैं। राजस्व मंत्री जी ने प्रदेश की संपदा को बचाने के प्रयास में यह जो विधेयक इस सदन में लेकर आए हैं इसके लिए जगत सिंह नेगी जी को भी बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने जो अध्ययन किया है उसमें ऐसी कई हैक्टेयर भूमि है वे भूमि जब हमारे पास आएगी तो जो बेघर हिमाचली हैं चाहे वे फॉरेस्ट लैंड में बसे हुए हैं या जिनके घर प्राकृतिक आपदा में चले गये हैं, हम उन्हें हम घर बनाने के लिए थोड़ी जगह अवश्य उपलब्ध करवाएंगे। बिलासपुर का पूरा शहर अभी भी ऑस्टिस के रूम में रहा है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बिल उस भूमि को अधिगृहीत करने का बिल है। मैं यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

Speaker : Hon'ble Chief Minister has explained the Objects and Reasons of the Bill.

तो प्रश्न यह है कि The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Himachal Pradesh Amendment Bill, 2026 (Bill No. 24 of 2026) पर विचार किया

20.11.2026/1620/डीटी/एच0के0-3

प्रस्ताव स्वीकार

अतः अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 24) को पारित किया जाए।

श्री ए0पी0द्वारा जारी....

20.11.2026/1625/एच0के0/ए0पी0/-01

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Himachal Pradesh Amendment) Bill, 2026 (Bill No.24 of 2026) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Himachal Pradesh Amendment) Bill, 2026 (Bill No.24 of 2026) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Himachal Pradesh Amendment) Bill, 2026 (Bill No.24 of 2026) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Himachal Pradesh Amendment) Bill, 2026 (Bill No.24 of 2026) <u>ध्वनिमत/सर्वसम्मति</u> से पारित हुआ।

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि The Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Bill, 2026, (Bill No. 25 of 2026)पर विचार किया जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि The Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Bill, 2026, (Bill No. 25 of 2026)पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल सकते हैं। माननीय राजस्व मंत्री इसका उत्तर देंगे। इस बिल पर माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी से संशोधन आया है। मैं उनसे आग्रह करूंगा आप बिल पर बोल सकते हैं।

20.11.2026/1625/एच0के0/ए0पी0/-02

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने The Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Bill, 2026, (Bill No. 25 of 2026) प्रस्तुत किया है। मैंने इस बिल पर अमेंडमेंट दी है जो इस प्रकार हैः-

In Clause 2, in the proposed Section 163-B, after sub-section (1), insert the following proviso: "Provided that no order for removal of any obstruction or blockade shall be passed unless the Revenue Officer has ensured the identification and demarcation of the public path through the revenue records and a spot inspection conducted in the presence of the affected parties. The demarcation report shall form part of the proceedings."

In Clause 2, in the proposed Section 163-B, in sub-section (1), after the words "reasonable opportunity of being heard", insert the following: "after serving a prior written notice of not less than fifteen days upon all affected persons, landowners and recorded right-holders, specifying the nature, location and extent of the alleged obstruction, along with the grounds and supporting revenue records."

In Clause 2, in the proposed Section 163-B, after sub-section (1), insert the following new sub-section: "(1-A) Nothing contained in this section shall authorize the removal of any structure, possession or use which is supported by a lawful title, valid revenue entry, judicial order or any other legally recognized right, unless such claim has been duly examined and determined by the competent authority in accordance with law."

In Clause 2, in the proposed Section 163-B, in sub-section (2), omit the words: "or any other direct withholding of subsidy or both"

In Clause 2, in the proposed Section 163-B, after sub-section (1), insert the following new sub-section: "(1-B) Every order passed under this section shall be a reasoned and speaking order, recording the relevant revenue

20.11.2026/1625/एच0के0/ए0पी0/-03

entries, findings of spot inspection, objections raised by the affected persons and reasons for accepting or rejecting such objections. A copy of the order shall be supplied free of cost to every affected person."

In Clause 2, in the proposed Section 163-B, in sub-section (2), after the words relating to imposition of penalty, insert the following proviso: "Provided that no penalty shall be imposed unless the Revenue Officer records a specific finding that the obstruction was wilful and intentional and

was caused by the person concerned, after providing such person a separate reasonable opportunity of being heard. The penalty shall be proportionate to the nature and gravity of the obstruction.

अध्यक्ष महोदय, यह जो हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 2026 है, निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता थी। मैं समझता हूं कि गांवों में लगभग हर जगह रास्तों को लेकर दिक्कत आती है। कई बार लोग रास्ते रोक देते हैं। उस समस्या का समाधान करने के लिए यह विधेयक उपयोगी होगा। मेरा इसमें इतना निवेदन है कि इस कानून का मिसयूज नहीं होना चाहिए। कई बार प्रभावशाली लोग इस कानून का सहारा लेकर गरीब या कम प्रभावशाली लोगों के साथ ज्यादती कर देते हैं। ऐसी ज्यादती को रोकने के लिए इस कानून का दुरुपयोग न हो, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि इस कानून में इसके लिए कोई प्रावधान किया जा सकता है तो वह जरूर किया जाए।

दूसरा, रास्तों के साथ-साथ गांवों में दो और दिक्कतें आती हैं। एक पानी और सिंचाई की पाइपों को लेकर है। कई बार लोग पाइपलाइन उनके खेतों या जमीन से ले जाने से भी रोकते हैं, जबकि वैज्ञानिक रूप से यदि पाइप को दो फुट नीचे दबा दिया जाए तो फसल पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं। अपने घर तक नलका लगवा लिया, अपने घर तक पानी आ गया, लेकिन उसके आगे किसी दूसरे के घर तक पाइपलाइन ले जाने से रोकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका भी इसी विधेयक में प्रावधान किया जाए। इसी तरह बिजली की तारों का भी मसला है। कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन के ऊपर से बिजली की तारें नहीं जाने देना चाहता। जबकि उसके अपने घर तक भी दूसरों की जमीन के ऊपर से ही तारें आई हुई हैं। लेकिन

20.11.2026/1625/एच0के0/ए0पी0/-04

जब उसके घर तक तारें पहुंच जाती हैं और आगे किसी दूसरे के घर तक बिजली की तारें ले जाने की बात आती है तो यदि बीच में उसकी जमीन पड़ती है, वह तारें ले जाने से रोक देता है। अगर कहीं बदलाव करके तारें उसकी जमीन के ऊपर से ले जानी पड़ती हैं, तो वह इसकी अनुमति नहीं देता। इसलिए पाइपों और बिजली की तारों का भी गांवों में गंभीर मसला बना हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस समस्या को भी इस विधेयक में शामिल किया

जाए ताकि इसका भी समाधान हो सके। क्योंकि रास्ते के लिए तो फिर भी जमीन का उपयोग करना पड़ता है। पाइपलाइन जमीन के नीचे से जाएगी और बिजली की तारें जमीन के ऊपर से जाएंगी। इसलिए इस व्यवस्था को आसानी से किया जा सकता है और इसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि कुछ जगह जमीनें ऐसी हैं, जहां पहले कोई निजी जमीन या रास्ते नहीं थे। पुराने समय में लोग एक-दूसरे को रास्ता देने से रोकते नहीं थे। अब मान लीजिए कि एक खेत के बाद दूसरे का खेत, फिर तीसरे का और चौथे का खेत आता है...

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

20.11.2026/1630/AT/YK /01

श्री रणधीर शर्मा जारी....

पहले व्यक्ति ने अपने खेत में बिजाई कर दी तो वह आगे ट्रैक्टर जाने ही नहीं देगा। इसलिए हमारे पास कुछ लंबरदारों का भी सुझाव आया था कि गांवों में बंदोबस्त की प्रक्रिया के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जाए जिसके तहत सामूहिक रास्ते बनाए जा सकें। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति से थोड़ी-थोड़ी जमीन लेकर हर खेत तक रास्ता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए। यदि यह प्रावधान इस विधेयक में नहीं किया जा सकता, तो किसी अन्य माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जाए। मेरा यही अनुरोध है।

अध्यक्षः माननीय राजस्व मंत्री ।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय सदस्य द्वारा यहां जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसका अर्थ है कि शायद इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो सुझाव उन्होंने दिए हैं, उनके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि विद्युत अधिनियम अलग है और जल शक्ति विभाग का अधिनियम अलग है। यदि जल शक्ति विभाग को लगता है कि उसकी पाइपों को लेकर कोई समस्या है या विद्युत विभाग को लगता है कि उसके संबंध में कोई समस्या है तो वे उस पर ACT लाएंगे

हैं। मेरा यह विधेयक भूमि राजस्व अधिनियम के अंतर्गत है। इसमें रास्ता-शरैआम और गैर-मुमकिन रास्तों से संबंधित मामलों का तुरंत निपटारा करने के लिए धारा 163 में यह प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत कलेक्टर प्रथम श्रेणी को शक्तियां प्रदान की गई हैं। जिस प्रकार धारा 163 में अतिक्रमण हटाने की शक्ति दी गई है उसी प्रकार शरैआम और गैर-मुमकिन रास्तों पर किए गए अवरोध को निर्धारित प्रक्रिया के तहत तुरंत हटाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

20.11.2026/1630/AT/YK /02

अध्यक्ष : राजस्व मंत्री महोदय के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, आपने जो सुझाव दिए हैं, उन पर विचार कर लिया जाएगा। क्या माननीय रणधीर शर्मा जी अपना संशोधन वापस लेना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 पर जो संशोधन माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा से प्राप्त हुए हैं उन्हें स्वीकार किया जाए।

संशोधन अस्वीकार हुआ।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25) को पारित किया जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25) को पारित किया जाए?

20.11.2026/1630/AT/YK /03

(प्रस्ताव स्वीकार)

" हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25) पारित हुआ"

अध्यक्ष : अब नगर एवं ग्राम योजना मंत्री (प्राधिकृत) प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 23) पर विचार किया जाए।

श्री टी0सी0वी0द्वारा जारी....

20.11.2026/1635/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या 23) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या 23) पर विचार किया जाए।

यदि कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहें तो वे बोल सकते हैं। अन्यथा माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे।

इस विधेयक पर कोई सदस्य बोलना नहीं चाहते हैं।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या 23) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष : अब नगर एवं ग्राम योजना मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या 23) को पारित किया जाए।

20.11.2026/1635/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य यह है कि बहुत-सी पंचायतों में विशेषकर सब-अर्बन एरियाज में कोरम के अभाव में ग्राम सभाओं का संचालन सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए इसमें पहला संशोधन यह किया गया है कि जो पहली बैठक होगी उसमें one tenth of Gram Sabha के सदस्यों की बजाय अब

one tenth of families किया गया है। इसके बाद जो भी ग्राम सभा होगी, अगर पहली में नहीं होता है, जो दूसरी है उसमें पहले यह कंडीशन थी कि representation of 1/20th or 30 Gram Sabha Member whichever is more, इसमें भी दिक्कत होती थी इसलिए it has been substituted at least 1/20th of the total number of families or 30 families whichever is less. मुझे लगता है कि इस संशोधन के बाद पंचायतों का संचालन सही तरीके से होगा क्योंकि कोरम पूरा न होने के कारण पंचायतों के सामने बहुत-से प्रस्ताव लंबित रहते हैं। इस संशोधन से ग्राम सभाओं के संचालन और पंचायतों के कामकाज में गतिशीलता आएगी तथा उनका संचालन सुचारू रूप से हो पाएगा।

Speaker : The Hon'ble Minister has explained the Object and Reasons of the Bill. अब प्रस्ताव करें कि इस बिल को पारित किया जाए।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या 23) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या 23) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या 23) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या 23) पारित हुआ।"

20.11.2026/1635/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

अध्यक्ष : अब नगर एवं ग्राम योजना मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या 26) पर विचार किया जाए।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या 26) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या 26) पर विचार किया जाए।

इस पर माननीय सदस्य यदि बोलना चाहे तो बोल सकते हैं और माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे। इस विधेयक पर संशोधन भी आया है और वह संशोधन सरकार की ओर से है। माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी आपने बोलना है?

श्री रणधीर शर्मा एन0एस0 द्वारा .... शुरू

20-11-2026/1640/NS-AG/1

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या 26) प्रस्तुत किया है। मैंने इस बिल पर अमेंडमेंट दी है जो इस प्रकार हैः-

Clause 7(a) In clause 7(a), for the wordsः "panel of not more than three persons" substitute the wordsः "panel of not less than three and not more than five persons".

In clause 7(b), for the proposed sub-section (3), substitute the following, namelyः- "(3) For the purpose of sub-section (2), the Search Committee shall consist of the following members, namelyः- (a) a nominee of the Chancellor, who shall be an eminent academician or technologist, as

Chairperson; (b) a representative of the State Government not below the rank of Secretary to the Government of Himachal Pradesh; (c) the Director of an Indian Institute of Technology or National Institute of Technology, as the case may be; (d) one nominee of the University Grants Commission; (e) one eminent academician having experience in technical education, nominated by the Chancellor; and (f) the Registrar of the University, who shall be the Member Secretary. Provided that the Search Committee shall function independently and shall adopt a transparent, objective and merit-based selection procedure."

Clause 8 (Section 12-A, sub-section (1)) In clause 8, in the proposed section 12-A, for sub-section (1), substitute the following, namely: "(1) The Pro Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the State Government through a transparent and merit-based selection process, from amongst persons possessing such academic qualifications, experience and eligibility

20-11-2026/1640/NS-AG/2

as prescribed by the University Grants Commission or other competent regulatory authority."

अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमैंट में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026 का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के नाम पर रखा जा रहा है। दूसरा, इसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए पहले तीन व्यक्तियों का पैनल भेजा जाता था लेकिन अब इसमें "Not more than three" कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि पैनल में एक, दो या तीन नाम भी हो सकते हैं। इसमें तीन से अधिक नाम नहीं होंगे लेकिन तीन से कम नाम हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं है। तीन नामों

का ही पैनल जाता है और जाना भी चाहिए। यह जो संशोधन किया जा रहा है यह चांसलर महोदय की शक्तियों को भी कम करने का अमेंडमैंट है। इससे कहीं-न-कहीं मैरिट की अनदेखी होगी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ेगा। सरकार में बैठे लोग केवल एक नाम भेजेंगे और उसी नाम पर नियुक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए यह संशोधन उचित नहीं है। यदि यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी और स्वायत्तता बनाए रखनी है तो वाइस चांसलर की नियुक्ति इंडीपेंडटली और मैरिट के आधार पर की जानी आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को वापस लिया जाए।

अध्यक्ष : नगर एवं ग्राम योजना मंत्री महोदय यह भी और अपनी तरफ से जो संशोधन आप लाए हैं उसे भी इंट्रोड्यूस करें।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो संशोधन लाया गया है उसमें हमने नया सैक्शन 12 A इनसर्ट किया है। सैक्शन 12 A के सब-सैक्शन (4) में यह प्रावधान किया गया है कि "A person appointed as Pro Vice-Chancellor shall retire from office if during the term of his office or any extension thereof, he completes the age of 65 years."

"65" will be substituted by "70".

20-11-2026/1640/NS-AG/3

दूसरा संशोधन जैसा कि श्री रणधीर शर्मा जी ने कहा है कि इसमें पहला संशोधन यह है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है। यह यूनिवर्सिटी राजीव गांधी टेक्निकल

यूनिवर्सिटी हमीरपुर के नाम से जानी जाएगी। आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी जी का इस देश में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे कंप्यूटराइजेशन की बात हो या आईटी रेवोल्यूशन की, इन क्षेत्रों में उनके योगदान का

बहुत बड़ा श्रेय उन्हें जाता है। वे हमेशा टेक्नोलॉजी के प्रति पैशनेट थे। उन्होंने बहुत-से देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के एग्रीमैंट भी किए थे जिनकी वजह से आज हम एम्पावर्ड हुए हैं। विशेष रूप से सॉफ्टवेयर डवलपमैंट के क्षेत्र में भारत की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनी है। आज हम हर वर्ष 25-30 लाख करोड़ रुपये का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं और इससे लाखों-करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला है। इस नाते मैं समझता हूं कि इस यूनिवर्सिटी का नाम किसी महान हस्ती के नाम पर रखने के लिए स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी से अधिक उपयुक्त नाम नहीं हो सकता। इसलिए यह यूनिवर्सिटी उनके नाम से जानी जाएगी।

दूसरी अमेंडमैंट के संबंध में इन्होंने कहा है तो यह सही है। हमने इसमें यह प्रावधान किया है कि Search Committee जो पैनल रिकमेंड करेगी that should not be more than three persons. इस पर आप संदेह नहीं कर सकते क्योंकि सर्च कमेटी will be comprised of eminent academicians and senior bureaucrats. So we cannot question the intention of each and every person appointed by the Congress Government. आपकी जो भावनाएं हैं तो मुझे लगता है कि आपकी सरकार का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जहां भी हायर एजुकेशन इंस्टीच्यूशन्ज हैं, विशेषकर यूनिवर्सिटीज का पूरी तरह से राजनीतिकरण किया गया। एच0पी0 यूनिवर्सिटी सहित अन्य यूनिवर्सिटीज में भी ऐसे कई लोगों की नियुक्तियां हुई हैं जिनका अकैडमिक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था। हमें ऐसी सूचनाएं भी मिली हैं कि कई यूनिवर्सिटीज में ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां कुछ अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए वायस चांसलर ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया था लेकिन उन्हें दूसरी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर

11-2026/1640/NS-AG/4

नियुक्तियां दी गईं। आपकी यह भावना ठीक है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स में 20-

राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए बल्कि नियुक्तियां पूरी तरह से अकैडमिक बैकग्राउंड को देखकर होनी चाहिए। यह दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है। ऐसा लगता

है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने भी एक कैंपेन चलाई है कि प्रत्येक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, चाहे वे यूनिवर्सिटीज हों

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

20.11.2026/1645/RKS/Aजी-1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री... जारी

चाहे वे विश्वविद्यालय हों, केंद्रीय विश्वविद्यालय हों, आई0आई0टी0, एम्ज और एन0आई0टीज0 हैं उन सबमें यह देखा जाता है कि उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हमारी मंशा ऐसी नहीं है। हमारी मंशा तो यह है कि विश्वविद्यालयों में प्रो-वाइस चांसलर की नियुक्ति का रास्ता प्रशस्त किया जाए क्योंकि इसके बगैर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आप स्वयं विश्वविद्यालय में पढ़े हैं और जानते हैं कि वाइस चांसलर की अनुपस्थिति में प्रो-वाइस चांसलर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाइस चांसलर को भी बड़े स्तर पर उनकी एस्सिटेंस रहती है। विश्वविद्यालय में जब कोई भी फाइल उनके थ्रू रूट होती है या जो डायरेक्शन वाइस चांसलर देते हैं तो उसमें कार्यों की दक्षता बढ़ाने में बहुत सहायता मिलती है। बाकि जो आपने शक जाहिर किया है उसका कोई आधार नहीं है। यह आपका अपना अनुभव है कि आपकी सरकारों की मंशा ऐसी रही है इसलिए आपको हमारी सरकार की मंशा पर भी संदेह हो रहा है लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना संशोधन वापस ले लें क्योंकि आपके ये संशोधन स्पेकुलेशन बेस्ड है और इनके पीछे कोई ठोस आधार नहीं है।

20.11.2026/1645/RKS/Aजी-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सभी विश्वविद्यालय यू0जी0सी0 के अंडर काम करते हैं। इसमें तीन नामों का पैनल भेजा जाना चाहिए। फिर आपको इस पैनल के साथ

छेड़छाड़ करने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि तीन नामों के स्थान पर दो या एक ही नाम भेजा जाए? जब आपने यह कह दिया है कि 'Not more than three' तो इसका अर्थ है कि आप केवल एक नाम ही भेजेंगे इसलिए इस पर शक होना जाहिर है। दूसरा जो इन्होंने स्वयं 70 वर्ष की आयु निर्धारित करने के संबंध में अमेंडमेंट दी है मैं उसका भी विरोध करता हूं। आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पद है जिसकी सेवानिवृत्ति आयु 70 वर्ष हो। इस देश में अधिकतम 65 वर्ष तक ही नौकरी होती है चाहे न्यायाधीश हों या अन्य पदों पर नियुक्त अधिकारी हों, फिर किसको लाभ पहुंचाने के लिए आप सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष कर रहे हैं? इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत है। इस संशोधन को वापस लिया जाना चाहिए और जो तीन नामों का पैनल है उसे तीन ही रहने देना चाहिए। 'Not more than three' यह लाइन गलत है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि इसका दुरुपयोग आप भी कर सकते हैं और कोई अन्य भी कर सकता है। मैं आप पर या आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना केवल इतना है कि इस प्रावधान का कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। जब तीन नाम भेजे जाएंगे तो दुरुपयोग की संभावनाएं कम होंगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इन दोनों संशोधनों को वापस लिया जाए। ठीक है आपने अपने नेता एवं पूर्व प्रधान मंत्री जी के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखा है, हमें उसका कोई विरोध नहीं है। परंतु ये संशोधन कहीं-न-कहीं विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर प्रश्नचिह्न लगाएंगे इसलिए इन संशोधनों को वापस लिया जाए।

अध्यक्ष : श्री रणधीर शर्मा जी ने जो बात कही है कि आपने जो संशोधन प्रस्तावित किया है उसमें आयु सीमा को 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का प्रावधान रखा गया है क्या आप इसको विद्ड्रा करना चाह रहे हैं?

20.11.2026/1645/RKS/Aजी-3

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम इसे विद्ड्रा नहीं करना चाह रहे हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि यू0जी0सी0 की गाइडलाइन्स में प्रो-वाइस चांसलर की ऐज का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, यदि आप केंद्रीय संस्थानों को देखें तो आई0आई0टी0, एम्ज और एन0आई0टी0 जैसे संस्थानों में भी कई पदों के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 70 वर्ष की गई है। इसलिए यह ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। भारत सरकार के कई संस्थानों में भी

70 वर्ष की आयु का प्रावधान है। आप इंटरनेट पर इसकी जांच कर सकते हैं। कई संस्थानों में 70 वर्ष की आयु निर्धारित है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि 70 वर्ष की आयु ही निर्धारित की जाए। यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा। किसी भी समय सत्ता में रहने वाली सरकार अपने विज़डम के अनुसार इस पर निर्णय ले सकती है। आप सरकार के विज़डम पर क्यों क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय इस अमेंडमेंट को पारित किया जाए।

Speaker: Once it is passed in amended form तो सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष हो जाएगी।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : हां, सर इसे संशोधित रूप में पारित किया जाए। 70 वर्ष तक किसी व्यक्ति को पद पर बनाए रखना है या नहीं, यह सरकार की मंशा पर निर्भर करेगा। यह कोई अनिवार्य नहीं है कि संबंधित अधिकारी 70 वर्ष तक पद पर बनाए रखना ही होगा। यह संशोधन किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके नहीं लाया गया है। इसमें 3 वर्ष का न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित है। इसके बाद कार्यकाल का विस्तार करना है या पुनर्नियुक्ति करनी है या नहीं करनी है, यह सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

20.11.2026/1650/बी.एस./ए.एस.-1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री के बाद

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ स्पष्टीकरण लेना चाहते हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी की इसमें विशेष रुचि है क्योंकि वे स्वयं स्टूडैंट पॉलिटिक्स में रहे हैं और अभी तक यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स और व्यवस्था से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। समय-समय पर हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी को कमजोर करने और उसकी ऑटोनॉमी को कमजोर करने के लिए एक बार नहीं बल्कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपने पहले भी अमेंडमैंट लाई थी और उसमें गवर्नर को भी बाइपास करने का प्रावधान जोड़कर एक नया रास्ता निकालने की कोशिश

की थी। इससे सीधी-सी बात स्पष्ट होती है कि आप यूनिवर्सिटी को एक ऑटोनॉमस इंस्टिट्यूशन के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देना चाहते हैं। आप एक तरह से यूनिवर्सिटी को गवर्नमैंट डिपार्टमैंट की तरह चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आप कहेंगे कि यह होगा और आप कहेंगे कि वह नहीं होगा। इसी तरह आपने पहले भी और अभी भी कई कदम उठाए हैं। यूनिवर्सिटी की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन फाइनेंस सेक्रेटरी को बना दिया। ई0सी0 की बैठक में फाइनेंस सेक्रेटरी पहले से ही उस कमेटी के सदस्य थे। इसके बाद प्रोफेसरों की अपॉइंटमैंट की प्रक्रिया आपने पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दी। आप सारी व्यवस्थाओं को तहस-नहस करने में लगे हुए हैं। यू0जी0सी0 की गाइडलाइन्स के मुताबिक 90 प्रतिशत प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। जिस स्टूडैंट ने अप्लाई किया होता है उसे भी मालूम होता है कि उसकी रैंकिंग कहां आ रही है और वह किस स्थान पर है। यह सारा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होता है। इसके बावजूद भी आपने इन व्यवस्थाओं में बदलाव करने की कोशिश की है।

इसमें विशेष तौर पर एक बात यह है कि आपने राजीव गांधी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा है। क्योंकि आपको अब अंतिम वर्ष में लगता है कि गांधी परिवार को और खुश कैसे किया जा सकता है। उस दृष्टि से आपने यह नाम रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री के नाते राजीव गांधी जी के प्रति हमारा सम्मान है। लेकिन आप किसी अच्छे एजुकेशनिस्ट के नाम पर भी यह नाम रख सकते थे या किसी अन्य उपयुक्त नाम का चयन कर सकते थे।

20.11.2026/1650/बी.एस./ए.एस.-2

लेकिन गांधी, गांधी, गांधी। यहां भी गांधी और वहां भी गांधी। अंदर भी गांधी और बाहर भी गांधी। हर जगह गांधी, गांधी। यह कोई अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है।

Speaker : Shri Rajeev Gandhi ji has sacrificed his life for the country.

श्री जय राम ठाकुर : नहीं, हम इस बात को लेकर डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। फिर भी चलिए कोई बात नहीं। आप गांधी जी के नाम पर और राजीव गांधी जी के नाम पर रख लीजिए। इसके बाद जिस बात को लेकर आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने कहा है वह तो हद ही है।

आप जो पैनल बनाएंगे उसमें एक भी नाम हो सकता है और दो या तीन नाम भी हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम तीन नाम ही हो सकते हैं। यानी पैनल में तीन से अधिक नाम नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि उसमें केवल एक नाम भी भेजा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा प्रावधान किया जाता है तो राज्यपाल उस नियुक्ति को करने के लिए बाध्य होंगे क्योंकि उनके पास केवल एक ही नाम भेजा जाएगा। ऐसी स्थिति में उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। आप नियुक्ति की प्रक्रिया में मेरिट को सुनिश्चित ही नहीं कर सकते क्योंकि जब केवल एक ही नाम भेजा जाएगा तो चयन का कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए आपने जो यह प्रावधान किया है वह बिल्कुल गलत है और किसी भी तरह से एडवाइजेबल नहीं है। मेरी आपसे मेहरबानी करके मांग है कि आप इस प्रावधान को वापस लें। यह विश्वविद्यालय को बर्बाद और तबाह करने के लिए सीधे तौर पर राजनीतिक दखल है। मुख्य मंत्री के नाम से एक नाम भेजा जाएगा और स्क्रीनिंग कमेटी उस नाम को अंतिम रूप देकर तीन नामों के बजाय केवल एक ही नाम राज्यपाल को भेजेगी। इसके बाद राज्यपाल को कहा जाएगा कि इसी नाम को नोटिफाई करें और इसी व्यक्ति को अपॉइंट करें। इसके अतिरिक्त और क्या होने वाला है? यही होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, इससे भी आगे बढ़कर आपने वाइस चांसलर की आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने की मंशा जाहिर की है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए ऐसा मत करिए। यह देखने में और सुनने में हर तरह से बहुत खराब लग रहा है। पूरे देश में किसी भी शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय में 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का

20.11.2026/1650/बी.एस./ए.एस.-3

ऐसा प्रावधान है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आपने यहां 70 वर्ष की आयु का प्रावधान कर दिया है। आखिर ये कौन मित्र हैं? आप आज ही उनका नाम बता दीजिए। क्यों धर्माणी जी, आज ही बता दीजिए कि वह कौन मित्र हैं जो छूट गए हैं और जिन्हें आप अपॉइंट करना चाहते हैं? इसलिए ये तीनों बातें बहुत गंभीर हैं जिनका हमने सदन में उल्लेख किया है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

20.11.2026/1655/डीटी/एएस-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

ये तीनों बातें बहुत गंभीर हैं जिनका हमने यहां जिक्र किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को छोड़ दीजिए। मैं विभाग से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात पर विचार करें कि यूनिवर्सिटी को विभाग की तरह मत चलाइए बल्कि इसे एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य करने दीजिए ताकि आने वाले समय में व्यवस्थाएं ठीक रहें। इसलिए आप इस अमेंडमेंट को वापिस लीजिए। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा।

20.11.2026/1655/डीटी/एएस-2

अध्यक्ष : माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता श्री जय राम ठाकुर जी ने यहां दो-तीन प्वाइंट्स उठाए हैं। हम तो भारत सरकार की गाइडलाइंस को ही फॉलो कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वी0सी0 की सेवानिवृत्ति आयु 70 वर्ष निर्धारित की है और इसका एक्ट में प्रावधान है। यही प्रावधान एम्स में भी है। तमिलनाडु, उड़ीसा और पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में भी 70 वर्ष की आयु का प्रावधान है। उड़ीसा में तो आपकी ही सरकार है। इसके अतिरिक्त भी कई राज्यों में ऐसा प्रावधान है। इस संशोधन के माध्यम से हमने प्रो-वाइस चांसलर का प्रावधान इसलिए किया है ताकि वी0सी0 की फंक्शनिंग को और बेहतर बनाने के लिए उन्हें असिस्टेंस की आवश्यकता होती है। सभी यूनिवर्सिटीज में प्रो-वाइस चांसलर का प्रावधान है लेकिन यहां नहीं था। दूसरा, आपने राजीव गांधी जी के बारे में बातें कही है। हमारे स्टेट में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर भी मेडिकल यूनिवर्सिटी संचालित है। वह डॉक्टर तो थे नहीं हालांकि राजीव गांधी जी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे और देश के टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप की शुरुआत में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रोहतांग टनल का नाम भी अटल टनल रखा गया है। सोनिया गांधी जी ने उसका शिलान्यास किया था। यदि आपने शिलान्यास पट्टिका भी कहीं फेंक दी तो हमने उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। राजीव गांधी जी हमारे सम्मानित प्रधान मंत्री रहे हैं और उनका इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है।

उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इसलिए आपको इसका स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात जहां तक यूनिवर्सिटीज का संबंध है तो हमारी सरकार ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले दिनों निर्णय लिया है कि यूनिवर्सिटीज में रिक्रूटमेंट अब पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होगी। एक तरफ आप सरकार की इंटेंशन पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जब पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भर्ती करने का निर्णय लिया गया और उसका बिल यहां लाया गया तो आपने उसका भी विरोध किया। पब्लिक सर्विस कमीशन की इंटेंशन पर हमें शक नहीं करना चाहिए। यह निर्णय इसलिए लिया गया था ताकि क्वालिटी के साथ कोई कम्प्रोमाइज न हो। यह एक बहुत ऐतिहासिक बिल था। पॉलिटिकल बेस पर जो सिलेक्शन की बात है वह जग जाहिर है कि एच0पी0 यूनिवर्सिटी में किस प्रकार वाइस चांसलर

20.11.2026/1655/डीटी/एएस-3

नियुक्त किया गया और उन्हें इनाम के तौर पर राज्य सभा में एम0पी0 बनाकर भेज दिया गया। पहले भी ऐसा होता आया है लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह से कोई भर्ती न हो। सरकार जो भी फैसला लेगी वह सोच-समझकर लेगी। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी अपना संशोधन वापस लेने को तैयार नहीं हैं। इसलिए अब मैं संशोधन को मतदान के लिए डालूंगा।

तो प्रश्न यह है कि खंड 7 व 8 जो संशोधन माननीय श्री रणधीर शर्मा से प्राप्त हुए हैं उन्हें स्वीकार किया जाए?

संशोधन अस्वीकार हुए।

तो प्रश्न यह है कि खंड 8 में जो संशोधन सरकार की ओर से आया है उसे स्वीकार किया जाए?

संशोधन स्वीकार हुआ।

खंड- 8 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खंड 2 से 11 तक विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार।

खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 व 11 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार।

खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

20.11.2026/1655/डीटी/एएस-3

अध्यक्ष : अब माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26) को पारित किया जाए।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री श्री ए0पी0 द्वारा जारी

20.11.2026/1700/डी0सी0/ए0पी0/-01

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

"हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26) पारित हुआ"

अब इस माननीय सदन की बैठक शनिवार, 21 नवंबर, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला (तपोवन)-176215 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांकः 20 नवम्बर, 2026 **सचिव**